

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

. Tuesday, the 28th September, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock

[*Mr. Speaker in the Chair*]

Statement on Train accident near Jangaon

مسٹر اسپیکر :— کل رات ریلوے کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس کا مجھے افسوس ہے۔ میں آنریبل ہوم منسٹر سے خواہش کرونگا کہ اس بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں ہاؤس کے علم میں لائیں۔

The Minister for Home, Law and Rehabilitation (Shri D.G. Bindu) : I wish to bring to the notice of the House a very unfortunate accident that took place last night. The 319-Down Express Train which left Secunderabad at 8-30 p.m. last night met with an accident at mile No. 174/175 at about 10-30-P.M. three miles away from Jangaon between Jangaon and Raghunathpalli Railway Stations. It has been reported that owing to continuous and heavy rains the bridge over a stream on which the train was passing gave way suddenly resulting in complete derailment of the train. Latest reports indicate that two bogies have flown away in the stream; while two are on the line and one is lodged in the stream at the bridge. The Guard and a T. T. I., are reported missing. The scene of accident is situated 20 miles from Hanamkonda towards Hyderabad. The exact number of casualties is not known and efforts are being made to collect the same. So far 20 deaths have been reported. Salvage work is in progress.

The Railway authorities informed the Deputy Inspector-General of Police, Railways, the Road Transport Superintendent and the Director of Medical and Public Health Services at about 1 a.m. last night. On receipt of information the Road Transport Superintendent immediately instructed the R.T.D. Depot at Kazipet to rush as many buses as were available with medical assistance. Two buses were kept at Secunderabad Station to take men to the scene of accident. Till this morning four buses have left and if more buses are required, they will be sent.

As soon as the Director of Medical & Public Health Services was informed of the tragedy he despatched :

- 7 Medical Officers;
- 4 Senior Students of the Osmania Medical College;
10 Ward Boys;
- 4 Nurses;
- 1 Male Nurse;
- 4 Dayas; and

2 ambulances with Dr. Daver, Assistant Director. The Director Medical Services, Dr. Khatri and Dr. Jathar also left for the place in the early hours of this morning. It has also been reported that the Indian Medical Association too have provided adequate medical assistance.

The Collector and D.S.P. Warangal with first aid equipment, petrolmaxes and with necessary force, the Deputy Superintendent of Police, Jangaon and the Deputy Superintendent of Police, Railways reached the spot almost immediately after they came to know about the accident—at about midnight.

The D.I.G., C.I.D. & Rlys. also left for the scene of accident early this morning. The Inspector-General of Police left by about 9 a.m. and is now there.

One H.S.R.P. Platoon consisting of 25 men, 30 men of the Railway Police and 8 officers have left Hyderabad this morning for the scene of accident.

The Railway authorities sent a special train at about 3.30 a.m. this morning but the train could not reach the place of accident as the track beyond Bibinagar is reported to have been breached between Bibinagar and Jangaon. This arrangement was of no use. The special has been held up at Bibinagar.

Sufficient men from the District force have been deputed down the stream as a number of bodies are reported to have been carried away by the strong current. All Station Houses have been alerted to collect bodies when they come down the stream. Adequate arrangements have been made for salvage operations. Precautions have been taken to keep the crowd away so as to quicken the salvage work.

The Chief Minister and the Revenue Minister have left for the scene of accident at about 11-30 a.m. today.

The accident is a very serious one and involves heavy loss of life.

سنٹر اسپیکر :- جو اکیڈنٹ ہوا میں نے سنا ہے کہ ۲ آدمی ہلاک ہوئے ہیں اور نہیں معلوم کہ کتنے ہیں - ہم اس سانحہ کے لئے دو منٹ تک سائلنس آبرو (Silence observe) کریں گے -

(All the Members stood in silence for two minutes)

شری جے۔ بی۔ متیال راؤ (سکندراباد - محفوظ) :- اسپیکر سر - اکیڈنٹ کی اطلاع ملنے پر سکندراباد کے ۳۶ والنٹیرس مقام حادثہ پر جانے کے لئے تیار ہوئے - میں نے اونکی طرف سے ہوم منسٹر صاحب کے پاس اپروچ (Approach) کیا تو انہوں نے ایک بس دی جس سے والنٹیرس مقام حادثہ پر چلے گئے ہیں - میں ہوم منسٹر کا والنٹیرس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں -

**Shri. V. D. Deshpande (Ippaguda):* Mr. Speaker, Sir. On behalf of the Opposition, I wish to join in the condolences to the people involved in this accident. Some of our M.L.As. belonging to those constituencies, Shri Syed Akthar Hussain and Shri Gopalrao have left for the place and if there is need of any help being rendered in this regard, I assure the Government that our services are at their disposal. I hope at least those who are injured will be getting adequate relief in time and every thing will be done in that respect.

L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

Mr. Speaker : Now we shall take up the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

The Minister for Finance, Statistics, Customs, Commerce, & Industries (Shri. V. K. Koratkar) I beg to introduce L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

Mr. Speaker : The Bill is introduced.

Shri. V. K. Koratkar : I beg to move :

“That L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a first time”.

Mr. Speaker : Motion moved.

श्री. वि. के. कोरटकर :—असके बारे में मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कल हमने जो सप्लिमेंट्री डिमांड्स मंजूर किये हैं उनको ही अंक जगह लाकर यहाँ बिल के शर्कल में पेश किया गया है। आशा है कि असको आप मंजूर कर लेंगे। आपकी मंजूरी के लिये ही सिर्फ़ अन्हे अंक बग़ह लाया गया है और यह बिल पेश किया गया है।

* *Shri. V. D. Deshpande* : Mr. Speaker, Sir. At the time of the First reading of this Bill, I have to say a few words.

Firstly, this introduction of the Bill consequent on granting of Supplementary Demands shows the infancy and the inefficiency through which our Finance Department is going. I am not prepared so accept for a minute that most of the items could not have been anticipated and provided for in the last budget. At this time, of course, as we have granted the demands, there is not much in the way of opposing the Appropriation Bill as such but I have to point out to the Government that such practices do not augur well for the efficiency of the Department, and in future at least, I hope, every effort will be made not to make the House consider these demands after the Budget Session.

Secondly, Sir, as regards the various views expressed at the time of granting these Demands, I am left with a feeling that the Government of Hyderabad has learned nothing and forgotten nothing in their policies. We were expecting when we were discussing the Land Commission and the Jagirdars Debt Settlement Board that the Government will have at least the frankness to accept the wastage that they have incurred. But we find the hon. Minister for Revenue, instead of accepting frankly that certain expenditure was being met on certain Departments or certain Boards which was not necessary in the situation as the ordinary Judicial machinery was adequate for that purpose also, went on pleading their case. We feel that certain unnecessary expenditure was being incurred just to appease certain personalities in the ruling party. This aspect was not accepted by the hon. Revenue Minister. We strongly feel that this practice of the Government of dividing fishes and loaves does not help to build up democracy in Hyderabad. Howsoever he may satisfy that the consolidation of the Congress party is in the interests of the Congress party, we, Members on this side, cannot accept such expenditure being incurred. It is an expenditure not warranted by the situation.

Coming next to the expenditure on cars, though the House has granted the Demand relating thereto, we so feel that there was no necessity for the purchase of new cars within two years of the Government coming into power. If it is a question of reducing the petrol consumption we had already granted certain amount towards petrol expenses; and there is no need for incurring this expenditure now.

Turning to the Police Department and the Demands connected thereto which have been granted by the House, I have a feeling once more to place before the House that the attitude of the Police Department and the Home Ministry has not changed and is not in keeping with the best democratic traditions that we have to develop in the State of Hyderabad. The enforcement of Section 144 orders and the various measures taken by the Home Ministry were not I think, necessary in the situations and were aimed at suppressing the movements of the peasants, workers and the middle classes. In today's paper it has come how the Nagpur High Court has passed strictures against the Government there for having enforced Section 144 orders to ban processions of workers there. In Hyderabad also, if we go to the High Court I have no doubt left in my mind that it would not justify the enforcement of Section 144 order in the whole of the District of Nalgonda for some time and later on for two months in the town of Nalgonda and also in the cities of Hyderabad and Secunderabad. These measures were not justified in the situation and were in contravention of the right of movement and association guaranteed by the Constitution. The Home Ministry should take a lesson from the strictures passed by the Nagpur High Court before enforcing Section 144 in future to suppress the movement, and it should think ten times before resorting to such measures. I would also like to point out that the attitude of the Home Ministry towards the Police Officials continues to be the same of screening them and giving them support and passing adverse comments against the criticism of the opposition. In saner moments and in moments of wisdom the hon. Home Minister has accepted that there are certain difficulties and he too is facing them; but instead of appreciating the stand of the House, he has been condoning the atrocities and misbehaviour of his officials. I should like to point out to the Home Minister that the Opposition during the last two years has been trying to keep up to the democratic traditions. I am afraid instead of appreciating it as a better development, perhaps it is being taken by the Home Minister as a sign of

weakness. I would like to point out to him that the people's movement in Hyderabad is growing in strength every day and if we are adjusting with situation, let not the Government feel that it is a sign of weakness. It is a sign of all of us trying to let the democratic methods solve our problems. It will be good for the Government and it will help the situation if the Government realise this aspect and try to enforce law and order in such a way as not to contravene the civil liberties guaranteed by our Constitution.

Coming to other matters—labour, commerce and industries, I have to say that the Government of Hyderabad in its labour ministry has failed to do justice to the drainage workers, to the road workers, to the textile workers and in general to the working classes in Hyderabad. The closures and the cuts that the workers have been facing every day have not been compensated for and in Hyderabad closures and other atrocities are going on. Take the case of N.G.Os. The matter was discussed in this House. I wish to point out to the Government that problem is a very urgent one and needs the attention of the Government forthwith.

These are few of the remarks which I wanted to place before the House while speaking on the First Reading of the Appropriation Bill. This is not the time to go into details and I realise that. Therefore, without going much into the details, I will, in a few words, conclude my remarks.

Coming to the Education Department, yesterday we had a chance to discuss those matters and I have only to request the hon. Minister for Education that the Government have to evolve a policy of regionwise development in Hyderabad State. I wish again to say with emphasis that in Hyderabad if we want to develop various regional languages and if we want to provide education cheap, it is absolutely necessary that the development of education in Hyderabad should regionwise in Telangana, Marathwada and Karnataka; and it is only then that it will be possible for us to cater to the needs of the people and give to the common man education cheaply. I think this matter will be taken into consideration by the Government of Hyderabad.

These are the few matters which I wish to put before the House and I hope the hon. Ministers concerned will think

over these matters, and at least in future before taking recourse to the contingency fund they will see whether it is absolutely necessary to spend from the contingency fund and while preparing the budget for the next year all the items which are likely to come in the future will be anticipated and duly included therein. I hope the amounts will not be spent unless the House has been given a chance to discuss over the items and grant: here if only they are proper.

श्री. वि. के. कोःटकर :—अध्यक्ष महोदय, जिस अप्रोप्रियेशन बिल के पहली पढत के दौरान में बहुतसी चीजें कही गयीं, जो कि आम तौर से कटौती प्रस्ताव के समय कल और परसों कही जा चुकी थीं। उन तमाम के बारे में संबंधित मंत्रियों ने, जब उनकी मांगे आयी थीं तब तफसीली जवाब दिया है। अब रह गया फायनान्स डिपार्टमेंट। उसकी अयोग्यता के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह कहा गया कि वित्त विभाग ने पहलेसे साँच कर घन की तजवीज करके क्यों नहीं रखी जो कि पूरक मांगे रखने की जरूरत हो रही है। अभी जो पूरक मांगे हाजूस के सामने आयी हैं उनके बारे में मैं अितना ही कह सकता हूँ कि यह कोजी नयी चीज नहीं है। दूसरे स्टेट में भी जिस तरह से पूरक मांगे सभा के सामने आती हैं। अितनाही नहीं बल्कि बाहर के मुमालिकों में भी जिस तरह से सप्लिमेंट्री ग्रॅन्ट्स हाजूस के सामने रखे जाते हैं। अगर ६ महीने में कोजी नयी चीज नहीं की गयी तो आप ही कहेंगे कि अिन छः महीनों में न आप कुछ नयी चीज सीखे और न कुछ पुरानी चीजें भूले। और यदि कुछ नयी चीजें की गयीं तो आप ही कहते हैं कि बार बार नयी मांगें क्यों लेकर आते हैं? साल भर में क्या खर्चा होता है जिसका पूरा अंदाज तो पहले किया जा सकता है। परंतु जब नयी चीजें की जाती हैं तो उसके लिये सप्लीमेंटरी ग्रॅन्ट्स हाजूस के सामने मंजूरी के लिये रखनी ही पडती हैं। यह कोजी अचरज की बात नहीं है। सभी सरकारों को जिस तरह से पूरक मांगे रखनी पडती हैं।

अेक बडा आक्षेप यह किया जाता है कि हमने यानी (विरोधी दल ने) अितनी नयी नयी चीजें बतायीं लेकिन गव्हर्नमेंट ने तो कोजी नयी चीज नहीं सीखी और न पुरानी कोजी चीजें भुलादी। जिसके लिये तो मैं अपने को क्रेडिट (Credit) लेना चाहता हूँ कि जो चीजें अब्बाम के फायदे की नहीं, और आप हमें सिखाना चाहते थे, उनमें से कोजी चीज हम नहीं सीखे और हमें जिन चीजों को भूलने की जरूरत नहीं थी वह हम नहीं भूले। यह तो अच्छी ही बात हमारे लिये हुयी जिससे बढकर मैं जिस आक्षेप का कुछ जवाब नहीं देना चाहता।

जिसके बाद मोटर गाडियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह सही हो सकता है कि जो गाडियाँ अभी निकाली गयीं, वह और दो साल चल भी जातीं। लेकिन हमने यह देखा कि वह अितनी पुरानी होगयी थीं कि उनपर मरम्मत का ही ज्यादा खर्चा हो रहा था। वह खर्च हमें ज्यादा मालूम होता था। जिस लिये हमें उन्हें निकालना पडा। दो साल पहले निकाली गयीं और दो साल बाद क्यों नहीं निकाली गयीं, यह कोजी बडा आक्षेप नहीं हो सकता है। यह कहा गया कि पेट्रोल तो आपके ही जेब से जा रहा था, उसमें सरकार का क्या नुकसान है? यह शायद सही हो, लेकिन हमने देखा की उनपर मरम्मत का जो खर्चा आता था वह बहुत ज्यादा

होता था। जिस लिये हमने अन्हें निकालना मुनासिब समझा। अुसमें हमारा भी थोडा फायदा हुआ और गव्हर्नमेंट का भी फायदा हुआ।

पुलिस की हदतक भी अंतराज किया गया कि १४४ दफा क्यों लगाया गया? मैं अुसके बारे में अितनाही कह सकता हूं कि जब जरूरत होती है तब १४४ दफा लगाया जाता है।

दफा १४४ कब लगाया जाय अिसके लिये भी अेक जाप्ता मौजूद है, और अुसके लिये भी कुछ शरायत कानून में हैं। अुसके तहत ही अिस दफे का निफाज किया जाता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रोसेशन्स लाये जाते हैं वे असेंबली के सामने ही जाने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने प्रोसेशन्स मंत्रियों के घर तक ले जाते हैं तो बात अलग है। आप यदि अैसा कहते हैं कि हम अपने प्रोसेशन्स असेंबली हॉल तक नहीं लायेंगे बल्कि सिर्फ मंत्रियों के घर तक ही ले जायेंगे, तो फिर कुछ समझौता हो सकता है। असेंबली का वह हक है कि यह किसी के दबाव में न आये, और स्वतंत्रता से अपना काम करे। अुस अधिकार की रक्षा करना गव्हर्नमेंट का काम होता है। असेंबली में बिलकुल स्वतंत्रता पूर्वक काम होना चाहिये। अिसके पहले भी मैंने बताया था कि अिस तरह से असेंबली तक प्रोसेशन्स लाना मुनासिब नहीं है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—दफा १४४ का संबंध सिर्फ असेंबली से नहीं है, बल्कि पूरे नलगोंडा जिले में अिस तरह दफा १४४ नाफिज किया गया था, और कुछ स्थानों में तो दो महीने तक अिसें रखा गया था। और हैदराबाद स्टेट के अंदर १० मुकामात पर अभी अभी दफा १४४ लगाया गया था।

श्री. वि. के. कोरटकर :—वह जहां भी लगाया गया हो वह प्रोसेशन के बारे में ही लगाया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—वे मिनिस्टर फॉर रेव्हिन्यू के बंगले पर जानेवाले थे।

श्री. वि. के. कोरटकर :—अगर अैसा होता तो अिसकी जरूरत न होती।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अगर आप अिसके बारे में मिनिस्टर साहब को मश्विरा देते तो ठीक होता।

श्री. वि. के. कोरटकर :—अभी तो मैंने मश्विरा दिया है।

अेन. जी. ओज के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। अिसके बारे में जब असाधारण प्रश्न आया था, और फिर जब गैर सरकारी प्रस्ताव पर बहसें हुआं थीं तब ही मैंने कह दिया था कि जहां-तक अेन. जी. ओज का ताल्लुक है मैंने अुनसे बातचीत करने के लिये रजामंदी व्यक्त की है। और मैं अुनसे बातचीत करनेवाला हूं। मैंने अुन्हें तारीख ७ को मिलने का वक्त भी दे दिया है। अुस समय मैं अुनका क्या कहना है वह सुनुंगा, और जो अुनकी मांगे मानने लायक होंगी अुन्हें जरूर माना जायेगा। और जो नहीं मानी जा सकेंगी अुन्हें नहीं माना जायेगा। आपका यह रेजोल्यूशन

न आता तो शायद उसके पहले भी मैं उनसे मिलता। लेकिन अिनके दरम्यान अब मिलना ठीक नहीं था क्यों कि अगर मैं उनसे अभी मिलता तो उनसे यह कहा जाता कि हमने यह प्रस्ताव लाया है जिस लिये मिनिस्टर साहब से आपका मिलना हो सका। लेकिन आप रेजोल्यूशन नहीं लाते तो भी उसके पहले ही मैंने उनसे मिलने का तय कर लिया था। आपके रेजोल्यूशन ने तो कुछ ज्यादा देरी होगयी। उसके अलावा अब और कुछ अंतराज नहीं है। अिस लिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि अिन मांगों को मान लिया जाय, और यह जो अप्रॉप्रियेशन बिल आपके सामने रखा है, उसे स्वीकार कर लिया जाय।

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a first time”.

The motion was adopted.

Shri V. K. Koratkar : Sir, I beg to move :

“That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a second time”.

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a second time”.

The motion was adopted.

Clause 2

Mr. Speaker : The question is :

“That Clause 2 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3.

Mr. Speaker : The question is :

“That Clause 3, along with the Schedule, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 3 along with the Schedule, was added to the Bill.

Mr. Speaker : The question is :

“ That the Preamble, Short Title and Commencement stand part of the Bill ”.

The motion was adopted.

The Preamble, Short Title and Commencement were added to the Bill.

Shri V. K. Koratkar : I beg to move :

“ That L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a third time and passed ”.

Mr. Speaker : Motion moved

**Shri V. D. Deshpande* : Mr. Speaker, Sir, at the time of the third reading of the Bill I wish only to place before the House one or two problems. Yesterday I had pointed out to the hon. Home Minister that the amount of Rs.4 Lacs and odd, which was granted by the Government of India for the rehabilitation of the people in the State who had suffered before, during and after Police Action, was inadequate, and that the Government of Hyderabad also should at least give an equal amount for the rehabilitation of those people. The hon. Minister for Home said that they were things of the past and whatever relief was to be given was given and that the Government of Hyderabad was not in a position to contribute to that fund. When I referred to the incidents that took place at Gulbarga and Nizamabad, he said that this particular aspect of rehabilitation of the victims had to be looked into by the hon. Revenue Minister. I do not find the hon. Revenue Minister in the House at this moment ; but whether it concerns the Revenue Minister or the Home Minister, the matter is urgent, and just as this House was made to sit and discuss and pass the Supplementary Demands, probably this matter of the rehabilitation of the people effected in Nizamabad and Gulbarga could have been taken up by Government, and the expenditure of a further sum—whatever it might be—could have been consented to by the Rajpramukh and could have been brought up before this House in the form of Supplementary Demands on account of relief to the sufferers in Nizamabad

and Gulbarga. I feel it is a failure of the Government in their duty in not having been able to put the matter before the House and in not having asked us to grant some amount in spite of the urgency of the matter at these particular places. The hon. Home Minister just skipped over the matter by saying that the hon. Revenue Minister has to deal with it. But I wish to point out once more that the losses suffered amount to about Rs.5 lacs or more in Gulbarga and probably an equal amount in Nizamabad. The merchant community who suffered there needed immediate relief. The matter brookes no delay and the Government have to move quickly. It would have been much better if Supplementary Demands in this regard could have been brought up before the House.

I wish to repeat and remind the House of what I had already stated yesterday. Firstly, adequate relief has to be given to the persons effected to re-start their business. In Nizamabad, as I had pointed out, the relief given was only Rs. 250 while the loss suffered by the merchants amounted to thousands of rupees. It is not possible for them in their present plight either to re-start their business or to take delivery of the goods that are lying in the godowns or to pay the sales-tax or the profession tax unless adequate relief is immediately given. It is, therefore, necessary that Government should immediately think over the matter and give adequate relief to the merchants to re-start their business. Secondly, long-term loans are absolutely necessary. Without them, it will not be possible to rehabilitate the people. This matter has also to be looked into by the Government. Thirdly, in cases where houses have been burnt, certain materials should be provided to the victims to rebuild their houses or repair them, as the case may be. Fourthly, I wish to point out that not only the merchant community, but along with them the agricultural community also has been effected in Nizamabad, who also need taccavi and other assistance, and also remission in land revenue. This matter also has to be dealt with by the Government. Probably the Assembly may not meet in the coming few months, but in the meanwhile these urgent matters are there to which the Government should give their attention.

While speaking on the subject of rehabilitation, I learn that the hon. Home Minister has drawn up a certain scheme to see that no communal disturbances occur in future. One of

the hon. Members on this side had given notice of a short-notice question to know what that particular scheme, but probably as the Office did not find sufficient time the matter did not come up. It would have been much better if that scheme had come up before the House. I wish to point out that there are definitely proofs to show that the communal elements, whether belonging to this community or that community, are growing strong in the last few months, and if the Government does not take steps to fight this evil, it is likely that the communal elements will become stronger. In today's Siasat paper I have read that the slogan 'Godse Zindabad' was raised in a certain meeting and that the communal elements were trying to consolidate and organise themselves round this slogan. How far it is true, it is for the Government to investigate, but if we allow the communal forces to grow, then democracy in India will be doomed and whatever party is in power it will not be possible for it to solve the problems of the people. Therefore, the seriousness of the situation has to be taken note of by the Government.

Specially, I have to point out to the hon. Minister for Education that his Department, i.e., various schools, is full of communal elements, particularly those belonging to the R.S.S. When we raised this matter many a time in this House, the hon. Minister did not take as serious a notice of it as he ought to have. It is not a question of furnishing proof or producing evidence before him; it is not a question of whether the Headmaster concerned agrees as to the existence of these communal elements, it is for him and the Home Department to go deep into the matter and find out how this whole thing is enveloping the Education Department. If our boys or students are not made immune from these communal elements, we fear that the coming generation will not be able to move forward in a democratic fashion and will constitute a great danger to the working of democracy in our country. I hope the hon. Home Minister will look into it.

I also wish to point out on this occasion that not only communal but certain other elements also are trying through various means, whether in the form of missions or through other agencies, to disrupt the unity of our people and our anti-imperialist traditions, and democracy. All these various disruptive forces are at large in our country. One incident at Gulbarga or Nizamabad cannot be isolated and we have to go deep into the matter and it is our duty to see that such tenden-

cies are wiped out. This problem also, I hope, will engage the attention of the Home Minister

I conclude by expressing again the hope that the matter of rehabilitation and the giving of necessary relief to those sufferers in the incidents in Nizamabad and Gulbarga will be considered in the near future—or I should say immediately—by the Government.

شری دگمبر راؤ بندو :— مسٹر اسپیکر سر - جن دو امور کا ذکر یہاں کیا گیا ہے مناسب ہے کہ ان کے متعلق میں کچھ عرض کروں -

ایک تو ریمبیلیٹیشن (Rehabilitation) کا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں کٹ موشن جب پیش کئے گئے تھے اوس وقت بھی بحث ہو چکی ہے اور میں نے اونکا جواب دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لئے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے۔ سنٹرل ریمبیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اسکو چلا رہے ہیں اور ہارے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چند ایسے مدات ہیں جن سے ریلیف (Relief) دینا ہی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں نظام آباد اور گلبرگہ میں ان ہی مدات سے امداد بھی دی گئی ہے۔ ریلیف کمیٹیاں وہاں بنائی گئی ہیں۔ لوگوں کی ضروریات معلوم کر کے بجٹ میں پراویژن فراہم کرنے کا مطالبہ کرنے کے لئے اونکو لکھا گیا ہے۔ اس سے بڑھکر مجھے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے۔

کچھ باتیں پولیس کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ دفعہ ۱۴۴ فلان جگہ کیوں نافذ کیا گیا وغیرہ۔ یہ ایسی چیز ہے جسکی ضرورت ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے نافذ کیا جاتا ہے۔ آج کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ خود آریبل ممبرس آف دی اپوزیشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ دفعہ ۱۴۴ کو قانون سے نکال ہی دینا چاہئے۔ کیونکہ بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ آریبل ممبرس اپوزیشن نے خود یہ سوال کیا تھا کہ فلان جگہ دفعہ ۱۴۴ کیوں نافذ نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اس دفعہ کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کہاں اور کن صورتوں میں یہ نافذ کیا جائے اور کن صورتوں میں نافذ نہ کیا جائے۔ یہ چیز عدالت کے ڈسکریشن (Discretion) پر منحصر ہے۔ اس کے متعلق کسی دوسرے شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اسکا فیصلہ کرے کہ کہاں نافذ ہونا چاہئے اور کہاں نہیں۔ عدالت کے سامنے جب مقدمات پیش ہوتے ہیں تو اونکا فیصلہ عدالت ہی کی ڈسکریشن پر ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ کوئی فریق اگر اوس فیصلہ کو صحیح نہیں سمجھتا ہے تو اوسکو اپیل (Appeal) کا اختیار ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اپیل کے بعد عدالت تحت کا فیصلہ صحیح قرار نہ پائے۔ لیکن عدالت تحت کو اپنے ڈسکریشن کے استعمال کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ناگپور

ہائیکورٹ نے ایسا حکم جاری کیا ہے۔ یہاں بھی ہم نے کسی کے ہاتھ نہیں پکڑائے ہیں۔ عدالتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جائیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اوسے بسر و چشم قبول کریں گے۔ اگر آپ ان اصولوں کو ڈیموکریسی (Democracy) کے خلاف سمجھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اس کے لئے ایک بل (Bill) لائیں اور اسکی منظوری حاصل کر کے اس دفعہ (۱۹۵۴) کو نکال دیں گے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ جو چیز عدالتوں کی ڈسکریشن پر موقوف ہے اوس کا اختیار اسمبلی (Assembly) کو دیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ دفعہ ۱۹۵۴ آپکی رائے میں غلط طور پر نافذ ہوا ہو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی رائے میں بالکل صحیح طور پر نافذ ہوا ہو۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے ایجیٹیشن (Agitation) کیا جائے۔ یا گورنمنٹ کی پالیسی پر نکتہ چینی کی جائے۔ بہر حال گورنمنٹ کی پالیسی وہی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ جہاں امن میں خلل واقع ہونے کا امکان نظر آئے وہاں یہ دفعہ ضرور نافذ ہونا چاہئے۔ کب نافذ ہونا چاہئے یہ مجسٹریٹ پر منحصر ہے یہاں گورنمنٹ کی پالیسی کا سوال نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہی گئی کہ آر۔ ایس۔ ایس (R. S. S.) اور دوسری پارٹیز آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے الیمینٹس (Elements) بڑھ رہے ہیں جنکو ہم ڈیموکریسی کے دشمن سمجھتے ہیں۔ کمیونلزم (Communalism) بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ انکی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے۔ کسی کو برا ماننے کی وجہ نہیں ہے۔ ہم اسکی تاریخ جانتے ہیں۔ جنکے پاس کوئی پرنسپلس (Principles) نہیں ہیں۔ اونکا شیوہ یہی ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ فائدہ ہونے کی امید ہو جائے تو انہیں اپنا ساتھی بنالیتے ہیں۔

“Enemy of the enemy is our friend.”

یہاں تو یہ ہورہا ہے کہ کمیونل الیمینٹس (Communal elements) بڑھ رہے ہیں اور اوس وقت تک بڑھتے رہیں گے جب تک کمیونل الیمینٹس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایسے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں جو اسکو روکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ چاہے اس طرف کے متمسک ہوں یا اوس طرف کے میں ضرور کہوں گا کہ جو کوئی بھی اسکو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں۔ جب تک صف دلی ہے آگے نہ بڑھیں۔ یہ ضرور بڑھینگا۔ آر۔ ایس۔ ایس کے متعلق کہا گیا کہ اسکو روکنا چاہئے۔ کونسا قانون ہے جسکی رو سے آر۔ ایس۔ ایس کو ممنوع قرار دیں۔ جن لوگوں کی خواہش ہوگی وہ برابر اس قسم کے اعمال کریں گے اور حصہ لیں گے۔ جو کمیونل الیمینٹس مسلمانوں میں ہیں وہ ضرور حصہ لیں گے اور جو کمیونل الیمینٹس ہندوؤں میں ہیں وہ بھی حصہ لیں گے۔ ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنکو ہم ڈیموکریسی کے دشمن سمجھتے ہیں اونکو دبانے کے لئے قانون میں کونسی چیزیں موجود ہیں۔

اس بارے میں ہاؤس کے دونوں جانب کے لوگ متفق ہونگے کہ بہت سی چیزیں ہوسکتی ہیں۔ میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن کوئی ڈیفینٹ اسکیم اس وقت میرے پاس نہیں ہے جسکو پیش کرسکوں۔ سنا گیا کہ اسپارے میں شارٹ نوٹس کوٹسجن بھی آنے والا تھا لیکن میرے پاس تو اسپارے میں کوئی نوٹس نہیں آئی۔ اور اگر آتا بھی تو میرا یہی جواب ہوتا کہ میں اسپارے میں سوچ رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی مکمل اسکیم اس بارے میں نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جنکو ہاؤس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہو۔

* *Shri V. D. Deshpande* : My personal explanation regarding this is that my party at least does not harbour any communal elements nor, for any considerations, will it ever harbour communal elements in the future. As far as imposing certain restrictions is concerned, we had earlier demanded that communal organisations should be banned and that communal organisations should not be allowed to exist in India. Well, if under our Constitution, we cannot put certain restrictions, at least certain steps should be taken to see that the minds of our students are not contaminated by communal ideology and communal philosophy. I have specially referred to the Education Department, because in a number of schools, many of my former colleagues who were communal-minded, had now become teachers and sponsors of the movements in schools and colleges. Specially, therefore, I have suggested to the hon. Education Minister that this problem has to be looked into. Whether as Congressmen or as Communists, we are all agreed on one thing *viz.* that we are secular and that we are opposed to communalism, and it is the duty of all of us, whether we are Communists, Socialists or Congressmen, to see that communalism in India is rooted out. It is from this point of view that I urged the Government—and I still urge them—that they should pay special attention to this matter and see that communalism does not grow.

Shri Ratanlal Kotecha : Mr. Speaker, Sir....

Mr. Speaker : No discussion now .

Shri Ratanlal Kotecha : It is not a question of discussion; I just want some clarification.

میں ایک بات کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے مہینے سال کے لئے ہاؤس کو کمیونسٹ اور آر. اے. اے. جین دونوں نے ایک پرنٹ بنایا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ کونسل کو ڈیفیٹ کیا جائے۔

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मैं इसको रिफ्यूट (Refute) करता हूँ।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—मैं इसको चैलेंज (Challenge) करता हूँ।

श्री. वि. के. कोरटकर :—मिस्टर स्पीकर सर, जिसमें जो खास खास सवाल त्रुटिये गये थे उनका जवाब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दे दिया है। रीहैबिलिटेशन (Rehabilitation) के लिये रकम दी जा रही है और अगर रकम ज्यादा हो तो हायुस के सामने सप्लीमेंटरी डिमांड्स के लिये फिर फेब्रवरी में हम आयेंगे। अंक सवाल आपने किया था कि पहले से ही इसको क्यों नहीं अंटीसिपेट (Anticipate) करके रखा गया? आप जानते हैं कि पहले से अंटीसिपेट करना मुश्किल है कि दंगा होगा और रीहैबिलिटेशन करना होगा। अगर पहले से अंटीसिपेट करते तो आपही कहते कि देखिये, पहले से ही कम्यूनल दंगे अंटीसिपेट (Anticipate) किये जा रहे हैं। अगर जिसमें ज्यादा रकम खर्च होगी तो सप्लीमेंटरी डिमांड्स के तौर पर हुकूमत फिर से इस हायुस के सामने फेब्रवरी में आयेंगी। मैं अुम्मीद करता हूँ कि उस वक्त आप तहदिल से वह ग्रांट मंजूर करेंगे।

‘कम्यूनल’ की हद तक जवाब के बाद भी बार बार कहा गया है। लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि सेक्यूलर स्टेट (Secular State) का जो नारा है वह काँग्रेस का ही है। और काँग्रेस इस मार्ग पर चल रही है, चलेगी और आखरी दम तक उसमें कोअी रुकावटें आयेंगी तो उनका मुकाबिला करती रहेगी। लेकिन अंक ही चीज मैं अपने दोस्तों से और सभी से कहना चाहता हूँ कि कम्यूनल, कम्यूनल करके किसी अंक गिरोह को चुनकर उसके विरुद्ध अगर न बोला जाय तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि जिसमें अंक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक गुह्य है जैसे कि मराठी में ‘गोम’ कहा जाता है। अगर आप बार बार बोलते गये कि आर. अंस. अंस. कम्यूनल है तो अंक सोसायटी बड़ी खुश होती है कि “देखिये, अच्छे तडाके लगा रहा है”। अगर आप मुस्लिम लीग को कम्यूनल कहते गये तो दूसरी सोसायटी खुश होती है और कहती है कि ‘यह बड़े अच्छे तडाके लगा रहा है, अच्छा यही है कि किसी को चुनकर न कहा जाय। काँग्रेस ने यही तरीकारखा है कि बिधर बुधर क्या हो रहा है उसको देखने की कोअी जरूरत नहीं है। अपने सीधे रास्तेसे चलते चलो और सेक्यूलर स्टेट (Secular State) के असूल पर चलो। उसी पर हम आज चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जिस हद तक आपने भी वादा किया है कि आप पूरी तरह से मदद देंगे तो उसके लिये भी काँग्रेस पार्टी आपकी मश्कूर रहेगी।

Shri V. D. Deshpande : I wish to clarify that we feel there are communal elements not only among Hindus, but also among Muslims and other communities as well. Wherever they are they ought to be put down and brought to justice

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a third time and passed.

The motion was adopted.

Presentation of the Report of the Committee on Petitions

Shri Pampan Gowda (Manvi): I, the Chairman of the Committee on petitions present this Report to the House on the following points scrutinised by the committee on the 27th September 1954 :

The subject matter of the petition presented to the House by *Shri K. Ramchandra Reddy, M.L. A.* is 'Granting of pattas to the Harijans, members of the Backward Classes and poor peasants of Nalgonda District,' and is signed by 2,277 persons.

The Petition is in conformity with the Rules and the Committee decided that it be circulated *in extenso* to the Members.

Mr. Speaker: The report is presented.

L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax 2nd Amendment Bill, 1954

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मिस्टर स्पीकर सर, यह सेल्स टैक्स बिल जो अभी हाउस के सामने आया है वह जैसे मौके पर आया है जब कि न अब्बाम और न यह हाउस अपनी ठीक ठीक राय इस पर दे सकता है। पहली बात तो यह है कि जिस बिल के जरिये अब तक ढाभी साल में जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स आये थे उन सब से कजी गुना ज्यादा टैक्स अब्बाम पर लगाया जा रहा है। ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि जिस टैक्स के जरिये हमें तकरीबन १ करोड़ ५८ लाख रुपया—

श्री. वि. के. कोरटकर :—मैं जरा इसको साफ करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने १ करोड़ ५८ लाख कहा है, वहाँ १ करोड़ २८ लाख होना चाहिये। वह जरा हिसाब की गलती है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—जैसा कि अभी फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया तकरीबन १ करोड़ २८ लाख की रकम वे जमा कर सकते हैं। इसके साथ वे यह भी जुम्मीद करते हैं कि सेल्स टैक्स में अिजाफा होगा। इसके माने यह हो जाते हैं कि तकरीबन अेक रुपये फी कस हैदराबाद के लोगों पर इसके जरिये से टैक्स का अिजाफा होनेवाला है। मैं समझता हूँ कि अबतक जिस हाउस के सामने जितने भी टैक्सेशन के बिल आये उनमें जिस कदर बड़े पैमाने पर टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस तरह से जो टैक्स लगाया जानेवाला है उसकी शिद्दत मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह का टैक्स लगाने के पहले अगर हुकूमत अब्बाम की और मर्चेंट्स की राय लेती तो बेहतर होता। मैं जिस मौके पर ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जिस बिल के डिस्कशन को मूलतः कर दिया जाय और अब्बाम की राय, अब्बाम के अिदारों की राय और मर्चेंट्स कम्युनिटी की राय लेने के बाद जिस बिल को अगले सेशन में लाया जा सकता है या इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। लेकिन आज के फार्म में इसको पास करने में किसी तरह से मुनासिब नहीं समझता। हुकूमते हिंद के पास अेक अैसे-

न्शियल कमोडीटीज अँक्ट है और अुसके तहत अजनासे खुर्दनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन मुझे दुःख है कि अुन्होंने यहां अिस पर भी टैक्स लगाने के लिये अिजाजत दी। फायनान्शियल अिटीग्रेसन होने के लिये कस्टम्स और सरचार्ज को दूर करना जरूरी है तो अुसके माने यह नहीं होते कि अुव्वाम पर नये टैक्सेस लगाये जाये और अिस तरह से अजनासे खुर्दनी पर भी टैक्स लगाया जाय। अिसलिये अिसको किसी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। यह कहा जाता है कि १ करोड ७८ लाख का नुकसान हुकूमत को कस्टम्स और सरचार्ज निकालने की वजह से हो रहा है तो अुसके बारे में क्या किया जाय ? फायनान्शियल अिटीग्रेसन की वजह से हमें अिन मुश्किलत का सामना करना पड रहा है अिसलिये मैं कहूंगा कि जब तक हमारे पास अिस नुकसान की भरपायी करने के लिये दूसरे जराये नहीं हैं तब तक हुकूमते हिंद का फर्ज हो जाता है कि वह हमारी ग्रांट बढ़ाये। चाहे राजस्तान हो, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे हैदराबाद हो, अेक जमाना था जब कि कस्टम्स और सरचार्ज अुनके फायनान्स का अेक बडा जुज रहा है। जब हुकूमते हिंद मांग करती है कि ये कस्टम और सरचार्ज न हों तो अुसका फर्ज होता है कि अिनके निकालने की वजह से हमारा जो नुकसान होता है अुसकी भरपायी के लिये वह हमारी मदद करे। लेकिन अैसा न करते हुअे अगर वह अेसेन्शियल कमोडीटीज पर टैक्स लगाने की अिजाजत देती है तो यह बात अिन्सानियत पर मबनी नहीं है। ज्यादा तर स्टेट्स अैसे हैं जहां पर अेसेन्शियल कमोडीटीज पर अिस तरह से टैक्स नहीं लगाया गया है। सिर्फ मद्रास और हैदराबाद जैसे कुछ मुकामात पिर यह लगाया जाता है तो वह कोअी हिसाब पर मबनी नहीं है। अिसकी वजह से अुव्वाम के लये जो मुसीबत पैदा होती है वह किसी तरह से हुकूमते हैदराबाद की अिमदाद के बाअस नहीं होगी बल्कि अुव्वाम में अिससे अेक तरह की बेचैनी पैदा होगी। हमने खास तौर से चीजों की अेक्जेम्प्टेड लिस्ट को देखा। अुसमें यह फर्क नहीं किया गया है कि अुव्वाम की जो मेन गिजा है जैसे चावल, जवार, अिन पर यहां की अुव्वाम गुजारा करती है अुनको अिस लिस्ट से अेक्जेम्प्ट नहीं किया गया है। बल्कि अेक तरह से हर तरह की जरूरी अनाज पर टैक्स लगाया गया है और अिसका अिन्सीडन्स हर शख्स पर डायरेक्ट पडनेवाला है। कहा जा रहा है कि अिनकम टैक्स की तरह यह अिन्डायरेक्ट टैक्स होगा और अनाज मार्केट में आने के बाद वहां पर टैक्स लगेगा। लेकिन अैसी बात नहीं है। चावल की मिसाल लीजिये। चावल की पैडी पर टैक्स लगेगा। चावल तैयार होने के बाद अुस पर भी लगेगा, चावल से जो चीजें होटलों में बनायी जायेंगी अुन पर भी टैक्स लगेगा और चावल के आटे पर भी टैक्स लगेगा। ग्रेन मर्चेंट्स अिसोसिएशन के खाजन और कॉग्रेस के अेक मेंबर श्री कोटूरसत्तैय्या गुप्ताने साफ कहा है कि चावल पर छः पाअिट्स पर टैक्स लगनेवाला है। यानी तीन पाअी के हिसाब से १८ पाअी तक चावल पर टैक्स आयद होगा अिसी तरह से गेहूं और जवार का हाल है। अिसलिये जो पूरे अनाज पर टैक्स आयद किया गया है वह किसी तरह से मुन्सफाना नहीं है। अिस हद तक तो हुकूमत को गौर करना चाहिये और हम समझते हैं कि अिस बिल की मुखालिफत करने के सिवा दूसरा कोअी रास्ता हमारे सामने बाकी नहीं है। मुतवस्सत तबके पर अिसका क्या असर होगा अिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो मालूम होता है कि कस्टम और सरचार्ज निकल जाने की वजह से आम तौर पर ज्यादा चीजें हैदराबाद के बाहर जायेंगी। नतीजतन यहां की चीजों की कीमते बढ़ेंगी और मुतवस्सत और मजदूर तबके को अुन चीजों को ज्यादा कीमत पर खरीदना पडेगा। अिसके साथ साथ ग्रेन्स टैक्स भी आयद

हो जाता है और उसकी वजह में काफी नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। जिस वजह से यह बिल मुन्सफाना नहीं है और हुकूमत को जिस बिल के रीडिंग को मुन्सफा करना चाहिये। अगर फिर भी हुकूमत को यह टैक्स लगाना ही है तो अब्बाम की जो मेन गिजा है उसको हटाकर बाकी चीजों पर टैक्स लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो टैक्स पूरे अजमान पर लगाया जा रहा है वह मुन्सफाना नहीं है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी तक्रार में कहा कि हम कोबी नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो टैक्स निर्फ अंक तबके पर जाँकि अक्सपोर्ट्स व अनपर और खास कर जो बॉर्डर जिलों में थे उन पर पड़ता था उसी को हम तमाम अब्बाम पर राज्य कर रहे हैं ऐसा उनका कहना है। लेकिन यह भुलाया जा रहा है कि जो लोग बाहर अनाज भेजते थे वे बड़े पैमाने पर बाहर से फायदा उठाते थे और जिसलिये अगर कुछ सरचार्ज या कस्टम उनको देना पड़ता था तो वह राजीखुशी से दे सकते थे क्योंकि जब कोबी व्यापार प्रोफिटेबल है ऐसा उनको लगता था उसी वक्त वे माल अक्सपोर्ट करते थे। जिसलिये जो टैक्स लगाया गया था वह उनको अतना ज्यादा महसूस नहीं होता था। लेकिन आज हर जगह जब बाजार में जाकर कोबी चीज खरीदता है तो उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। जिसमें प्राफिट का सवाल नहीं है। हर शक्स को टैक्स देना पड़ेगा। जिसलिये यह जो दलील हाबुस के सामने रखी गयी थी कि मुन्सफाना तौर पर हमने जिसको बांटा है तो उसी कोबी बात आपने नहीं की है बल्कि एक तरह बाहर चीजें भेजनेवाले व्यापारियों की आपने अनिदाद की है क्योंकि आज ये व्यापारी बाहर को काम्प्रीटीशन में यहाँ से ज्यादा माल भेज सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं और आपने मामूली अब्बाम का जब काटा है और अक्सपोर्ट करनेवाले व्यापारियों को आपने रिलीफ दिया है। मामूली अब्बाम के जब काट देते हुअे उनको रिलीफ दिया जाता है तो यह मुन्सफाना पालिसी नहीं है।

आप की यह जो टैक्स आयद करने की पॉलिसी है वह कोबी मुन्सफाना पॉलिसी नहीं है। जिससे तो आम लोगों का ही नुकसान हो रहा है। जिस लिये जिस तरह के टैक्स को आयद करना ठीक नहीं है।

दूसरी चीज में फायनान्स मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूँ वह यह कि आम तौर पर बाजार में जो अनाज आता है उसपर टैक्स लगाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। जब जिस तरह का एक बिल इसके पहले हाबुस के सामने आया था तब काँग्रेस पार्टी के लोगों ने काफी जोर से उस बिल की मुखालिफत की थी। सरचार्ज की भी मुखालिफत की गयी थी। और उस मुखालिफत के कारण उस समय सरकार को वह बिल मुलतवी रखना पड़ा था। लेकिन आज जब हमारे सामने उसी किसम का एक बिल आया है जिसके नतायज उससे भी खराब होनेवाले हैं तब उसी हालत में काँग्रेस के लोग चुप कैसे बैठ रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब जिस तरह का बिल यहाँ पर लाया जाता है जिसका असर तमाम गरीब अब्बाम पर पड़नेवाला है तो आप चुप बैठ रहे हैं और एक और टैक्स आप अब्बाम पर लाद रहे हैं। आप एक छोटी चीज की मुखालिफत करते हैं और आज अतना बड़ा एक टैक्स आयद होने के बाद उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। इसके सिलसिले में मैं अपील करना चाहता हूँ कि यह एक बहुत अहम मसला है और जिस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। जिस तरह

से आप जो टॅक्स आयद करने जा रहे हैं उसका असर हर आदमी पर पड़नेवाला है। और मेरा ख्याल है कि हर आदमी के पीछे एक रुपये का भार जिससे पड़नेवाला है। एक रुपये के जिजाफे का यह सवाल है। जिसका जो अिनसिडन्स पड़नेवाला है वह हर आदमी पर पड़नेवाला है। जिसके बारे में सोचा जाना चाहिये। और एक चीज पर गौर किया जाना जरूरी है।

सिंगल पॉइंट सेल्स टॅक्स पर गौर किया जाना जरूरी है। यह कहा गया कि अिन चीजों पर जो टॅक्स होगा वह एक या दो मर्तबा होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि पेंडी, राजिस, आटा, अिन सब पर टॅक्स लगनेवाला है। यानी अितने मर्तबा वह टॅक्स लगनेवाला है। जिस लिये यह जो टॅक्स लिया जायेगा वही सही है ऐसा सोचना ठीक नहीं है। और यह टॅक्स एक या दो मर्तबा ही लिया जायेगा ऐसा तसब्वूर रखना भी मुनासिब न होगा। जब टॅक्स के बारे में पहली मर्तबा सोचा जा रहा था तभी हमने कहा था कि सिंगल पॉइंट सेल्स टॅक्स रखना चाहिये और आज भी मरचन्ट असोसियेशन की तरफ से यह सजेस्ट किया गया है कि सिंगल पॉइंट के बारे में सोचा जाय तो मुनासिब होगा। आपने मॅच बाॅक्स पर सिंगल पॉइंट सेल्स टॅक्स किया, लेकिन केरोसिन पर नहीं किया जिसकी क्या बजह है यह मेरी समझ में नहीं आयी। अुस वक्त यह कहा गया कि मॅचस छोटे छोटे दुकानों में ज्यादा तर बेची जाती हैं और आम अिस्तेमाल की चीज है। अुसके टॅक्स को कलेक्ट करने में सुविधा हो जिस लिये जिसे सिंगल पॉइंट किया गया है ऐसा कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि आपने केरोसिन पर भी सिंगल पॉइंट सेल्स टॅक्स क्यों नहीं लगाया? वह भी एक ऐसी चीज है कि जिसे आम लोग अिस्तेमाल करते हैं। केरोसिन भी एक ऐसी चीज है जो हर स्थान से नहीं मिलती बल्कि अुसके बेचने के लिये भी एक ही स्थान होता है। वह भी एक कंपनी से हिंदुस्थान भर में बेचा जाता है तो जिसको सिंगल पॉइंट क्यों नहीं किया गया? जिस लिये अिन तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है। जिसके तमाम अंस पेक्ट पर सोच कर जिस टॅक्स की जो पॉलिसी आज की है अुसे रिव्हाअिज करने की जरूरत है। और अुसे सिंगल पॉइंट पर लाने की जरूरत है। जिस लिये मेरा पहला सजेशन है कि जिस बिल को ड्रॉप (Drop) ही किया जाय तो मुनासिब होगा। और अगर ड्रॉप नहीं किया जा सकता है तो कम से कम अुसे जिस सेशन में नहीं लाना चाहिये। जिस तरह जिसे अब आखिर में लाकर पास कराने की अुजलत की जा रही है वह सही नहीं है। जिसे आअिदा जब कभी सेशन हूँगा तब लाया जा सकता है और जिस पर ज्यादा संजीदगी के साथ सोचा जा सकता है। मेरा सुझाव यह है कि दरमियान के वक्त में जिसे अब्बाम की राय के लिये और मर्चन्ट्स की भी राय के लिये भेजा जाय और जिसके बारे में अुनके क्या ख्यालात हैं यह मालूम किया जाय तो मुनासिब होगा। और अुनके जो सजेशन्स आयेंगे अुनकी रोशनी में फिर जिसके अुपर सोचा जा सकता है। जिस तरह जिस अहम बिल को अुजलत से यहां पर पेश कर के पास करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है।

फायनान्सियल अिट्रिब्युशन के जमाने में हमें बहुत कुछ अंसिड्स जो हमारे थे अुन्हे छोड़ना पडा और अुससे हमारा काफी नुकसान हुआ। और हमें जिस नुकसान का मुकाबिला करना पडा है। जब हमने अितना नुकसान सहा है तो अुसे पूरा करने के लिये सेंट्रल गव्हर्नमेंट को हमें अेड (Aid)

देनी चाहिये। और हम चूंकि अपनेको पब्लिक के नुमाँइदे समझते हैं जिस लिये हमें उनको जिस बात की कोशिश करनी चाहिये कि यह जो जनता का नुकसान हो रहा है उसको न हॉने दे। हमने जब कस्टम निकाले हैं और सरचार्ज भी निकालने की कोशिश की जा रही है तब जिस पर से उसकी नुकसान भरपाई करने के लिये अिमेन्शियल कमोडिटी अँक्ट जो कि सेंटर का है उसमें हीला नहीं बनाना चाहिये। जिसे सेक्शन ३१ के तहत अमंड करने की कोशिश की जा रही है।

हमारी यह जो कमी होनेवाली है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है इसके बारे में मैंने अपने ख्यालात हाबुस के सामने इसके पहले भी रखे हैं। हम जागीरदारों को और दूसरे सरमायेदारों को कॉम्पेन्सेशन दे रहे हैं जो कि कुछ करोड रकम है। उसके बारे में जो मुहायदा पुराने जो यहां के सिविल अँडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके और जागीरदारों के बीच हुआ था उसे रिव्यू-अिज करना चाहिये। यह जो नुकसान हो रहा है उसे पूरा करने के लिये मेरा तो यह भी सजेशन था कि अँप्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स आज जो लिया जा रहा है उसे हम बढ़ा सकते हैं। अँप्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स १० हजार रुपये की अपर की आमदनी पर रखा गया है। उसे ३,६०० रुपये की आमदनी पर रखा जाना चाहिये ताकि हमें ज्यादा अिनकम हो। यह भी अेक मेरा सुझाव है जिसके बारे में सोंचा जा सकता है। और भी कबी चीजें छोटी मोटी हैं जिनको सोंच कर निकाला जा सकता है कि हमारा जो नुकसान सरचार्ज और कस्टम निकालने के कारण हो रहा है उसे किस तरह पूरा किया जाय। लेकिन नुकसान के नाम पर कॉमनमॅन (Common man) को टॅक्स अदा करना मुनासिब नहीं होगा। जिससे आप अन्वाम का फायदा नहीं करेंगे और इकूमत की आज की पॉलिसी है कि “to tax the food of the public” यह बिल्कुल सही पॉलिसी नहीं है। जिसलिये जिस बिल को ड्रॉप किया जाय तो ज्यादा मुनासिब है। कम से कम जिसे फिलहाल विड्रा (Withdraw) कर लिया जाय तो अच्छा होगा अितना कहते हुअें मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अध्यक्ष महाशय, यह जो बिल आज हाबुस के सामने आया है उस पर विरोधी दल के लोगों ने काफी विरोध किया और विरोध करते हुअे अुन्होंने कहा कि चूंकि जिस बिल पर जनता की अबतक कोबी राय नहीं आयी है जिस लिये जिस बिल को मुलतवी किया जाय। मैं यह समझता हूँ कि हाबुस में जो नुमाँइदे हैं और जनता की तरफ से चुनकर आये हैं वह बराबर जनता की नुमाँइदगी यहां पर कर सकते हैं। वह जिस बिल के बारे में सोंच सकते हैं और अुन्हे सँचना भी चाहिये। मैं समझता हूँ कि जिस बिल पर जनता ने अपनी कोबी राय नहीं दी है जिस लिये जिसे मुलतवी नहीं किया जा सकता है। जब जिस बिल को मुलतवी करने के लिये कहा जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि जिसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिये। मुझे यह अंदेशा है कि यह बिल जिस लिये मुलतवी करने के लिये कहा जा रहा है कि दरम्यानी वक्त में जिसके खिलाफ मिटींग्ज आदि लेकर अँजिडेशन (Agitation) किया जाय और जो बात जनता के जहन में भी नहीं है उसे अुनके जहन में पैदा किया जाय और दरम्यानी वक्त में गळ्हर्नमॅट पर दबाव लाया जाय कि वे जिस बिल को मँजूर न कर सकें। लेकिन मैं कहना चाहता

हूँ कि जिस तरह से आज जिस बिल को मुलतवी करने की कोयी जरूरत नहीं है। जिस बिल के अपूर अभी तक किसी ने अपनी राय नहीं दी है। ऐसा कहकर बिल को मुलतवी करना ठीक न होगा। सिर्फ अपोजिशन लिडर ने कुतर सीन्नय्या जो बेपारियों के प्रतिनिधी हें अुनके स्टेटमेंट को यहांपर पढकर सुनाया। और अुनके जो आरग्युमेंट्स हें अुन्हें भी हाअुस के सामने रखा लेकिन वाक्या यह है कि आज जो बिल हमारे वित्त मंत्रिजीने लाया है अुससे तो हैदराबाद स्टेट के काश्तकार बहुत खुश हें।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आपसे किसने आकर कहा ? आप किसकी खुशी बोल रहे हें ?

श्री. रतनलाल कोटेचा :—यह जनता का आनंद है। और ज्यादा तर इससे काश्तकारों को बहुत खुशी हुयी है। आपका तो सिर्फ अपोजिशन करने का ही काम है जिस लिये आप ऐसा कह रहे हें।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—पूरे बॉर्डर की क्या आप नुमाअिदगी कर रहे हें ? क्या आपकी ही पार्टि को इसकी नुमाअिदगी दी गयी है ?

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अध्यक्ष महोदय, लिडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो अितनी मुखालिफत कर रहे हें अुनका अुस नाते यह कर्तव्य था कि हमारे फायनान्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देते क्योंकि अुन्होंने सरचार्ज और कस्टम हटाकर जो अेक बडा स्टेप अुठाया है अुस के लिये अुन्होंने अेक भी शब्द शुक्रिये का नहीं कहा। जो अच्छी चीज है अुसको तो कम से कम अच्छा कहना चाहिये था। अुनका जो ड्यू शेयर (Due Share) है वह तो अुन्हे मिलना चाहिये था। लेकिन अुसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया। अुनको अुनका ड्यू शेयर देते हुअे आप यदी चाहते तो आपके आरग्युमेंट भी रख सकते थे। लेकिन आप तो सिर्फ नुकताचीनी करना चाहते हें। सरचार्ज और कस्टम निकाला गया, क्या यह काम भी आपको ठीक नहीं लगा ? मैं हमारे फायनान्स मिनिस्टर साहब को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अुन्होंने यह जो स्टेप अुठाया है अुससे देहातों के काश्तकार बहुत खूश हुअे हें। काँग्रेस पार्टी की यह कयी दिनों की मांग थी। अितना ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की भी इसी तरह की मांग थी। लेकिन मुझे यह देखकर अचरज होता है कि आज जिस बिल का विरोध किया जा रहा है और जो अच्छी बातें की गयीं जिसे आप भी चाहते थे अुनके बारे में अेक भी शब्द आभार का आपके मुहसे नहीं निकल रहा है। जिसके सिलसिले में प्रदेश काँग्रेस कम्पिटि ने अेक रेंजो ल्युशन पास किया था और अुसमें यह ख्वाअिश की गयी थी कि पहले सरचार्ज को हटाया जाय और बाद में कस्टम को भी हटाया जाये। और गव्हर्नमेंट ऑफ अिडियाने भी हमारी गव्हर्नमेंट को कपेल किया। जिसका नतीजा यह हुवा कि आज सरचार्ज और कस्टम हटाये जा रहे हें। जिससे काश्तकार बहुत खुश हें, और जिससे काश्तकारों को बडा रिलिफ मिलनेवाला है। बेपारी कोयी अपने जेबसे जिस सरचार्ज या कस्टम को नहीं देता था। अुसे तो काश्तकारों को ही देना पडता था। यह टॅक्स काश्तकारों को हर पल्ले के पीछे १ रुपये से लेकर ५ रुपये तक देना पडता था। और अुसको यह सरचार्ज और कस्टम तो हमको कभी न कभी निकालना पडता ही था। अुसकी जो कमी होगी अुसे पूरा करने के लिये बिल आज हाअुस के सामने लाया गया है।

यह देखकर मैं मानता हूँ कि हमारी जनता बहुत खुश हुई होगी और अिम काम के लिये वह हमारे वित्त मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देगी।

मैं समझता हूँ कि जब चीजों के प्राजिसेस बढे थे तब सरचार्ज और कस्टम का जो अिन्सिडन्स पडता था वह ज्यादा महसूस नहीं होता था क्योंकि काश्तकारों को चीजों के दाम भी ज्यादा मिन्दने थे। लेकिन जब अनाज की कीमतें कम होती जा रही हैं तब काश्तकारों को और दूसरे लोगों को यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। जब मूंग का भाव २० रुपये पल्ला था तब सरचार्ज दम या आठ रुपया पडता था। यानी सरचार्ज का अिन्सिडन्स २५ से लेकर ५० परसेंट तक पडता है। और जिसी के कारण फिर बॉर्डर्स पर बहुत बडी तादाद में स्मर्गलिंग (Smuggling) शुरु हुवा। लातूर जैसे जो बडे बाजार हैं जो बॉर्डर्स के करीब थे वहां के जो गुंड बेपारी थे अुन्होंने यह स्मर्गलिंग का काम शुरू किया और बेचारे जो गरीब बेपारी थे उनका नुकसान होने लगा। यह स्मर्गलिंग अितना फैला था कि अब जिसे कैसे खतम किया जाय या जिसको कैसे चेक किया जाय यह एक बडा मसला था। जिस के लिये यही रास्ता था कि जिस तरह का जो कस्टम और सरचार्ज जो कि स्मर्गलिंग की असल जड थी उसे ही बंद किया जाय तो स्मर्गलिंग अपने से ही बंद हो सकती था। मैं गव्हर्नमेंट ऑफ अिडिया का भी शुकिया अदा करता हूँ कि अुन्होंने हमारे सरकार को अिम के लिये कंपेल किया कि वह जल्द से जल्द कस्टम और सरचार्ज को निकाल दें। गये डेढ साल तक कौन्सेस पार्टी जिसके लिये प्रयत्न कर रही थी कि यह बात हो जाय और अुसनें भी सेंट्रल गव्हर्नमेंट के पास अपनी जिस मांग को पेश किया था। और आज सेंट्रल गव्हर्नमेंट की मदद से जिसको निकाला गया जिस लिये मैं अुन्हे भी धन्यवाद देता हूँ।

अभी एक ऑनरेबल मेंबर ने अपने भाषण में कहा कि यह जो नया सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है अुसका अिन्सिडन्स (incidence) हर शस्स के पीछे १ रुपया पडेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यह जो हिसाब आपके सामने रखा गया वह सही नहीं है। वैसा नहीं होगा। हिसाब यह किया गया कि हमें डेढ या पावने दो करोड रुपये हासिल करने हैं और हमारे स्टेट की आबादी भी करीब अुतनी ही है तो जिसके माने यह निकाले गये कि हर शस्स के पीछे १ रुपये का अिन्सिडन्स पडेगा। यह जो कॅल्क्युलेशन किया गया वह सही नहीं है। क्योंकि देहात में रहने-वाले जो काश्तकार या मजदूर हैं वे अनाज नहीं खरीदते हैं। अुनकी जवारी या बाजरी वहीं खर्च की जाती है वे अुसे मोल नहीं लेते हैं जिस लिये अुन लोगों पर जिसका ज्यादा भार नहीं पडेगा। देहात का जो अनाज है वह ज्यादा तर वहीं खतम होता है। देहात के लोग बाहरसे अनाज नहीं लेते हैं। देहात में जो मजदूर होते हैं वे भी अपनी मजदूरी अनाज में ही लेते हैं। अुन्हें बाहर से अनाज लेने की जरूरत नहीं पडती। जिस लिये मेरा यह कहना है कि आपको जो कहना है कि जिसका अिन्सिडन्स सब पर पडनेवाला है वह सही नहीं है। जिसका अिन्सिडन्स देहात पर नहीं बल्की औरंगाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल, जालना, अुस्मानाबाद, आदि जो बडे बडे शहर हैं अुन्ही के लोगों पर यह भार पडनेवाला है। और मैं चाहता हूँ कि वहां पर यदि जिस तरह अिन्सिडन्स पडेगा तो कुछ नुकसान नहीं होनेवाला है, और वैसा वह पडना भी चाहिये। अाजतक हैदराबाद स्टेट की रिवायत कुछ ऐसी रही है कि देहातों से टैक्स वसूल किया जाय और अुसका खर्चा अलबत्ता

शहरों पर ही किया जाय। लेकिन अब यह बात नहीं चल सकेगी। हैदराबाद में सिमेंट की सड़कें बड़े बड़े अस्पताल, बिजली आदि सब का अितेजाम अच्छा हो, और उसके लिये देहात के लोगों से टॅक्स लिया जाय यह अब चलनेवाला नहीं है। आज सिटीज में जो टॅक्स लेव्हल है वह बहुत ही कम है और देहातों में यह लेव्हल ज्यादा है। यह जो नया सेल्स टॅक्स वसूल होनेवाला है वह ज्यादातर शहरों से होने वाला है। इसलिये इसकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं है। और इस टॅक्स के लगाने में जरा भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। हमारा जो पैसा कम हो रहा है उसके भरपायी के लिये यदि शहरों से पैसा आयेगा तो कोअी खराब बात नहीं। इस टॅक्स से देहात के लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी।

साथ साथ यह भी कहा गया कि शहरों पर भी इसका ज्यादा भार पड़ेगा। लेकिन फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बताया है कि जवारी या दूसरी जो चीजें हैं उनके भाव तो आज घट रहे हैं। तब यह जो अिन्सिडन्स पड़ेगा वह कोअी ज्यादा नहीं होनेवाला है। मूंग का भाव आज १ रुपये से आठ आने पर आगया है ऐसी हालत में गव्हर्नमेंट को अेक आना देना कोअी बहुत ज्यादा नहीं है।

में दरखास्त करना चाहता हूँ कि आज अब्बाम के दिमाग में जो बातें नहीं हैं अुन्हे आप अुनके दिमाग में भरने की कोशिश न करें। आप यदि जैसे बातें अुनके दिमाग में भर कर अुनको भडकाने की कोशिश करेंगे तो वह ठीक नहीं है। आज जो यह बिल आपके सामने आया है अुसमें आप बगैर किसी हिचकिचाहट के मंजूर कर लें तो अच्छा होगा। जितना कहते हुअे मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री. रूख्माजी. धोंडबा पाटील (आष्टी) :—अध्यक्ष महोदय, आज तक मुझे जितना ताजुब कभी नहीं हुआ जितना की आज यहां पर यह देखकर हो रहा है कि इस बिल को विरोध किया जा रहा है। पहले जमाने में जब कि हमारी पाप्युलर गव्हर्नमेंट नहीं थी तब सरहद के लोगों को कस्टम्स की वजह से कितनी मुश्किलत का सामना करना पड़ता था अुसको हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब हमारी पार्टि की तरफ से अेक आंदोलन चलाया जा रहा था तब सरहद के लोगों को यह कहा गया कि हमें पहले कस्टम खतम करेंगे, और हमारा यह नारा था। यह हमारा ही नहीं बल्कि अुस जमाने में अपोजिशन पार्टि के जो लिडर हैं वे भी यही कह रहे थे और अुनका और दूसरी भी जो मुस्तलिफ पार्टियां थीं अुन सबका यह नारा था कि हम कस्टम्स को खतम करना चाहते हैं। लेकिन आज जब कस्टम निकाली गयी है और अुससे जो नुकसान होनेवाला है अुसकी भरपायी के लिये अेक बिल यहां पर लाया जा रहा है तब हमारे अपोजिशन पार्टि के लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, अेक गलतफहमी हो रही है कि जो कस्टम्स या सरचार्ज निकाले जा रहे हैं अुसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हैदराबाद सरकार ने अिसे निकाला अिसके लिये तो हम अुनकी ताजिद कर रहे हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—फिर अुस काम के लिये आप शुक्रिया क्यों नहीं आदा करते हैं ?

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—शुक्रिया तो अदा करते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ अपना अफसोस भी जाहिर करना चाहते हैं कि दूसरे तरफ से कॉमन मैन को टैक्स करने की कोशिश की जा रही है।

श्री. रूस्माजी घोंडिबा पाटील :—खैर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपने अपने भाषण में तो अंक लब्ध भी शुक्रिया अदा करने के लिये अिश्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस बिल की जितनी बुराई की जा सकती थी वह की गयी और अब भी की जा रही है। अंक जमाना था जब कि जिस कस्टम को हटाने के लिये हमारे अनाड़ी काश्तकार मरने के लिये तैयार थे और उस वक्त हमारे लिडर ऑफ दी अपोजिशन अुनकी हमारी लिडिंग कर के हमें उस काम के लिये आगे बढ़ाते जा रहे थे और अुनके साथ हम बॉर्डर के लोग काम भी करते थे। आष्टी के बॉर्डर के वाक्यात शायद अुनको भी याद होंगे जब कि जिसके सिलसिले में वहां की जनता ने जिस काम के लिये अपना खून बहाया है और गोलियां तक खाईं हैं और आज जब वह मांग सफल की जा रही है तो अपोजिशन लिडर जिसकी मुखालिफत कर रहे हैं। यह देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। कॉंग्रेस ने अंक जमाने में जो वचन अक्वाम को दिया था उसको आज पूरा किया जा रहा है। जिस लिये बॉर्डर की जनता आज बहुत खुश है, और आज मैं अुनकी तरफ से फायनान्स मिनिस्टर साहब का और गव्हर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। गव्हर्नमेंट यह जो कदम अुठाया है उसकी मुखालिफत करने की अपोजिशन पार्टि के लिडर को कोजी जरूरत नहीं थी। अपोजिशन पार्टि के लिडर ने कहा कि अक्वाम को सौंचने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अक्वाम की ही राय थी कि जिस तरह से कस्टम्स खतम किये जायें और जब कस्टम खतम करते हैं तो उसका जो नुकसान होगा उसे पूरा करना तो गव्हर्नमेंट का फर्ज होता है और उस कमीको पूरा करने के लिये ही यह बिल आज हाअुस के सामने आया है। यह बिल कभी भी पीछे हटनेवाला बिल नहीं है। यह तो बराबर पास हो कर ही रहेगा। यह जो सेल्स टैक्स का बिल यहां पर लाया गया है वह लाना जरूरी था और वह बराबर पास होगा जिसमे मुझे शक नहीं है। रजाकारों के जमाने में आंदोलन करते वक्त जिन लोगों ने अपना खून बहाया अुनका अच्छा स्मारक आजतक हमने नहीं किया। उस जंग के जमाने में तीन काश्तकारों की लाशें जिस काम के लिये बहायी गयीं और जो खून बहाया गया उसका ही आज हम सच्चा स्मारक कर रहे हैं अैसा मेरा ख्याल है। अपोजिशन पार्टि का यह कर्तव्य था कि जब अंक अैसा बिल लाया जा रहा है जिससे अैसे तमाम लोगों का सच्चा स्मारक होता है जिन्होंने जिस काम के लिये अपना खून बहाया तो सरकार का आप स्वागत करते। लेकिन आज यह कहा जा रहा है कि जिसे आज न लिया जाय और मजौद तीन महिने का मौका दिया जाय। तीन महीने में तो करोडों रुपयों का नुकसान होता है, और आज जो करफशन है उसकी वजह से भी काफी नुकसान जब आज हो रहा है अैसी हालत में उस की बुनियाद को ही खतम करना जरूरी था और जिस लिये जिस कस्टम्स को बिलकुल बंद कर दिया गया है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपोजिशन लिडर से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है उसकी आप मुखालिफत न करें। यह भी सेंट्रल गव्हर्नमेंट के मशविरेसेही यहां पर लाया गया है। अुन्होंनेजिन चीजों पर सेल्स टैक्स लगाने की जिजाजत दी थी। मेरा तो कहना है कि यह बिल जिससे भी पहले आना चाहिये था लेकिन हमारी गव्हर्नमेंट ने जिसके लाने में काफी देरी की। शायद अपोजिशन मॅबर्स जिसकी मुखालिफत करेये जिब डर से यह बिल जल्दी नहीं लाया गया होगा, अैसा मेरा ख्याल है। कॉंग्रेस ने देरी से ही क्यों न हो लेकिन अंक अच्छा कदम अुठाया है और यह बिल आज हाअुस के सामने रखा है। उसके लिये जिस बिल

का तो आपको स्वागत करना चाहिये था। यह जो नुकसान हुआ है वह सेल्स टैक्स लगाये बिना पूरा नहीं किया जा सकता था, जिस लिये इसे लगाना लाजमी था। कस्टम्स और सरचार्ज खतम करने के बाद हमें करीब ५ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। यह पूरा कैसा करना यह सरकार के सामने सवाल था। यह जो सेल्स टैक्स है वह कोजी गरीब काश्तकार या मजदूरों पर नहीं बैठनेवाला है। यह तो मालदार और बड़े बड़े लोगों पर ही बैठनेवाला है।

[*Mr. Deputy-Speaker in the Chair*]

जो आज तक लाखों रुपये कमाये हैं और गादियों पर सोते हैं उनपर यदि कुछ टैक्स बैठता भी है तो कोजी दुःख की बात नहीं है।

यह कहा गया कि जिस बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजना चाहिये। मेरा ख्याल है कि जिसे सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो भी बिल सिलेक्ट कमिटी के पास जाता है उसमें काफी वक्त गुजर जाता है, और उसमें पैसा भी काफी खर्च होता है। यह एक अहम बिल है और जिसे जल्द से जल्द पास करने की जरूरत है। जिस लिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका यह जो सजेशन है उसे आप वापस लें। यह जो १ करोड़ और ५८ लाख का खसारा आ रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। जिस बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजकर यदि यहाँ से खतम कर दिया गया तो जिसे पास होने में फिर काफी देर होगी और गव्हर्न-मेंट को सेल्स टैक्स के जरिये जो पैसा मिलना है वह काफी कम होगा। जिस लिये जिसे जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिये। एक जो हिसाब बताया गया कि हर शख्स के पीछे १ रुपया ज्यादा होगा वह ठीक नहीं है। यह टैक्स गरीबों पर नहीं बैठनेवाला है बल्कि अमीरों पर ही और जो शहर में रहते हैं अन्ही पर ज्यादा तर बैठनेवाला है। आज तो ६ पाञ्जीका सेल्स टैक्स रखा जा रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर यदि १२ पाञ्जी का भी यह सेल्स टैक्स रखा जाय तो ज्यादा नहीं है क्योंकि यह तो अमीरों पर ही बैठनेवाला है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने यह जो स्टेप आठा है उससे आज स्टेट के तमाम लोग खुश हैं और बेपार बिलकुल खुल्य होगया है और आज हम एक नये सूरज का प्रकाश देख रहे हैं।

पटेल पटवारी, गांव के गुंडे और करोड़गिरी के छोटे मोटे आफिसर का जो एक तबका है हमारा दुश्मन है। हम कहते हैं कि निजाम सरकार का राज खतम होगया है लेकिन उनके लिये अभी कोजी तबदीली नहीं हुयी है। यह जो करोड़गिरी का काला सांप है जिसकी बची हुयी आधी दुम कोटी गयी तो उनको वह अच्छा नहीं मालूम होता था। आज उसके बचे हुये भाग को पत्थर डाल कर खतम करने की कोशिश की जा रही है। उस सांप को बचाने की कोशिश अपोजिशन के लीडर साहब नहीं करेंगे ऐसी मुझे अुम्मीद है। अपोजिशन के लीडर ने यह मांग की कि जिस बिल को वापिस लिया जाय या जिस का डिस्कशन आगे ढकेल दिया जाय तो उसके बारे में मुझे विस्वास है कि वह अपनी मांग वापस ले लेंगे। जिस बिल की मुखालिफत करना ठीक नहीं है। जिसकी अगर मुखालिफत की जायेगी तो उनको देहात के लोगों की बददुआ लेनी पड़ेगी।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि करोड़गिरी निकाल देने के बारे में हमारा खास प्रपोजल था। यह काश्तकार और मजदूरों का मसला है। यह बिल सेल्स टैक्स बिल नहीं है बल्कि अक अमर बिल है। अमर गव्हर्नमेंट का बिल है लोगों की ताकत बढ़ानेवाला बिल है। यह छः पाजी के बजाय बारा पाजी की आशा रखनेवाला बिल नहीं है। कपास, जवार, चावल, बाजरा, अिन चीजों पर से कस्टम और सरचार्ज निकाला गया है तो उसका फायदा काश्तकारों को मिलेगा। अक चीज अभी हमारे दिल में खटकती है और वह यह है कि यह करोड़गिरी पूरी की पूरी आज खतम हो जानी चाहिये थी, लेकिन गव्हर्नमेंट के सामने कुछ दुश्वारियां होने की वजह से वह आज नहीं हो सका। अिम डिपार्टमेंट में जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं उनका गव्हर्नमेंट को अितजाम करना होगा और वह दो तीन महीने के अंदर किया जायेगा। गव्हर्नमेंट ने जब तक करोड़गिरी को नहीं निकाला था हम लोगों को बहुत दुःख होता था। अिसको निकालने के लिये हम लोगोंने पी. सी. सी. को रेकमेंड किया और पी. सी. सी. ने भारत के प्राण पंडित जवाहरलाल नेहरू जो काँग्रेस के सदर हैं और हिंदुस्तान के प्राअिम मिनिस्टर हैं उनके पास यह प्रपोजल भेजा। अुन्होंने हैदराबाद हुकूमत पर शर्त आयद कि की अगर आप सेल्स टैक्स बिठाते हैं तो करोड़गिरी और सरचार्ज को अुठाना पड़ेगा। अुसी शत के तहत यह बिल लाया गया है। अिसके लिये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैदराबाद हुकूमत को और साथ साथ फायनान्स मिनिस्टर को शतशः धन्यवाद दूंगा। आज हमारी मनोकामना पूरी हो गयी। आष्टी तालुके के हरिआजु जगताप और देवराव और लोनी के खाशाबा अिन लोगों ने करोड़गिरी का मुकाबला करने के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है। अिस वक्त वह आंदोलन चलता था तो अपोजीशन के लीडर वहां थे। अुनको अिसके बारे में ममता है असा मुझे विश्वास है। जब वे हम लोगों को अिसके खिलाफ भडकाते थे अुस वक्त अुनको जो प्रेम था वह आज नहीं है, असा मैं नही मानता। अिन लोगों ने अिसके लिये अक जमाने में प्राणों की बाजी लगायी अुनके खून से आज आवाजें निकलती हैं अिसीलिये मैं अिस बिल को अमर बिल कहूंगा और जो लोग अिसका साथ देंगे अुनका नाम भी अमर रहनेवाला है।

अक चीज फायनान्स मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि गरीब काश्तकार और मजदूर तबकेके लोगों से सेल्स टैक्स बराबर अदा किया जाता है, लेकिन जो ल.खोपति और करोड़पति हैं, जो लोगों का खून चूसते हैं, वे सेल्स टैक्स देना टालते हैं, क्योंकि बडी बडी तनस्वाह पानेवाले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के आफिसर अुनका साथ देते हैं। अुन आफिसरों को सख्त ताकीद दी जाय। वे समझते हैं कि असेंब्ली है चीफ मिनिस्टर हैं, अपोजीशन लीडर हैं, सिर्फ बकवास करते हैं, लेकिन हमारा क्या करेंगे अगर वे अपनी तनस्वाह बढ़ाने के लिये हुकूमत के पास रिप्रेजेंटेशन्स करते हैं तो अुसके लिये हमें अंतराज नहीं है लेकिन अुधर हजारों रुपये खाते हैं, यह बुरी बात है। अुनको मालूम होना चाहिये कि सेल्स टैक्स हमारे देश को आगे बढ़ानेवाला है। आज सेल्स टैक्स पूरी तरह वसूल नहीं होता अिसकी वजह यही है कि बडे बडे आफिसर अुसमें गडबड करते हैं। गोरवाला कमेटी का कहना था कि सेल्स टैक्स से करीब आठ करोड की आमदनी होगी, लेकिन हमारे यहां सिर्फ दो या ज्यादा से ज्यादा तीन करोड की आमदनी होनेवाली है। मेरा खयाल है कि अिस साल तकरीबन छः करोड तक सेल्स टैक्स वसूल होना चाहिये, ताकि मराठवाडे के जो छोटे प्रांजेक्ट्स, रास्ते और तकाबी वगैरा के कुश्म बंद पडे हैं वे शुरू किये जा सकेंगे। अितना सेल्स टैक्स अगर वसूल नहीं होवा

तो वह उन आफिसरों की गलती है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे जिस रास्त को छोड़ दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो लोग सिर्फ तनखाह खाते हैं लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं वे हरामखाजू हैं। अगर एक हद तक यह मान लिया जाय कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के आफिसर करप्शन नहीं करते, लोगों को नहीं सताते तो कम से कम अितनी बात निश्चित है कि वे अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते। जिस काम के लिये जितना वक्त देना चाहिये उतना नहीं देते। हमारे यहां के व्यापारी राजपुताने से आते हैं और उनका बहीखाता रखने का ढंग असा है कि हमारे आफिसर उसको नहीं समझ सकते। अगर उनको 'अप्पाजी' लिखना है तो वे लिखेंगे 'अपज' जिस लिये उनसे जितना सेल्स टैक्स वसूल किया जाना चाहिये उतना नहीं किया जात। अगर ऑफिसर अिन दुश्वारियों को नहीं समझ सकते तो हुकूमत से मेरा एक सजेशन है कि व्यापारियों से सेल्स टैक्स किस तरह से वसूल किया जाय जिसके बारे में अफसरों को सलाह देने के लिये असेंबली के मंत्रियों की और कुछ नॉनआफिशियल लोगों की सेल्स टैक्स सलाहगार समिति मुकर्रर की जाय। जब तक असी कमेटी कायम नहीं की जाती तब तक गोरवाला कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सात करोड़ की सेल्स टैक्स से आमदनी होगी या नहीं इसको मालूम नहीं किया जा सकता और जब तक असी कमेटी मुकर्रर नहीं होती तब तक सात करोड़ सेल्स टैक्स भी वसूल नहीं किया जा सकेगा। अगर असी कमेटी कायम की गयी तो गोरवाला कमेटी की सिफारिश सही है या नहीं मालूम हो जायेगा। मैं अुम्मीद करता हूँ कि अगले सेशन तक हमारे यहां से करोडगिरी पूरी तरह से खतम हो जायेगी और फिर यह काला सांप हमारे सामने नहीं आयेगा। मैं हुकूमत को जिस बिल के पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूँ कि अन्होंने अच्छे वक्त पर जिस बिल को लाकर लोगों के दिलों में दिलासा प्राप्त करा दिया है। आखिर में मैं अितना ही कहूंगा कि जिस बिल को पास करने में जिस ह्दुस की अिज्जत है, गव्हर्नमेंट की अिज्जत है और तमाम सियासी पार्टियों की अिज्जत है।

* شری اناجی راؤ گوانے (پربھی) :- مسٹر اسپیکر سر - جو بل ہمارے سامنے آیا ہے اوس کے تعلق سے آنریبل فنانس منسٹر نے یہ بتلایا ہے کہ کسٹم (Custom) اور سرچارج (Surcharge) نکال دینے کی وجہ سے آمدنی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے اوس کو پورا کرنے کے لئے یہ بل مجبوراً ہاؤس کے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ کسٹم اور سرچارج نکالنے پر میں انہیں دھنیہ واد ضرور دیتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہونگا کہ سیل ٹیکس کے سو روپ میں ٹیکریشن بل (Taxation Bill) جو لایا جا رہا ہے اوس کی وجہ سے جو بار لوگوں پر پڑیگا اون کا شراب بھی اون کو ہی سپن کرنا پڑیگا۔ آنریبل ممبرس فرام پاٹودہ اور آسٹی جو بارڈر کے رهنے والے ہیں انہوں نے اپنی سوارتھی نظر سے ہاؤس کے سامنے کچھ باتیں کہی ہیں۔ میں اون کہنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ کسٹم اور سرچارج رھنا چاہئے لیکن علاج کا یہ طریقہ نہیں کہ آدمی کے جسم پر کسی جگہ زخم ہو تو اوسی آدمی کا کان یا ناک کلٹ کر زخم پر لگادیا جائے۔ میں اس کو پسند کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ٹیکریشن کا اصول تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کا بار اون لوگوں پر پڑے جن کی نیوریاں اور جیب اوس بار کو برداشت کر سکتے ہیں۔ نہ کہ اون لوگوں پر پڑے جو زندگی کسی نہ کسی

طرح بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جیسا کہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ جتنا کی ہر کمیونٹی کی رائے لی جاتی تو اچھا تھا۔ آنریبل ممبر فرام پاٹودہ نے گھبرا کر یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے ممبر اس بل کو لیکر رولنگ پارٹی کے خلاف پروپگنڈہ کے طور پر استعمال کرینگے۔ میں اون سے یہ کہونگا کہ آپ بھی تو اون کی نمائندگی کرتے ہیں آپ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں آپ بھی اپنا پروپگنڈہ کیجئے۔ جتنا اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ایسی ذہنیت کا مظاہرہ کرے۔ جس بل کا اثر جتنا پر ہوتا ہے اوس کے متعلق ہمارا یہ کام ہے کہ جتنا کو اوس کے بارے میں سمجھائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور قصانات کیا ہیں۔ یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، ہم بھی بتا سکتے ہیں پھر اس کے متعلق آنریبل ممبر فرام پاٹودہ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت کیا تھی۔ ہمیشہ جس طرح کہا جاتا ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپوزیشن پارٹی اس کو اپنے پروپگنڈہ کے لئے استعمال کریگی۔ میں کہتا ہوں کہ خود آپ کو اپنا پول کھل جانے کا ڈر ہے۔ میں آنریبل فینانس منسٹر سے کہونگا کہ عوام سے اس بارے میں مشورہ لینا ضروری تھا۔ اس آمدنی کو تو پورا کرنا پڑیگا اس کے لئے اور بہت سے راستے کھلے ہوئے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آمدنی میں کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ کے سامنے سیل ٹیکس لگانے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگزیمپشن لسٹ (Exemption list) میں جو کوئی بھی گڈس (Goods) ہوتے ہیں اونہیں پریانٹ ٹیکس لگانے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں۔ اس کے متعلق اگر اپوزیشن کے ممبرس سے نہیں تو خود اپنے آئیٹیلس اور اکنامسٹس (Economists) ہی سے مشورہ کیا جاتا تو اچھا تھا۔ بمبئی گورنمنٹ نے پروہیبیشن (Prohibition) کے ذریعہ ایک کثیر آمدنی کو ختم کر دیا۔ لیکن انہوں نے اس کے لئے اسیٹیل گڈس (Essential goods) پر ٹیکس نہیں لگایا۔ آپ بھی ایسے ہی سورس (Sources) نکال سکتے تھے۔ فوڈ گرینس یا اسیٹیل گڈس پر ٹیکس لگانے سے اس کا اثر غریب کسانوں اور کامن میان پر ہوگا۔ آنریبل ممبر فرام پاٹودہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے سیل ٹیکس کی پوری رقم سکندر آباد اور حیدرآباد سے وصول ہوگی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دوسروں پر کیسے اثر نہیں ہوگا۔ خصوصاً اس میں دو چار آئٹمز ایسے ہیں جن کا تعلق حیدرآباد سے سکندرآباد سے نہیں ہے۔ مثلاً کیروسین آئیل۔ اس کو کہاں بیچا جاتا ہے اور کہاں سے اس کا ٹیکس وصول ہوگا۔ آئیل ٹیکس کی آمدنی جو ساڑھے چھ لاکھ ہوگی وہ کیا حیدرآباد اور سکندرآباد سے وصول ہوگی یا دیہاتوں سے وصول کی جائیگی۔ کٹن پر بھی جو پرجیز ٹیکس (Purchase tax) وصول ہو رہا ہے وہ کس سے وصول ہو رہا ہے۔ کاشتکاروں سے وصول کیا جاتا ہے یا خریدار اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ مارکٹ میں جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اوس کا حساب لگا کر ہی خریدنے والا اپنا بھاؤ طے کرتا ہے۔ گویا ان ڈائریکٹلی (Indirectly) کاشتکاروں سے ہی وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ آپ گویا کاشتکاروں کی وکالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ تجارت پیشہ طبقہ کی وکالت کر رہے ہیں۔ اور چنانہ کاشتکاروں کا لے رہے ہیں۔

کائن پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے خریدار اپنی جیب سے نہیں دیتا بلکہ وہ کاشتکاروں سے وصول کر لیتا ہے۔ یہ بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس سے جو ایک کروڑ کی آمدنی ہونے والی ہے وہ بھی کنزیومر (Consumer) سے ہی وصول ہوگی۔ (۱۰) پرسنٹ مالدار ہیں اور (۹۰) پرسنٹ غریب لوگ ہیں۔ اس لئے لازماً اونہیں پر اس کا اثر پڑیگا۔ ڈائریکٹری ہو چاہے ان ڈائریکٹری ہو پہلے بھی جو بل کیش کراپس (Cash crops) پر ٹیکس لگانے کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آیا تھا ہم نے اوس کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ لیکن اس میں بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بھی اسٹیشنل گڈس کی تعریف میں آتے ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ جسکے بغیر کوئی آدمی دو دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر گھر میں چراغ لگایا جاتا ہے۔ اس بل کے پیش ہونے پر آنریبل ممبر فرام پاٹوڈہ خوش ہو رہے ہیں۔ میں کہوںگا کہ یہ اوپر کی شکرے جو آپ چاٹ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں لیکن جب یہ زہر حلق کے نیچے اترے گا تب معلوم ہوگا۔ کسٹم اور سرچارج تو ختم کر رہے ہیں لیکن اس کمی کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے۔ آنریبل فینانس منسٹر نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا ”میں جانتا ہوں کہ اس کا اثر کنزیومر اور ملک کے ایک بہت بڑے طبقے پر پڑیگا۔ لیکن میں مجبور ہوں“۔ مجبوری بتلانے سے کام نہیں چلیگا۔ آپ کے پاس اس کے لئے اور کئی طریقہ ہوسکتے تھے۔ آنریبل ممبر فرام آسٹی کود کود کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ لگایا تھا۔ ہمارے لوگ شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو نظام کو بھی ختم کرنے کا نعرہ لگایا تھا اور جس کے لئے ہم اور آپ دونوں مل کر احمد نگر کے بارڈر پر لڑے تھے۔ آپ نے جاگیرداروں کو ختم کرنے کے لئے نعرہ لگایا تھا اور بہت سی چیزوں کے متعلق نعرہ لگایا تھا۔ لیکن اب اون چیزوں کو ختم کرنے کے لئے آپ کی زبان نہیں اٹھتی۔ ایک چیز کو ختم کر کے اوس کی بجائے دوسری مصیبت دینے والی چیز ہمارے سامنے رکھی جانی ہے۔ صرف نعروں سے خوش ہو کر یہ کہنا کہ آج جو بل لایا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔

میں آنریبل فینانس منسٹر سے عرض کرونگا کہ وہ اس بل کے متعلق پھر سوچیں اور آج اس کو ملتوی کریں۔ آج عوام اس ٹیکس کو نہیں دے سکتے۔ یہ بار اون لوگوں پر پڑنے والا ہے جو کھانے کیڑے اور گیس کے تیل کی ایک چمینی جلانے کے لئے محتاج ہیں۔ اگر آنریبل فینانس منسٹر اس کو اب ملتوی کر کے بعد میں سوچکر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں تو ہم بھی اس ضمن میں اپنی اسکیمس اون کے سامنے رکھینگے۔ لیکن اگر آنریبل منسٹر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ ہم کو کانفیڈنس (Confidence) میں لینا نہیں چاہتے تو یہ اور بات ہے۔ بمبئی اسٹیٹ میں بھی ایسے بڑے ٹیکس نہیں لگائے جارہے ہیں ہمارا اسٹیٹ تو اس سے چھوٹا ہے۔ آنریبل منسٹر کو از کم اس پر غور کریں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

* شری بی۔ ڈی۔ دیشمکھ (بھوکردن - عام) :- مسٹر اسپیکر سر۔ آج جو بل
ھاؤس کے سامنے ہے وہ سیلس ٹیکس کی ترمیم کا بل ہے۔ اس کے ذریعہ یہ کوشش کی جا رہی
ہے کہ ۱۹۵۰ ع کے قانون کے تحت جو شیڈول (۱) کے آئٹمز تھے ان کو نکال دیا جائے
اور تقریباً سوا کروڑ روپیہ کا ٹیکس عوام کے سر پر لا دیا جائے۔ اوس طرف آنریبل
ممبرس فرام آشی اور پاٹودہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پر آنریبل فینانس
منسٹر کو دھنیہ واد دینا چاہئے۔ لیکن انہیں کونسے شوگر کوئٹہ پلس (Sugar quoted pills)
کھلانے گئے ہیں جن کے باعث وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کروڑ بیس بیچس ہزار کے
ٹیکس پر ٹریژری بیچس کو مبارکباد دیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم بل ہے۔
اس کے ذریعہ سرچارج اور کسٹمز ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن میں اون سے پوچھنا چاہتا
ہوں کہ فینانشیل انٹیگریشن (Financial integration) کے بعد تقریباً چار سال
تک دستور کے خلاف عمل کرتے ہوئے ان کو برقرار رکھا گیا۔ عوام سے نوٹ کھسوٹ
کر کے خزانہ کو پر کرتے رہے۔ چار سال پہلے جو چیز ختم ہو جانی چاہئے تھی اس کو ختم
نہ کر کے ٹال مٹول کرتے رہے اور ممکن تھا کہ مزید دو سال تک اس کی ٹال مٹول کرتے
اگر سنٹرل گورنمنٹ انہیں اس کی اجازت دیتی تو پھر کس بات کے لئے انہیں مبارکباد دینا
چاہئے۔ حکومت نے کونسی نئی چیز کی ہے جس کے لئے دھنیہ واد دینا چاہئے۔ سیلس ٹیکس
ڈپارٹمنٹ کی جو آمدنی ہونا چاہئے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی آمدنی گھٹ کر ایک کروڑ ستر
پچھتر لاکھ تک آگئی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لئے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اس کے
اسپلیکیشنس (Implications) کیا ہونگے۔ اس کے کیا اثرات عوام پر پڑنے والے ہیں
اون سے آنریبل ممبرس کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اون کو نو آنریبل ممبر سمجھ نہیں
رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مبارکباد دیجئے۔

میں آنریبل موور آف دی بل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیڈول (۱) میں جو ضروری
اشیا رکھی گئی تھیں اون میں سے ہر ایک پر ڈبکس لبا جا رہا ہے لیکن کیا کوئی اس کی
حد بھی ہے۔ اب اس میں صرف بیس اشیا باقی رہ گئی ہیں۔ میں پہلے بل کے حوالہ میں
اور اس بل کے حوالہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے سگریٹ کو پھر مباحس کو پھر
اب کیروسین پریٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ پریسیڈنٹ نے اس کے
منظوری دی ہے یا نہیں اگر منظوری بھی دی ہے تو وہ صاف نہیں ہے اور منظوری کے باوجود
بھی ہمیں اس کی سختی سے مخالفت کرنا ہوگا۔ اگر ایسا بل صرف مدراس میں پاس کیا گیا
ہے تو وہاں بھی اس کی سختی سے مخالفت ہو رہی ہے ورنہ سارے ہندوستان میں تو اسینشیل
گڈس پر ٹیکس لگانے کی کسی اور صوبائی حکومت نے جرات نہیں کی ہے۔ اس لحاظ سے ہاری
حکومت نے جو اقدام کیا ہے وہ کسی مفید نتیجہ کا حامل نہیں ہوگا۔

اس بل کے ایس اینڈ آجیکٹس (Aims & Objects) میں بھی یہ بتلایا گیا
ہے کہ اس قانون کو آمدنی بڑھانے کی غرض سے نہیں لایا گیا ہے بلکہ جو نقصان ہو رہا ہے
اس کی تلافی کے لئے لایا جا رہا ہے۔ میں خاصی طور پر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد

میں ایک ٹیکس کی کمی کے بعد کتنے جدید ٹیکس عائد کئے جا رہے ہیں اور بحیثیت مجموعی ٹیکزیشن ہمارے پاس کس نوبت پر پہنچ گیا ہے۔ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے محض اس آواز پر کہ سرچارج اور کسٹمز کو ختم کر رہے ہیں اس بل کی تائید نہیں کی جاسکتی اگر دستور کے تحت سنٹرل گورنمنٹ ہم سے یہ کہتی ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہتے تو اس سے ہماری جس قدر آمدنی متاثر ہوتی ہے اس کی پائیائی کرنے کی ذمہ داری بھی سنٹرل گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے لئے ہم مرکزی حکومت سے مانگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہماری حکومت سنٹرل گورنمنٹ سے لڑتی ہے تو اس کی تائید کرنے کے لئے ہم بھی تیار ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دستور کی روشنی میں بھی ہماری حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ سنٹر نے ہمارے انکم ٹیکس اکسائز ڈیوٹی۔ ریلوے اور پوسٹ اینڈ ٹیلیگرافس کی آمدنی لے لی ہے جو ہمارے خاص ذرائع تھے اور اس کے لئے مختلف کمیٹیوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہم مانگ کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت خائف اور ڈریوک بن رہی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ہاؤس میں ایک ریویویشن بھی لایا گیا تھا لیکن اس کو نامنظور کر دیا گیا اور اب ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ میں آنریبل ممبرس سے کہوں گا کہ اگرچیکہ اس بل سے دو کروڑ تک بھی ممکن ہے کہ آمدنی ہو لیکن اس کا اثر ہمارے چولہوں پر پڑنے والا ہے۔ غریبوں کے پیٹ کا سوال آتا ہے اس لئے سنجیدگی سے غور فرمائیں۔ یہ ایسا ٹیکس ہے جو ہمارے ۹۹ فیصد لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس لئے اس پر جذبات کی رو میں بہتے ہوئے نہیں سوچنا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہاؤس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیٹڈ گڈس (Exempted goods) کو اس قانون کی زد میں لانے کا یہ ایک مضر طریقہ ہے۔ اس جانب آنریبل ممبر فار پربھنی نے اشارہ کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گذشتہ وقت بھی اوس کو اس وجہ سے واپس لیا گیا تھا کہ ہاؤس میں اس کی سختی سے مخالفت کی گئی اور اس میں چند قانونی دشواریاں بھی تھیں۔ اس لئے اس بل کی ہمیں جذباتی طریقہ پر تقریر کرتے ہوئے تائید نہ کرنی چاہئے۔

اس کے بعد میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرچارج اور کسٹم ڈیوٹی کا صرف ایسے لوگوں پر اثر پڑتا تھا جو مستاجر ہیں اور وہ یہاں سے مالی باہر بھیجتے ہیں۔

سنٹر ڈپٹی اسپیکر:۔ جو آرگيومنٹس (Arguments) پہلے آچکے ہیں ان کو نہ دہرائیے۔

شری بی۔ ڈی۔ دیشمکھ:۔ میں کیپاس اور دالوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کرونگا جنہیں اسٹیٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو تاجر منافع کی ہوس میں باہر بھیجنا شروع کر دیں تو ممکن ہے کہ ان کی قلت کی وجہ سے ایک طرف قیمتیں بڑھ جائیں اور دوسری طرف ان پر ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے۔ سرچارج کے برخاست کرنے کے بعد اس کا امکان ہے کہ اڑد اور سونگ وغیرہ ہمارے متصلہ پراونسس مدراس اور مدھیہ پردیش

وغیرہ کو برآمد کی جائیں۔ اس خطرہ کی طرف بھی آنریبل منسٹر توجہ فرمائیں اور کنزیومرس پر قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو خطرہ ہو سکتا ہے اس کا لحاظ کریں۔ جیسا کہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے فرمایا یہ بل ہاؤس کے سامنے بڑی عجلت میں لایا گیا ہے اس لئے اس کو آئندہ سشن تک ملتوی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تقریباً ۶۶ لاکھ روپے وصول کئے گئے ہیں لیکن اگر اس کو دو چار مہینے کے لئے ملتوی کیا جائے تو اس سے حکومت کی آمدنی میں کوئی خاص خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لئے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو کم از کم آئندہ سشن تک ملتوی کیا جائے۔

**Shri L. K. Shroff* (Raichur): Mr. Speaker, Sir, this is probably the sixth or the seventh amendment of the Sales Tax Act of 1950 which we are considering today. Though we had an amending Bill only a few days ago, still, we do not feel sorry that this amending Bill has again been brought before the House. The context in which this Bill has been placed before the House is something that is exhilarating, something that is making us feel very joyous.

As has already been stated before by hon. Members who preceded me, this amending Bill of the Sales Tax has been brought here to make up the loss that will be incurred by the Government as a result of the removal of the surcharge on certain commodities and the customs duty on the same commodities.

Opposition has been expressed by Members of the Opposition to the imposition of sales tax on certain essential commodities. But I do not know why they feel so,—is it because that this Government did not wait to be demanded by the Opposition Members in the next Budget Session that this surcharge must go, is it because that they have missed the bus thus, that they are feeling so? I hope my fear is wrongly placed.

It is true that the surcharge and the customs have been levied for these past four years or even after integration. Customs duty on imports has already been removed and now it is proposed to remove the surcharge on those commodities which was being levied hitherto.

We have already been told that the Government is sustaining a loss of 65 lakhs of rupees by removing the surcharge and about a crore and 13 lacs by removing the customs on

those items on which surcharge is being removed. Altogether there will be a loss of 1 crore 78 lakhs to the Government on these two items only. Having sustained such a heavy loss the Government has got to think of some other source of income to make up the loss ; and the Government has thought of levying sales tax on some of those commodities on which it has not been levied before.

Of course, hon. Members of the Opposition have said that the customs and other sources of income which we have lost have been lost by us as a result of the financial integration and therefore we have got a right to demand from the Centre to grant subvention to make up the loss. It is very well known to the House, Sir, that the Government of India was granting a subvention of Rs. 1.19 crores until the financial integration and after that the subvention has been increased year after year and today we are receiving nearly 4 crores of rupees. Only the other day, the hon. Minister for Planning told the House that in the three years of the first Five-Year Plan the Government of India has given us 10 crores of rupees. They had promised 10 crores for the whole period of five years. So, it cannot be said that this Government has not been demanding of the Centre its due share of the central source of income on the items from which it has lost its own income. And hereafter also it cannot be said that this Government will keep quiet and will not demand to make up or reimburse the loss that has been incurred now.

As I said before, I feel that because the Government has taken courage in both the hands and removed both the big items of income without getting any demand from the Opposition Members and much earlier than the hon. Members had expected the Government to do, there is this feeling probably.

Well, Sir, it is said that this sales tax on essential food-grains is going to hit the poor villager and the labourer so much. Hon. Members of the Opposition have taken every conceivable opportunity of representing the villager and the poor labourer. But what are the facts? Let us be guided by facts and let us not be carried away by emotion.

Here is the Government sustaining a loss of 1.78 crores on account of the removal of these two items. If sales tax

is levied upon cereals it is estimated about a crore of rupees will be got. Crore of rupees, Sir, from 1 crore and 85 lakhs of the population of this State. Even assuming the arguments of the Opposition Members are quite correct that even the poorest of the villager will be getting the incidence of this tax, what, after all, is the incidence of tax on the villager or every one of the people of the State? It will be about half a rupee, Sir, for the whole year—about half-a-rupee for the whole year on each individual of the State. Would it be too much, Sir? Would it be too much for any individual to bear this burden? After all, I would like to ask also, is it the contention of the hon. Members of the Opposition that this surcharge and the customs that were being levied were got from the pockets of the merchants and other peoples? Certainly not. Every incidence of tax, whether it falls upon the merchant or the middleman or anybody else, finally falls upon the villager and the producer. He was paying altogether surcharge and customs included something like 10 to 30 or 35 per cent of the actual value of the foodgrains and other commodities that were being exported from the State and he is made to pay about half a rupee or so for the whole year on the foodgrains that he may have to buy,—even supposing that every one of the 1 crore 85 lakhs of the people of the State are going to buy foodgrains also which is far from truth.

Again, it was said, is not the villager buying kerosene and will he not be forced to pay sales tax on it? What is the income that the Government gets on kerosene by way, of sales tax? It is 3 lakhs of rupees; it is not even 3 lakhs of rupees, Sir, I am sorry, it is 30 thousand,—30 thousand on the whole population of the State for the whole year, and supposing also that the villager burns the midnight oil. What a contrast? We have got to be very careful in judging facts.

Again it was said on cotton also there will be sales tax. As a matter of fact there was sales tax even on cotton. There was surcharge on cotton seeds and kapas which fetch an income of 40 lakhs of rupees to the State Exchequer. Having removed that and having levied sales tax on cotton the Government will be getting extra 12 lakhs. That is the Government is losing 40 lakhs and getting 12 lakhs, that is, it is putting 28 lakhs of rupees back into the pockets of the villager. Opposition has been taken very forcefully to this amending Bill that is placed before the House.

Of course, we should thank the hon. Members of the Opposition for having said that if the Government is going to put forth its claims before the Centre they will also support them. Government is certainly going to place its claims before the Centre and I am sure the hands of the Government would be strengthened further by the support that would be given by the Opposition Members. But to say that this sales tax on cereals and other commodities is going to hit hard every one of us is to say something that is not quite true. As has been already pointed out most of the villagers do not buy their foodgrains and other commodities from shops. Their needs are very few and they generally satisfy themselves by producing them in their own fields and gardens. So the incidence of this tax will be mostly upon the people who dwell in the cities and towns and they should not grudge this because that would help them. It would be by accepting this kind of tax that they would help the poor ryots of the villages, because they would be helping them to get back about 28 lakhs of rupees into their own pockets.

Therefore, Sir, I hope that the opposition that has been levelled so far by some of the hon. Members and the hon. Leader of the Opposition will not be repeated or voiced forth again by other members from the Opposition who will follow me in the discussion now.

* شری کے۔ وینکٹ راماراؤ (چنا کونڈور) :- مسٹر اسپیکر سر۔ ہاؤس کے سامنے اس وقت سیلس ٹیکس کا بل آیا ہوا ہے۔ شائد یہ دوسری مرتبہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سشن میں سیلس ٹیکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس آتے رہے۔ اس سشن میں سیلس ٹیکس پر دو ترمیمات آئے۔ ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم نے اس بل کے لانے پر آنریبل منسٹر کو مبارکباد نہیں دی۔ مجھے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ آنریبل ممبر اس بل کو پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں فرمائے ہیں۔ اس بل کے ذریعہ سرچارج کو ابالش (Abolish) نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے لئے تو ابھی زمانہ درکار ہے۔ اس کے لئے آپ ابھی سے مبارکباد دیتے جائیں تو آپ کے دہنیہ وادوں کے حزانے ابھی سے خالی ہو جائینگے۔ اس لئے وہ شکریہ کسی اور دن کے لئے محفوظ کر دیں تو اچھا تھا۔ یہ ان ڈائرکٹ ٹیکس ہے۔ اور اس کا اثر ہر شخص پر پڑنے والا ہے۔ سرچارج کے سلسلہ میں بیان کیا گیا کہ کسان کے پاس سے وضع کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپورٹ (Import) اور اکسپورٹ (Export) کے تعلق سے سرحد کے بیوپاری ہی متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پورے ملک سے مال وہاں آتا ہے۔ ایسے مقامات پر لوگوں سے سرچارج وصول

نہیں کیا جاتا۔ البتہ ایسے اشخاص جو اکسپورٹ کرتے ہیں انکو اپنے جیب سے بھرنے کی نوبت آتی ہے۔ اسطرح کا امپورٹ اور اکسپورٹ کا بیوپار کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے فائدے کے لئے آپ پورے اسٹیٹ کے رہنے والوں پر بار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکا کہاں تک جواز ہو سکتا ہے۔ سیل ٹیکس کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کاشتکار جوار یا جرا یا دھان فروخت کرنے کے لئے جونہی بازار میں جائیگا اوسکی باتہ سیل ٹیکس اوسکو دینا پڑیگا۔ یہ غلط تصور ہے کہ سیل ٹیکس صرف تاجر کو ہی دینا پڑیگا۔ تاجر تو سیل ٹیکس کی جو رقم ہوگی وہ وضع کر کے رقم کسانوں کو ادا کریگا۔ کسانوں کی ہمدردیاں جتانے والوں کی توجہ میں اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اگر ریکلچرل گرین (Agricultural grain) کی قیمتیں اب بھی گر رہی ہیں اور انکی قیمتوں میں کمی کا امکان پیدا ہو جائیگا کیونکہ تاجر ڈائریکٹ طور پر سیل ٹیکس ادا نہیں کریگا بلکہ وہ بھی کسانوں سے وصول کریگا۔ اس طرح کا ٹیکس لگا کر پھر کس منہ سے آپ کسانوں کی تائید کریں گے۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ اسکو ملتوی کرنے کے لئے ایجیٹیشن (Agitation) کیا جائیگا۔ اسکے جواب میں میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ان ڈائریکٹ ٹیکس (Indirect tax) ہے۔ اس کا اثر کن لوگوں پر ہونے والا ہے اس پر غور کئے بغیر ٹیکس عائد کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے کسانوں پر بار پڑیگا۔ خود کسانوں کے فروخت کرنے کا جب زمانہ ہوتا ہے اوس وقت اتاج کی قیمتیں گری ہوئی ہوتی ہیں۔ جب پورا غلہ دیہات سے نکل کر شہروں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کسانوں کو خرید و فروخت کے لئے شہروں میں آنا پڑتا ہے اور اوس وقت اوسکو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑیگا۔ معمولی معاشیات کا اصول جاننے والے ہی پر موقوف نہیں بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسانوں کو جب دوبارہ ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ قیمت ادا کر کے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اسکو بھی سیل ٹیکس ادا کرنا پڑیگا۔ اس شیڈیول (Schedule) میں مرچ، املی وغیرہ جیسی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جن سے کسانوں کو روزمرہ کام پڑتا ہے۔ وہ ان چیزوں کی حد تک خود مکفی ہیں یہ غلط فہمی ہے۔ وہ زمانہ اب نہیں رہا اب دنیا بدل گئی ہے۔ دیہات کی زندگی بھی اب شہروں سے وابستہ ہو گئی ہے۔ شہروں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انکا اثر برابر دیہاتوں پر پڑتا ہے۔ شہروں میں کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو لازماً دیہات میں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سرچارج کی ہم مخالفت کر رہے ہیں لیکن اس بل کو ڈیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بل پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ واڑی کا ٹکٹ لٹے ہیں اور ورنکل جارہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پاپا تم نے واڑی کا ٹکٹ لیا ہے اور تم ورنکل جا رہے ہو تو اسکو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ تاجروں پر بھی اسکا اثر پڑنے والا ہے اور کسانوں پر بھی پڑنے والا ہے۔ پٹھی بھر لوگوں کے فائدے کے لئے جملہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ اسطرح

سرچارج کو ختم کر کے عوام پر یہ ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے
حیدرآباد کی جنتا پر اس طرح سیاسی ٹیکس عائد کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ پارٹیوں
سورس آف انکم (Positive Sources of Income) بھی بتا رہے ہیں
اور کنسٹرکٹیو سجزیشنس (Constructive suggestions) بھی دے رہے ہیں مگر
بد قسمتی یہ ہے کہ اس طرف کے آریبل ممبرس کے کانوں تک وہ نہیں پہنچتے ہیں۔
آریبل فیئانس منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ اگزمنٹیڈ گڈس میں اضافہ کریں گے اور اگریکنچرل
انکم ٹیکس کو ہم مان لینگے لیکن دو سال ہوئے اسکے باوجود اب تک ایسا بل نہیں
لایا گیا ہے۔ اوسکو ویسا ہی رکھ کر سیل ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس پر ہمیں اعتراض
ہے۔ اکسپورٹ کرنے والوں کو سرچارج کے ختم کرنے سے ریلیف مل جاتی ہے ایسی
صورت میں اون ہی لوگوں پر اسکا بار عائد کیا جائے تو ہمارے اعتراض کی نوبت ہی
نہیں آتی۔ بجائے اسکے جملہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلئے
ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اکسس پرافٹ ٹیکس (Excess Profit tax) کے
طور پر حکومت کوئی بل لاسکتی ہے اسی طرح اور بھی کئی سجزیشنس ہو سکتے ہیں۔
اسلئے میں کہوں گا کہ جلدی میں اس بل کو پاس کرنے کی بجائے اسکو ملتوی کیا جائے۔
سرکاری خزانے کے نقصان کی بھرپائی کے لئے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں اون پر ہم اور
آپ ملکر غور کر سکتے ہیں۔ ایجیٹیشن وغیرہ سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ
اگر ایجیٹیشن ہو بھی تو کیا ہے آپکے پاس تو دفعہ ۱۴۴ موجود ہے۔ لیکن اوس سے
کس حد تک ایجیٹیشن دب سکتا ہے یہ اور بات ہے۔ ہمارے منتری منڈل بھی ایسے ہیں
کہ جنکو کمیونیزم (Communism) اور کمیونلیزم (communalism)
کا فرق معلوم نہیں ہے۔ اب بجٹ سیشن میں شائد آریبل ممبر ہمارے سامنے آئینگے۔
اسلئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکو ملتوی کیا جائے۔ اتنا کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :- ہم پھر ۵۔۴ کو ملینگے۔

The House then adjourned for recess till Forty Minutes
Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Forty Minutes past
Five of the Clock.

[Mr. Speaker in the Chair]

श्री. वि. कें. कौरटकर :- मिस्टर स्पीकर सर, जब मैंने सेल्स टैक्स का यह बिल हाउस में
पेश किया था उसी वक्त मैंने जिस चीज को बहुत साफ तरीके से अँवान के सम्मने रख दिया था कि
यह बिल कुछ संजूरी के तहत रखा जा रहा है। बहुत सी बातें मैंने साफ स्फुफ रखी थीं। श्री

अंतराजात किये गये हैं अंनमें बहुत सी वही चीजें दोहराजी गयी हैं जो मैंने पहले से अँटीसिपेट (Anticipate) कर के अँवान के सामने रखी थीं।

अक महत्व की चीज जो अिस बारे में कही गयी है वह यह है कि अिस बिल का अिन्सिडन्स आखिर किन लोगों पर पडनेवाला है, और सरचार्ज और कस्टम का अिन्सिडन्स किस पर था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जनरल बजट की बहस के दौरान में अिस तरफ से और अिस तरफ से, दोनों तरफ से अिस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि सरचार्ज और कस्टम का जितना भी बोझ है वह काश्तकारों पर पडता है, और किसी पर नहीं पडता। बहरहाल अिस वक्त भी मैंने कहा और मेरे पहली स्पीच में भी मैंने कहा था, अुसी को फिर अिस वक्त भी कहने की जुरंत करता हूँ कि किसी भी टैक्स का अिन्सिडन्स अेकदम किसी अेक तबके पर कभी नहीं पडता। सरचार्ज और कस्टम का बोझ भी अुस वक्त कुछ बाहर के लोगों पर पडता था, कुछ काश्तकारों पर पडता था और कुछ व्यापारियों पर पडता था। अिस तरह से मैंने अर्ज किया था कि यह जो सेल्स टैक्स लगेगा अुसका बोझ भी किसी अेक खास तबके पर पडनेवाला नहीं है। अिससे अेक तो तबका बदल जाता है, और दूसरा अँसा होता है कि पहले जो थोडीसी तादाद पर टैक्स था वह बहुत बडी तादाद पर फेल जाता है, और अुसका परिणाम यह होता है कि जो थोडीसी तादाद को महसूस होता था वह अब महसूस नहीं होगा। मैंने यह भी कहा था कि अिसीं लिये यह टैक्स अेक तरहसे मुन्सफाना टैक्स है, और अब भी मेरा विचार यही है। क्योंकि जैसा कि विरोधी दलके नेताने कहा १४ आने पर हेड पडेगा, मुमकिन है १२ आने पर हेड पडेगा।

मैंने हाअुस में कहा था कि अिस टैक्स से होनेवाली पूरी आमदनी करीब १ करोड २८ लाख है। अिस वक्त जो टैक्स हम छोड रहे हैं वह अेक करोड ७८ लाख छोड रहे हैं, और अनकरीब में बाकी बचा हुवा २२ लाख भी छोड देंगे। अुसके लिये मैंने हाअुस के सामने रखा था कि अिस तरफ की पार्टी का बहुत ही ज्यादा अिसरार है कि जो छोटा सा टैक्स रह गया है अुसके लिये भी ६ महीने तक अिन्तजार मत कीजिये, और जितनी जल्द हो सके अुतनी जल्द अिसको निकाल दिया जाय। बहुत से लोगों ने अिंशारतन भी कहा है कि डिसेंबर के आगे नहीं जाना चाहिये और मैं भी अुसके लिये बराबर कोशिश करूंगा।

हाअुस के सामने यह रखना चाहता हूँ कि अिस टैक्स की तरफ किस लाबिट में देखना चाहिये। अिसमें दो करोड का टैक्सेशन छोड दिया जा रहा है, और सिर्फ १ करोड २८ लाख के टैक्स का अिन्तेजाम किया जा रहा है। अिसके माने यह हो जाते हैं कि करीब करीब ७२ लाख टैक्स कम लिया जायगा। अिस लाबिट में लें तो आपको यह ज्यादा आखेपाहें नहीं मालूम होगा।

अिसके बारे में यह भी कहा गया कि टैक्सेशन के लिये दूसरी कोजी चीजें आप क्यों नहीं देखते ? मैंने पहले अर्ज किया था कि कम से कम मुझे १ करोड ७८ लाख की रकम किस तरह से पूरी की जाय अिसके लिये कोजी चीज नजर नहीं आजी। अेक वक्ताने अेग्रीकल्चरल अिन्कम टैक्स और अेक्सेस प्रॉफिट टैक्स के बारे में कहा। अेग्रीकल्चरल अिन्कम टैक्स बढ़ायें तो बहुत थोडी आमदनी होगी, और अेक्सेस प्रॉफिट टैक्स अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अुसका कोजी मामलू हाअुसके सामने अभी नहीं है। यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ अिडिया से ट्रांट क्यों नहीं लेते

जब कि फायनान्शियल इंटीग्रेशन की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है ? इसके लिये मैं जितना ही अर्ज कर सकता हूँ कि इसके बारे में आपस में कुछ मुहाबिदे हुए हैं। जिस वक्त वे हुअे उस वक्त जैसा आप समझते हैं वैसा मैं भी समझता था कि हमारा हिस्सा जितना मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला है, और उसके लिये आपको मालूम है कि पिछले साल जो अिनकम टैक्स कमीशन अेन्क्वायरी के लिये यहां आया था कि किस तरह से उसको बांटा जाय, तो हमारी गवर्नमेंट ने अपना क्लेम अुनके सामने रखा था, और उसका नतीजा यह हुआ कि उस वक्त हमारी ग्रांट करीब अेक करोड से बढा दी गयी थी, और वह अिस वक्त भी ज्यादा हुयी है। अब अिन चीजों की वजह से ग्रांट कितना बढाया जा सकता है यह सवाल रहा। मैं आपकी अिनफरमेशन के लिये रखना चाहता हूँ कि अिसके लिये खास तरीके हैं। कान्स्टीट्यूशन के तहत फायनान्स कमीशन पांच पांच साल के लिये मुकर्रर होता है, उस वक्त हम अपना क्लेम अुनके सामने रख सकते हैं। यह क्लेम जरूर रखा जायगा और यह भी मैं आपकी अिनफरमेशन के लिये रख सकता हूँ कि यह फायनान्स कमीशन बहुत मुमकिन है पांच साल के पहले भी मुकर्रर किया जायगा, और मुझे अुम्मीद है कि पिछले साल के कमीशन में जिस तरह से हम यशस्वी हुअे अुसी तरहसे अिसमें भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वह अेक आनेवाली चीज है।

अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढा होगा कि अैसेहि अेक दूसरे मामले के तहत में जब केन्द्र सरकार के पास गया था तो अुन्होंने अुसको बहुत सहानुभूति के साथ सुना, और हमारी लायबिलिटी (Liability) फायनान्शियल इंटीग्रेशन (Financial Integration) के वक्त जितनी कायम की गयी थी अुससे बहुत कम कर दी गयी है, और अुसमें करीब करीब १५ करोड का फायदा हुआ है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—क्या अिसकी वजह से डेट ऑफ रिडम्शन क्या होगा और अिंटेस्ट क्या रहेगा अिन चीजों को वाजे किया जा सकता है ?

श्री. वि. के कोरटकर :—अिसका पूरा ब्यौरा अभी मेरे पास नहीं है। आपने कहा था कि अैसी कोशिश क्यों नहीं करते, तो मैंने जाहिर किया है कि अिस तरह की कोशिश की जा रही है और की जायगी। कोशिश करना सभी का काम है क्योंकि जो पैसा बचेगा वह हमारे लिये बचेगा। लेकिन अिसका पूरा ब्यौरा बजट के वक्त हाअुस के सामने रखूंगा कि डेट ऑफ रिडम्शन, के लिये कितना जायगा, और हमारे पास कितना बचेगा वगैर। क्यों कि अभी हिसाबात होने के हैं लेकिन प्रिन्सिपल तय हो गया है। सादे तौरपर मैंने हिसाब लगाया है कि हमारी लायबिलिटी करीब १५ करोड से कम हो जायगी। अिन चीजों को केन्द्र सरकारने भी सहानुभूति से सुना है।

यह जो कहा जाता है कि ग्रांटके लिये मैंने नहीं कहा है तो वैसी बात नहीं है। मैंने यह चीज गवर्नमेंट ऑफ अिंडिया के सामने रखी थी। दूसरे भी स्टेट जिनके सामने कस्टम का सवाल है अुन्होंने भी कहा था कि ग्रांट ज्यादा दी जाय। केन्द्र सरकार का अिसके लिये अेक ही आर्ग्यूमेंट था कि ग्रांट दी जाय यह कहना सहल है मगर सही नहीं है। क्योंकि अखिर वह भी कहां से देंगे ? अेबी भी गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स लगाकर ही दूसरों को ग्रांट देगी। अिसके माने यह है कि गवर्नमेंट अिंडिया अिंडियन के दूसरे लोगों पर टैक्स लगाये और अुसमें से सब्दा करोड रुपया हमकी

दें। मैं समझता हूँ कि उनका यह जवाब बिल्कुल सही है कि दूसरे लोगों पर टैक्स लगाकर आपको ग्रांट नहीं दी जा सकती। जिन चीजों के लिये आपको अपना पैसा खुद मुहैया करना पड़ेगा।

यह जो दस पांच चीजें कही गयी थीं उनको मैंने हाउस के सामने रख दिया है। एक चीज पर जोर दिया जा रहा है और वह है सिंगल पॉजिट सेल्स टैक्स और मल्टीपल पॉजिट सेल्स टैक्स। मैंने बहुत वक्त हाउस के सामने रखा है कि मेरी आत्मा इसके लिये पूरी तरह से खुली है। बंबयी और मैसूर में जो दो कमेटियां मुकर्रर की गयी थीं उनकी रिपोर्ट को मैंने पूरी तरह देखा है। उनका मतलब यह है कि सिंगल पॉजिट सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स खो जाने के बहुत चान्सेस हैं।

हमारे देशमें दो तरहके स्टेटस हैं। कुछ स्टेटस ऐसे हैं जिनको सेल्स टैक्स की आमदनी की फिकर नहीं है जैसे मध्यप्रदेश है, जहां सरप्लस बजट है, उनको ज्यादा फिकर नहीं है। लेकिन जिन स्टेटस् को अपनी आमदनी सेल्स टैक्स से बढ़ाना है उनको मल्टीपल सेल्स टैक्स के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत वक्त कहा जाता है कि बंबयी में सिंगल पॉजिट सेल्स टैक्स है, लेकिन जिसमें असलियत नहीं है। वहां पर भी दो पॉजिट पर टैक्स है। वहां के ओहदेदार भी बड़े परेशान हैं कि जिसको किस तरह से लागू किया जाय। उनको ही बनाये हुये नियम उनके खिलाफ जा रहे हैं। मैं जितना रख सकता हूँ कि बंबयी में भी सिंगल पॉजिट सेल्स टैक्स सब चीजों पर नहीं है। मेरी आत्मा अभी भी खुली है। जिस वक्त मैं इसके तफसील में नहीं जाता लेकिन जितना कहना चाहता हूँ कि अगर अकेले रजिस्टर्ड डीलर पहला टैक्स टालता है तो उसको तो वह खरीद दारसे मिलता है परन्तु सरकारमें जमा नहीं होता। मैंने जिन दोनों रिपोर्टों को अपनी पार्टी के लिये मंगवाया है। मैं जिस बात की कोशिश करूंगा कि ये दोनों रिपोर्ट्स लीडर ऑफ अपोजीशन के पास भी पहुंच जायें।

असके बाद मैंने मर्चेंट्स से भी कहा था कि आप अकेले स्कीम बनाकर दीजिये जिससे टैक्स कें टालने का मौका न रहे। मैं उसको मानने के लिये तैयार हूँ। उस तरफ से केरोसीन के बारे में अकेले कटमोशन रखा गया है। कटमोशन के वक्त मैं उसके बारे में तफसीलसे बहस करूंगा। जिस वक्त जितना ही कहूंगा कि केरोसीन पर सिंगल टैक्स मानने के लिये मुझे कोयी बाधा नहीं है। उस पर सिंगल टैक्स बराबर आयद किया जा सकता है, जिसको मैं मानता हूँ, और जिसलिये आपका कटमोशन भी मैं कबूल कर लूंगा।

अकेले महाशय ने भी कहा था कि जिस वक्त हमें सोचना चाहिये कि दरामद किस तरह रोकी जाय। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त यह कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ है। दरामद बरामद को अकेले स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में नहीं रोका जा सकता। जब तक कान्स्टीट्यूशन है और जब तक धंदे की स्वतंत्रता है, उस वक्त तक यह नहीं रोका जा सकता, और उस वक्त तक हमारा अुधर रूझान भी नहीं हो सकता—

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आप जिस बात को बाजे कीजिये कि अनाज पर सिर्फ मार्केट में ही टैक्स लिया जायगा, वह किस तरह लिया जायगा? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ मॅबर्स यह कह रहे थे और शायद आपने भी कहा था कि सिर्फ मार्केट में अनाज पर टैक्स लिया जायगा।

श्री. वि. के. कोरटकर :—यह परचेस टैक्स रहेगा जैसा कि जिस वक्त अंग्रीकल्वरल प्रोड्यूस पर लिया जाता है और आपको जिस बात का डर था कि यह टैक्स शायद पांच छः जगहों पर लिया जायगा। अंग्रीकल्वरल प्रोड्यूस के सेल्स टैक्स के बारे में हमारा जो तजकूबा है यह पांच छः जगहों पर कहीं भी नहीं लिया जाता। होलसेल डीलर और रिटेल डीलर से लिया जाता है। लेकिन जिसमें एक चीज हमारे सामने रखी गयी और वह महत्वपूर्ण है कि हॉटेल में खाने की चीजें पकायी जाती हैं तो उस पर भी टैक्स पड़ेगा। होटलों पर हमने अभी तक कोयी टैक्स नहीं रखा है। उनके लिये लायसेन्स फी अलग रखी गयी है, क्योंकि उनके लिये लायसेन्स फी है, और उसको बढ़ाने का अिरादा हो तो वह हम अेडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर सकते हैं। जिसलिये जिस पॉजिट पर मैं जरूर सोचूंगा अितनाही कहना चाहता हूं। होल सेल डीलर अगर रिटेलर को बेचता है तो टैक्स रिटेलर से लिया जायगा, लेकिन कमीशन अेजेंट पर कोयी टैक्स नहीं रहेगा। उन पर परचेस टैक्स नहीं है। होलसेल डीलर जहां खरीदेगा वहां अेक पॉजिट लिया जायगा और रिटेलर जहां होल सेल डीलर से लेगा वहां अेक पॉजिट लिया जायगा। आम कमीडीटीज के सेल्स टैक्स जिस तहर वसूल किये जाते हैं उसी तरह से काश्तकारों से वसूल नहीं किया जायगा। उनसे वसूल करने के लिये जिस बिल में कोयी चीज नहीं है।

आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि जिस बिल के विवाद को मुलतवी नहीं करना चाहिये। जिसमें अेक बडा अच्छा पॉजिट लाया गया है कि १ करोड ७८ लाख की आमदनी गव्हर्नमेंट ने छोडी है और उसके बजाय १ करोड २८ लाख का टैक्स लगाया है।

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be read a first time.”

The Motion was adopted.

Shri. V. K. Koratkar : I beg to move :

“That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be read a second time”

Mr. Speaker: Motion moved.

Shri V. D. Deshpande : Mr. Speaker, Sir. I wish to move a Motion under Rule 115 of the Hyderabad Legislative Assembly Rules to the effect that this Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon within four months.

Mr. Speaker : Yes. The hon. leader of the Opposition can move it by way of an amendment to the motion already moved by the Member-in-charge of the Bill.

Shri V. D., Deshpande : I beg to move.

“That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (2nd Amendment) Bill, 1954 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, within four months.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, यह जो मोशन अभी जिस बिल के सेकंड रीडिंग के लिये पेश हो रहा है, जिसके पहले मैंने फायनान्स मिनिस्टर साहब की तकरीर काफी गौर से सुनी। लेकिन मैं अनुकी तकरीर से मुतमैन न हो सका, और मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि जिस बिल को अितनी अजलत के साथ मंजूर न कराया जाय। आज आप तमाम अनाज खुरदनी पर टैक्स लगा रहे हैं जिसका संबंध तमाम अब्बाम से आता है। जैसे टैक्स को हम कबूल नहीं कर सकते और न अब्बाम जिसे कबूल कर सकती है। बहुत कुछ आरग्यूमेंट्स (Arguments) रखे गये थे लेकिन जिसके सिलसिले में मुझे अक किस्सा याद आ रहा है कि अक आदमी के हाथकी जंजीरें छोड़ी गयीं लेकिन उसके पैर में जंजीरें डाल दी गयीं, वैसे ही यह किस्सा हुआ है। आपने सरचार्ज और कस्टम को हटा दिया लेकिन सब अनाजों पर सेल्स टैक्स लगाकर कॉमन मैन के पैर में जंजीरें डाल दी हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—काश्तकारों के पैर में नहीं हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आप अगर अनुके हाथ में जंजीरें रखते तो कुछ नहीं होता लेकिन आज तो आप अनुके हाथ की जंजीरें तोड़ कर अनुके पैरों में जंजीरें डाल रहे हैं। आपका जो १ करोड़ और ७८ लाख का डिफिसिट है, जिसमें बीस लाख का कस्टम आ जाता है, यह डिफिसिट कैसे पूरा किया जाय, यह आपके सामने सवाल है। उसको हल करने के लिये आप अब्बाम के अनाज खुरदनी पर सेल्स टैक्स आयद करना चाहते हैं। हुकूमते हिंद का जो एसेन्सियल गुड्स अक्ट (Essential goods Act) है उसमें जो चीजें आती हैं उसपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आपने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके लिये अिजाजत मांग ली है और आज आप तमाम अब्बाम पर जिसके जरिये टैक्स लगा रहे हैं। कस्टम और सरचार्ज निकालने के बाद जो डिफिसिट आता है उसे पूरा करने के लिये आपको जिस टैक्स के लगाने की जरूरत नहीं थी। उसके लिये आप दूसरे भी जरिये ढूँड सकते थे। मुझे अक पृच्छा जाय तो मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत चाहती तो दूसरे जरिये बराबर ढूँड सकती थी। लेकिन वह चाहती नहीं। जिसका नतीजा यह हुआ कि आज अब्बाम के फुड पर भी सेल्स टैक्स बैठ रहा है। आज मुआविजे के तौरपर काफी रकम हुकूमत को देनी पड रही है। उसी तरह जो प्रिवी पर्स (Privy purse) दी जा रही है उसे भी कुछ कम किया जाय तो आपको कुछ रकम हासिल हो सकती है। जिसके बारे में हैदराबाद सरकार को सौचना चाहिये। १ करोड़ ५८ लाख का जो डिफिसिट आ रहा है उसको पूरा करने का सवाल हमारे सामने है। आज आप निजाम को प्रिवी पर्स के तौर पर ५० लाख रुपया दे रहे हैं। हमारा तो कहना है कि जिसे कतली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिसे नहीं मानेंगे

लेकिन अुसमें से भी पांच दस लाख रुपये मिल सकते हैं। उसी तरहसे कॉम्पेन्सेशन के बारे में जो अॅग्रिमेंट (Agreement) या मुहाबदा जागिरदार या जमीनदारों से हुकूमत का हुवा है अुसे भी हालात के लिहाज से रिवाजिज (Rev.se) किया जा सकता है। यह जो कॉम्पेन्सेशन हुआ है अुसे आप अेक बटे चार पर लाकर कम करें तो आपको और कुछ रकम मिल सकती है। डेट्स (Debts) रिझमेशन (Resumption) के लिये जो रकम रखते हैं वह भी कम की जा सकती है। अिस तरह से यह जो १ करोड और ५८ लाख की कमी बतायी जा रही है अुसे पूरा करने के लिये अलग अलग रास्ते सोचे जा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉप हेवी अडमिनिस्ट्रेशन है अुसमें यदि कुछ कमी की जाय तो और भी रकम हमें मिल सकती है अिसपर भी अगर यह जो डिफिसिट है व पूरा नहीं हो सकता है तो फिर वैसी हालत में नये टॅक्स आयद करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अेकदम पहले ही अिस तरह से अनाज खुरदनी पर टॅक्स लगाना मुनासिब नहीं है। अगर हम टॅक्स बाद में लगाना चाहिये तो दूसरे जराये टॅक्स के निकालने चाहिये, न की आवाम के आम चीजों पर जरूरियात जिदगी पर टॅक्स लगा दिया जाय। लेकिन अिस तरह से अिंडायरेक्ट टॅक्सेशन (Indirect Taxation) का अुसूल ठीक नहीं हो सकता। यह प्रोग्रेसिव्ह स्टेप (P. ogressive step) नहीं हो सकती है। जब आप ने सरचार्ज और कस्टम खतम किया है और आप जब अेक नया टॅक्स लगाना चाहते हैं जो की सारी अव्वाम पर असर करता है तो अिस बिल को अिस सेशन में लाने के बजाय बजेट सेशन के वक्त लाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। बजेट सेशन के वक्त गव्हर्नमेंट की जो नयी पालिसी होती है वह सामने रखी जाती है और अुस वक्त ज्यादा सोचने का मौका मिलता है। अिसे भी आम बजेट सेशन के वक्त सामने रख सकते थे लेकिन अिसे १२ सितंबर को हाअुस में पेश किया गया और आज अिसे पास करवाने के लिये कहा जा रहा है। जब अेक मजीद बडा टॅक्स करीब डेढ करोड का आयद कर रहे हैं और यह टॅक्स अंम अव्वाम पर लादना चाहते हैं तो अुनकी राय लेना जरूरी था। लेकिन वह नहीं ली जा रही है और आप का गढा बन्द करने के लिये अपने भाजी को गढे में डाल रहे हैं। यह आप की पालिसी ठीक नहीं है। यह ख्याल किया जा रहा है कि अगर यह बिल कल पास न किया जाय तो हमारे कस्टम और सरचार्ज जो कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट के लोग खतम करना चाहते थे वह खतम नहीं होंगे, अिस लिये अिस बिल को आज ही पास कर देना चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अुसका अिस बिल से कोभी तालुक नहीं है। गव्हर्नमेंट ने तो पहले ही अैलान कर दिया है कि अक्टूबर से हम सरचार्ज और कॅस्टम खतम कर रहे हैं और वह तो अुन्हे किसी हालत में करने ही पडेंगे चाहे यह बिल आज यहां पास हो या न हो। अिस बिल के आज पास होने या न होने का अुससे कोभी तालुक नहीं है। अिससे जो डिफिसिट आनेवाला है अुसके बारे में हम कफी संजोदगी के साथ सोचने की जरूरत है और अिसके बारे में अव्वाम की क्या राय है यह भी मालूम कर लेना चाहिये। अिसको पूरा करने के लिये और भी चीजें मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। मैं ने अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स के बारे में कहा था कि आज जो १० हजार रुपये के अूपर अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स लगाया जा रहा है अुसे अगर ३६०० की आमदनी पर रख कर अुससे मुनासिब होगा। सिलिंग के लिये भी हमने यह आमदनी रखी है। अिससे हमारा ज्यादा फायदा होगा और अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स हमें ज्यादा मिलेगा।

अब जिस बिल के जरिये जिन चीजों पर सेल्स टैक्स लगाया जा रहा जिसके बाद अब ऐसी कौनसी चीजें बची हैं कि जिनपर अबतक सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। करीब करीब आपने सभी चीजों पर सेल्स टैक्स लगाया है। अब मिर्च अफीम, गांजा, ओपियम, और खादी का कपडा ऐसी ही चीजें जिस सेल्स टैक्स से बची हैं। बाकी तमाम पर सेल्स टैक्स लग चुका है। जो सेल्स टैक्स जंग के जमाने में एमरजन्सी (**Emergency**) के तौर पर लगाया गया उसे अब कानून बनाया जा रहा है। यह एक रिग्रेसिव्ह टैक्स (**Regressive tax**) है। यह एक रिग्रेसिव्ह टैक्स माना गया क्योंकि तमाम जनता को जिसे देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का जो रिग्रेसिव्ह टैक्स है उसे आज के डेमोक्रेटिक सेट अप (**Democratic set up**) में लगाना मुनासिब नहीं है। जिस तरह का रिग्रेसिव्ह टैक्स लगाकर हुकूमतसे मुल्क की तरक्की कैसे अुम्मीद कर सकते हैं? मैं समझता हूँ की हुकूमत को जिसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिये। जिस लिये यह जो बिल पेश किया जा रहा है उसे पब्लिक ओपिनियन (**Public opinion**) के लिये भेजने की जरूरत है क्योंकि जिस बिल के जरिये से हम तमाम अब्बाम पर एक बड़ा टैक्स आयद कर रहे हैं। हम जिसे बेवारियों के सामने भी रख सकते हैं कि हमारा कस्टम्स और सरचार्ज निकालने की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसे पूरा करने के लिये आप कुछ रास्ता सुझाओये। अुनके सामने यदि जिन चीजों को रखा जायतो वे भी अुसके बारेमें सोच सकते हैं और अपनी राय हुकूमत को दे सकते हैं। अब तक सेल्स टैक्स से जो रकम वसूल हुआ है वह ६० लाख से ज्यादा है। जैसे मौके पर जिसके बारे में तमाम लोगों को सोचनेका मौका देना चाहिये। मैंने तो यह भी सुना है कि काँग्रेस पार्टि के कुछ अेम. अेल. अेज. ने भी यह सुझाया था कि कम से कम जवारी, चांदल ऐसी चीजों पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि यह बिलकुल आम जनता का फुड है। अुसके बारे में सोचना जरूरी था। लेकिन सबको अंक ही लाठी से रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है, और सब के लिये अंक ही टैक्स आयद किया जा रहा है। लेकिन जिसके लिये तो जरूर सोंचा जाना चाहिये था। आज लोगों की परचेजिंग पावर (**Purchasing power**) कम हो गयी है, जिस लिये बाजारों में अनाज के भाव कम हो रहे हैं। आप यदि जिन अनाजों पर टैक्स आयद करेंगे तो जनता भूखे रहकर आपके टैक्स देगी। आज यदि वह ६ औंस खाती है तो कल ५ औंस खायेगी और आपके टैक्स देगी। जिसलिये मेरा कहना है कि जिसको पब्लिक ओपिनियन अिलिसिट (**Elicit**) करने के लिये भेजा जाना चाहिये। हाअुस ऑफ पिपुल में भी जिस तरह का प्रोसिजर (**Procedure**) है और जब कोजी अहम बिल, आता है, जैसे हिंदू कोड बिल था, तो वह अब्बाम के ओपिनियन के लिये भेजा गया था और अब्बाम की अुसपर क्या राय है यह पहले जान लिया गया था। अुसी तरह मेरा यह सुझाव है कि जिस बिल को भी पब्लिक ओपिनियन अिलिसिट करने के लिये भेजा जाना चाहिये और बाद में तीन चार महीने के बाद अुसको लिया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि टैक्स अिन्क्वायरी कमिटी जो अपॉइंट की गयी थी क्या अुसकी रिपोर्ट गव्हर्नमेंट के पास आयी है? और अुन्होंने जो सिफारिशाल की अुसमें क्या यह भी सिफारिश है कि जिन चीजों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है? अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी है ती अिसे

पास करने की अितनी जल्दी क्यों की जा रही है ? मेरा सुझाव है कि जिसे फर्स्ट रिडिंग के बाद ही अब पब्लिक ओपिनियन अिलिसिट करने के लिये भेजना मुनासिब होगा। मैं अुमीद करता हूँ कि फायनान्स मिनिस्टर साहब मेरी अिस सूचना को मान लेंगे और अिस बिल को मुलतवी कर देंगे।

श्री. वि. के. कोरटकर :—अध्यक्ष महोदय, अभी जो मोगन हाउस के सामने आया है अुसका में विरोध करना चाहता हूँ। मैंने कभी अर्तबा कहा है कि हमने जो सर्चार्ज या कस्टम निकाले वह कोअी दिखावट के लिये नहीं निकाले किंतु पब्लिक की बहुत दिनों की यह मांग थी। और अुनके दबाव के कारण हम अिसे निकाल रहे हैं। अुसकी वजह से जो नुकसान होनेवाला है अुसे तो पूरा करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट का खर्चा चलाना तो लाजमी है। अगर अिस कमी को अभी तुरंत पूरा न किया जाय तो स्टेट का खर्चा चलाना नामुमकिन है। अिस लिये यह बिल अितने जल्दी आपके सामने रखा जा रहा है। हमारा बजेट पहले से ही घाटेका है। हमारे बजेट में करीब १ करोड का घाटा तो रेव्हेन्यू साअिड में है और ७० लाख का घाटा कॅपिटल अकाअुंत्स में है। अिस तरह से करीब दो करोड का तो पहले ही घाटा है। अुसके अंदर यदि अेक करोड और अठठावन लाख का यह जो घाटा आ रहा है अुसे भी जोडा जाय तो फिर गव्हर्नमेंट का काम चलाना बडा मुश्किल हो जायेगा। अिस लिये मैं दरखास्त करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है अुसे अिसी सेवान में मंजूर किया जाय। नहीं तो हमें बडे तकालीफ का मुकाबला करना पडेगा, और हमारा खर्चा चलाना नामुमकिन होगा।

Mr. Speaker : I shall now put this amendment to vote. The question is :

“That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, within four months.”

The motion was negatived.

Shri Annajirao Gavane : Mr. Speaker, Sir. I demand a division.

The House then divided :

Ayes 33 Noes 41.

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a second time.”

The motion was adopted.

Clause 2.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

“That in line 6, for ‘six’, substitute, ‘three’.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ch. Venkat Rama Rao (Karimnagar) : Sir, I beg to move :

“That after line 8, add :

‘(ix) So much of the turnover as is attributed to transaction in all cereals and pulses including all kinds of rice which takes place in market prescribed shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette’.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : Sir, I beg to move :

“That after line 8, add :

‘(ix) So much of the turnover as is attributed to transactions in kerosene shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette’.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh need not move his amendment as it seeks to omit the clause.

Shri V. D. Deshpande : Sir, I moved my amendment very reluctantly and to make the best of the worst situation. I am opposed to this Bill ; but, at the same time, I want to modify it if possible so as to make it less cumbersome to the common man ; and from this point of view, I have given my amendment, namely, to substitute 3 pies in the place of 6 pies.

As it stands now, the clause reads thus :

“So much of the turnover as is attributable to transactions in cotton including kapas shall be liable to tax at the

rate of six pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette."

Here, the tax to be levied on cotton and kapas is suggested at the rate of 6 pies in the rupee and I am suggesting 3 pies, in view of the fact that the textile industry in Hyderabad and the Handloom industry in Hyderabad utilise cotton and kapas. Now due to the removal of surcharge, the kapas and cotton will be demanded more and more outside and there will be dearth of it in the textile mills in Hyderabad and also for the handloom industry. Naturally, prices in Hyderabad will go up. Added to this, the sales tax, as it is proposed here, will make the cloth here costlier and the cloth which is the common man's goods should be within his reach. Therefore, I firstly feel that there should be no tax on cotton and kapas as such because after it is turned into cloth it is already made taxable. The very commodity will thus be taxed twice-once as a raw material and again when it is turned into cloth. This injustice, I am of the opinion, is not warranted by the situation. There is another amendment opposing the very clause as such. But my amendment is a reasonable one or appears to be a reasonable one at least by suggesting 'let the tax be there, but let the rate be 3 pies instead of 6 pies'.

That is the amendment that I have proposed.

My second amendment is regarding kerosene. Hon. Minister for Finance has assured me that he will have no objection to accept my amendment. Its reasonableness is quite evident to the members in view of the fact that before I moved it the hon. Finance Minister felt agreeable to it. So I need not dilate on that point as such. But as I have earlier expressed the view, kerosene also is a common man's commodity and its taxing will interfere with the light facilities that ought to be available in the Taluk and District places to the common man. It is the common man who uses kerosene in large quantities and if the Government cannot give them more light, it should not at least deny them the existing light. This tax on kerosene amounts to denying light to them or rather reducing the facility of light to the common man and if on any day either on the eve of the election or during the course of the election the villagers or people in taluk places or such places where electricity is not available

remember the Government, it is with this sentiment that this is the Government which has meant for them little more darkness' and little less light. I do think the Government will have to go to the electorate if not immediately, at least after 2 years, or even if they are postponed for a time due to the exigencies of linguistic states, sometime thereafter; and in due course they have to reply to the common man in whose small pocket the franchise resides; and in order to save the position of the Government to some extent and in order to enable the common man feel that the Government has not cut the light completely but only partially, I have brought forward this amendment and I think the Government will have no objection to accept my amendment regarding kerosene.

About the other amendment, I will simply say one thing about it. My suggestion is that cereals etc. should not be taxed and I have made myself clear on that point. If it is to be taxed, it should not be taxed more than once and that taxing should be only in such markets as are prescribed. The Government should announce that in certain markets, say, Jalna, Latur,, etc. those commodities which come there for sale alone would be taxed and they will not be taxed ordinarily in the markets, in the ordinary retail shops of retail shop-keepers or when converted into the forms of attas or in the form of certain eatables in hotels. All these stages should be removed and the tax should be restricted to such markets as are prescribed. The hon. Member who has moved the amendment will make the point further clear.

I, therefore, request the hon. Finance Minister to think ten times before rejecting this particular modification of the tax which the hon. Member has proposed.

* شری سی ایچ - وینکٹ رام راؤ - مسٹر اسپیکر سر - اس ٹیکس کے تعلق سے پغور کنزرن تو اس چیز کو ماننا پڑیگا کہ یہ ٹیکس دو اشخاص پر عائد ہوگا - ایک کنزیومر (Consumer) اور دوسرا پروڈیوسر (Producer) جنرل ڈسکشن میں آنریبل مسٹر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دوسرے لوگوں پر بھی اسکا اثر پڑسکتا ہے - لیکن میں کہوںگا کہ دوسروں پر اسکے اثرات پڑنے والے نہیں ہیں صرف کنزیومر اور پروڈیوسر پر ہی پڑینگے - اودھر کے آنریبل ممبرس نے جنرل ڈسکشن کے وقت یہ کہا ہے کہ اس بل کا سواگت کوٹا چاہئے تھا بجائے اسکے اپوز (Oppose) کیا جا رہا ہے - اور محض ایجیشن کرنے کی خاطر دھول اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹائم مانگا جا رہا ہے لیکن اوں آنریبل ممبرس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح معاملات پر ٹھہام کی رائے کو

یکجا کرنا کوئی غلط طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں اور اسی لئے یہاں آئے ہیں کہ صحیح باتوں کے متعلق عوام کی رائے کو یکجا کریں۔ ہم یہ کام بجا طور پر کر رہے ہیں۔ میں اپنے امینٹمنٹ کے سلسلہ میں صاف صاف طور پر یہ بتانے کی کوشش کرونگا کہ ایک چیز پر کتنی جگہ سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ جس طرح بل کی موجودہ صورت ہے اگر اسکو منظور کر لیا جائے تو کتنی جگہ ٹیکس دینا پڑیگا۔ مثال کے طور پر میں دھان کا ذکر کرونگا۔ دھان تیار ہوتے ہی فروخت کیا جائیگا اسکو ایک شخص لیاگا وہ ٹیکس ادا کریگا۔ لازمی طور پر قیمت کا تعین وہ اس طرح کریگا کہ اوس میں سیل ٹیکس شامل ہوگا۔ اسکے بعد وہ دھان چاول کی شکل اختیار کریگا۔ تاجر خریدائینگے اور اسکو چلر فروش کو بیچےگا۔ ایسی صورت میں تاجر چلر فروش سے سیل ٹیکس لیاگا۔ اسکے بعد چلر فروش چاول کھانے والوں کو فروخت کریگا اور اون سے سیل ٹیکس لیاگا۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ اسکا اثر راست طور پر کنزیومرس پر پڑیگا۔ یا جو لوگ چوڑوا۔ مرمے وغیرہ تیار کرینگے تو ان پر یہ ٹیکس عائد ہوگا۔ آٹا تیار کرینگے تو ان پر عائد ہوگا اور بالآخر کھانے والوں پر اسکا اثر پڑیگا۔ ہوٹل میں ریفرشمنٹ (Refreshment) تیار ہونگے تو اون کو دینا پڑیگا۔ بہرحال کنزیومر پر بار پڑیگا یا پروڈیوسر پر۔ اس طرح گویا آپ پانچ چھ جگہ سیل ٹیکس لینگے۔ اور کنزیومر پر اسکا بار بڑھتا جائیگا۔ کیا ان ہی حالات کی موجودگی میں آپ ہم سے خواہش کرتے ہیں کہ ہم اس بل کا سواگت کریں اور آپکو مبارکباد دیں۔ ہمارا یہ مطالبہ بالکل واجبی ہے کہ اس پر بعد میں سوچا جائے۔ چنانچہ ہم نے آلٹرنیٹیو امینٹمنٹ (Alternative amendment) بھی پیش کیا ہے۔ پانچ چھ مرتبہ کنزیومر اور پروڈیوسر کو جو سیل ٹیکس دینا پڑ رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے آپکو آپکے اڈوائزر نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ حیدرآباد کے عوام اب اسکے متحمل نہ ہونگے کہ ان پر مزید ٹیکسس عائد کئے جائیں۔ جب ایک مرتبہ کوشش کی گئی اور آپ نے نہیں مانا تو ہم نے آلٹرنیٹیو امینٹمنٹ پیش کیا ہے۔ تاکہ کسانوں پر کم سے کم بار عائد ہو۔ کم سے کم ایک پوائنٹ پر سیل ٹیکس ہو اور وہ تین پائی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ جتنا پیسہ آپکو ملنا چاہئے نہیں ملیگا۔ تین پائی رکھینگے تو بار تو ہوگا لیکن پھر بھی کم ہوگا۔ اسلئے وہ برداشت کرنے کے قابل ہونگے۔ ایک پوائنٹ پر تین پائی رائس (Rice) وغیرہ پر رکھا جائے تو مناسب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ امینٹمنٹ واجبی ہے اسلئے امید ہے کہ اسکو ہاؤس قبول کریگا۔

* شری بی۔ ڈی۔ دیشمکھ :- مسٹر اسپیکر سر۔ فرسٹ ریڈنگ کے موقع پر اس بل کے بارے میں میں نے اپنے تفصیلی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسپنشیل گڈس (Essential goods) جنکو شیڈیول میں اگزمپٹڈ گڈس (Exempted goods) میں رکھا گیا تھا انکو بھی اسکی زد میں لانے کی

کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لئے دفعہ ۲ رکھا گیا ہے۔ دستور کے دفعہ ۲۸۶ کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ سنٹرل ایکٹ بن چکا ہے اوسکے ضمن ۳ کے لحاظ سے پریسیڈنٹ کی اسنٹ (Assent) لازمی ہو جائیگی۔ اسیتھیل گڈس کے بارے میں دفعہ ۲۸۶ کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضمن ۱ اوس سے متعلق ہے۔ یہ قانون بننے کے بعد آیا وہ لاگو ہوگا یا نہیں۔ دالیں۔ کپاس وغیرہ دوسرے پراونسس (Provinces) میں جاتے ہیں۔ اون پر سرجارج (Surcharge) عائد ہوتا تھا۔ دفعہ (۲۸۶) یہ ہے۔

“No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

(a) outside the State; or

(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.”

ضمن ۳ یہ ہے۔

“No law made by the Legislature of a State imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by Parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent.”

میں یہ کہوں گا کہ سیل ٹیکس کا شیڈیول نمبر ۱ میں جو اگزمپشن (Exemption) رکھا گیا تھا اور سنٹرل ایکٹ جو پارلیمنٹ کا ہے۔

The Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchase) Act, 1952.

اس ایکٹ کے لحاظ سے اس کے ضمن میں جو آرٹیکلس (Articles) ہیں

“Cereals and pulses in all forms including bread and flour, including atta, maida, suji and bran (except when any such article is sold in sealed containers).”

اور اس میں خاص طور پر کپاس کو بھی شریک کیا گیا ہے۔

“Raw cotton, including ginned and unginned cotton or kapas, cotton thread....”

ممبر انچارج آف دی ہل سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دستوری مسئلہ کو اڈوائزرز (Advisors) سے مشورہ کر کے انہوں نے حل کر لیا ہے یا یہ مسئلہ ابھی حل طلب ہے۔ اگر پریسیڈنٹ (President) کے اسنٹ

कपास पर पहले से ही कस्टम और सरचार्ज दोनों आयद थे। काँटन पर कस्टम की आमदनी करीब ४२ लाख होती थी, और कपास में कस्टम और सरचार्ज की आमदनी अंक लाख पचास हजार के करीब होती थी। और अब वह सब भिलाकर करीब ४४ लाख होती है। अब जो छह पाबी जिसके अपर आयद की जायगी उससे आमदनी २५ लाख ६९ हजार के करीब होगी। यानी यह आमदनी पहले से कम होगी। उस सूरत में मैं जिस तरमीम को कबूल नहीं कर सकता।

दूसरी अमेंडमेंट की हालत भी वैसी ही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया अंक करोड ७८ लाख के घाटे को जिस वक्त सिर्फ अंक करोड २८ लाख का टैक्स लगाकर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें अगर तीन पाबी का टैक्स कर दिया गया तो करीब पचास लाख की उसमें कमी हो जायगी। जिसलिये वह भी मैं कबूल नहीं कर सकता।

केरोसीन की हद तक मैंने पहले ही कबूल कर लिया था कि मैं उसको सिंगल पॉजिट पर कबूल करता हूँ और तीन पाबिज कबूल कर लेता हूँ। बाकी देशमुख साहब की जो अमेंडमेंट है उसमें ज्यादा नुकसान होनेवाला है जिसलिये उसको मैं कबूल नहीं करता।

شری بی۔ ڈی۔ دیشمکھ :- میں نے اسٹ کے بارے میں پوچھا تھا اوسکا جواب نہیں ملا۔

श्री. वि. के. कोरटकर :- काँस्टीट्यूशन के तहत आपने जो कहा कि प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के लिये चार महीने लग जायेंगे, मैं अितना ही कहूंगा कि मुमकिन है अितने नहीं लगेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट मिनिसट्री की अिजाजत से यह बिल लाया गया है जिसलिये आशा है कि प्रेसिडेंट की अिजाजत के लिये चार महीने नहीं लगेंगे। अगर लगे भी तो आपके लिये खुशी की ही चीज होगी।

Mr. Speaker : We can postpone consideration of clause 2 until after the clause 3 is considered.

Clause 3

Shri B. D. Deshmukh : I beg to move :

“That for item “1” substitute “1. All cereals and pulses including all kinds of rice (except when sold in sealed containers).”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

“That after item “1” add : 2. Flour including ata, maida, Suji and bran (except when sold in sealed containers).”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ch. Venkatrama Rao : I beg to move :

“That in item “3” between “potatoes,” and “meat” insert “eggs”.

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ch. Venkatrama Rao : I beg to move :

“(a) That in item “6” for “Fresh milk” substitute, “Milk (liquid or powder)”.

(b) That in item “6”, omit “(except when sold in sealed containers)”.

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh : I beg to move :

“That after “10” add “11. Cotton including kapas.”.

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

“That after item 15, add : “16. mill cloth costing less than Rs. 2 per yard.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

* श्री بی۔ ڈی۔ دیشمکھ :- یہاں پر میں نے جو ترمیم لائی ہے وہ کوئی نئی ترمیم نہیں ہے۔ بلکہ سابقہ جو ہمارا قانون سیلس ٹیکس ایکٹ بائہ سنہ ۱۹۵۰ء تھا اس میں آئٹم نمبر (۱) جو تھا اوسکو یہاں پر جوں کا توں لانے کی میں نے کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اجناس خوردنی مثلاً دالوں وغیرہ پر کسی قسم کا سیل ٹیکس نہ ہونا چاہئے۔ اور اس چیز کو ہمیشہ ہاؤس کے سامنے واضح کیا گیا۔ باوجود اسکے کہ میں جمنہ اشیا کو اگر میٹ اسٹ میں لانا چاہتا ہوں چونکہ ایک آنریبل ممبر نے میری امینڈمنٹ پر ایک امینڈمنٹ پیش کی ہے۔ اگر میری امینڈمنٹ آنریبل موور قبول نہیں کرتے تو اس امینڈمنٹ کو قبول کر لیں جسکے ذریعہ جوار۔ رائس۔ تور اور چنے کی دال جو ضروریات زندگی میں ہیں اور عام طور پر ہر غریب سے غریب آدمی بھی اون کا استعمال کرتا ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اون پر ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ اگر امینڈمنٹ کو امینڈمنٹ کو ہی قبول کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔

Shri V. D. Deshpande : I beg to move an amendment to the amendment of *Shri B. D. Deshmukh* :

That the item I substitute : “1. Jawar, Rice, Tuvar Dhal Gram Dhal ”

Mr. Speaker : Amendment to Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh : I accept the amendment.

*श्री. व्ही. डी. देशपांडे :- भिस्टर स्पीकर सर, श्री. बी. डी. देशमुख साहब की तरफ़ीम को जो तरफ़ीम मेंने पेश की खुसकी बजह यह है कि ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब के तर्जे अमल से और ख़तान से भालूम हुआ कि 'आल सीरियल्स और पल्सेस' के लिये वे बिजाजत देने के लिये तयार नहीं हैं। मुसकिन है दाल रोटी के लिये तयार हो जायें चूकि भराठवाडे के अंदर दाल-रोटी खाते हैं और तेलंगाने में अन्नम-पप्पू खाते हैं।

شری اناراؤ گن مکھی (افضل پور) :- کیا کرناٹک کے لوگ کچھ بھی نہیں کھائے ؟

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—कर्नाटक में दोनों मिलाकर खाते हैं (Laughter) यह जो लोगोंका बुनियादी डायट (Diet) है उसकी हदतक कम से कम अंक्जेम्पशन (Exemption) दिया जाय यह मेरी मांग है, क्योंकि जेलों में भी बगैर किसी टैक्स के जितना मिलता है। अगर अतना भी बगैर टैक्स के दिया जाय तो लोगों को कुछ रिलीफ (Relief) मिल सकता है। मैं जानता हूँ कि शायद जिस मसले पर जिस हाअस में अकसरियत है। उस तरफ के लोगों को अगर जिस बिल पर राय देना की आजादी दी जाय तो मुझे अुम्मीद है कि हाअस की मेजॉरिटी (Majority) अंक्जेम्पशन (Exemption) की ताजीद मे ज्यादा हो जायेगी। अभी उस तरफ के अंक आनरेबल मॅबर ने मूंग की दाल को भी अंक्जेम्प्ट करने के लिये कहा था, लेकिन वह दाल हम रोजाना नहीं खाते जिसलिये उसका सवाल छोड दिया जाय। जिन चीजों को अंक्जेम्पशन देने के लिये कहा जा रहा है वह यहाँ के कामन मॅन्स बेअरेस्ट फूड (Common man's barest food) है। अगर आज आप लोगों को काम नहीं दे सकते, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, परी राशन (Free ration) नहीं दे सकते तो कामन मॅन को कम से कम अँसा फूड मुहैया करना चाहिये जिसपर टैक्स न हो। जितना भी अगर नहीं हो सकता तो हुकूमत के लिये क्या दुआ करना चाहिये यह मेरी समझ में नहीं आता। आपका खुदा आपका रक्षण करे जितना ही मुझे कहना पडेगा। यह आम लोगों की मांग है, जिसलिये जिस अमेंडमेंट टु अर्माइमेंट को मानना चाहिये।

दूसरी अमेंडमेंट के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि यह तो हद हो गयी कि आप पहले जवार, चावल और गेहूँ पर टैक्स लगायेंगे और उसके बाद अगर उसका आटा बनाया जाय और दूकानों में बेचनेके लिये रखा जाय तो उसपर भी टैक्स लगायेंगे। यह पालिसी मेरी समझ में नहीं आती। मँदा, सोजी, आटा वगैरा चीजें ज्यादा तर अँसे ही लोग खरीदते हैं जिनको घरबार वगैरा नहीं है या जहाँ पीसने का अन्तेजाम नहीं है और बनाबनाया आटा खरीद कर रोटी बनाते हैं। जब बेसिक चीजों पर टैक्स लगाते हैं तो आमतौर पर यह असूल रहता है और आनरेबल होम मिनिस्टर साहब फायनान्स मिनिस्टर साहब को बतायेंगे कि अंक ही आदमी को दो मर्तबा सजा नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ तो अंक ही चीज पर टैक्स का सिलसिला जिस तरह से जारी किया जा रहा है कि खेत से अनाज आने पर उस पर टैक्स, उसकी शकल में तबदिली हो गयी तो उस पर टैक्स और कोयी तबदिली हो गयी तो उस पर भी टैक्स। मुझे डर है कि शायद आप आगे चल कर खानेवाले पर भी टैक्स न लगायें। जिसलिये हुकूमत की तबज्जह जिस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। अिनको अंक्जेम्पशन लिस्ट में लाना चाहिये और जैसा मँने अभी बताया जवार, चावल, तूवर और चने की दाल को अंक्जेम्पशन लिस्ट में लाना चाहिये। जिसकी वजह से मुमकिन है कि हुकूमत को २०-२५ लाख का नुकसान होगा, लेकिन कामन मॅन को जितनी सहूलत देने के लिये आनाकानी नहीं करनी चाहिये। १५ करोड की ग्रांट पर जो सूद और रिडम्पशन (Redemption) मिलेगा उसके लिहाज से सोचें तो कामन मॅन के लिये जितना छोड देना कोयी बडी बात नहीं है। जामीरदारों को हम कितना मुआवजा दे रहे हैं। जिसलिये मैं समझता हूँ कि जितना रुपया बचाने के लिये दूसरे तरीके सोचे जा सकते हैं और मुनासिब हो तो हम भी उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन

कमसे कम बेसिक चीजों को अेक्जेम्पशन लिस्ट में अिन्क्लूड (Include) करना जरूरी है ।

जिस के बाद का जो अमेंडमेंट है वह मिल क्लाय कास्टिंग लेस दैन रुपीज टू पर यार्ड (Mill Cloth costing less than rupees two per yard) के बारे में है। अेक्जेम्प्टेड लिस्ट में हुंडलूम कपडे को अेक्जेम्पशन दिया गया है और तीन रुपये यार्ड का जो हुंडलूम कपडा है उसको भी अेक्जेम्पशन दिया गया है। जिसके बारे में मैंने उस वक्त कहा था कि कोर्स और मीडियम क्लाय को अेक्जेम्पशन लिस्ट में लाना चाहिये। अुमी को मुझे फिर दोहराना पड रहा है, क्योंकि अब कर्पोस पर टैक्स लगाया जानेवाला है और हमारी तरमीम भी सहीं मानी गयी है। अैसी सूरत में अुससे बननेवाला जो कोर्स क्लाय है और मीडियम क्लाय है जो रुपये यार्ड तक हैं अुनको माफी में रखना चाहिये तो थोडा सा जस्टिस (Justice) कामन सैन की हद तक होगा। मुझे अुस नारे की याद आ रही है कि 'कपडा रोटी मकान दो' आप यहां अुन लोगों के रोटी पर हाथ मार रहे हैं और अुनके कपडे पर भी आपकी नजर है। जो रोटी और कपडा अुनको मिलता है अुसको मंहगा कर रहे हैं और मकान तो आपके पास है ही नहीं। जो कुछ है वह भी बरबाद हो रहे हैं। जिसलिये मेरी गुजारिश है कि अिन तीनों चीजों पर हुकूमत को नजर डालनी पडेगी। दूसरे बडे बडे तबकों के अिनकम पर हाथ डालने के लिये हम कहते हैं और काम्पेन्सेशन कम करने के लिये कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि जागीरदारों को आप ठुकरा देना चाहते हैं। मैसूर के पास रेल्वे नहीं थी, लेकिन हमारे पास रेल्वे थी। वह हुकूमते हिंद ने ले ली और हमारी रेल्वे की अेक करोड की आमदनी कम हो गयी। जिसके लिये हुकूमते हिंद पर दबाव लायिये और अुन्होंने हमारी रेल्वे ली तो मुआवजे के तौर पर हमको अेक करोड या कम से कम ५० लाख रुपये मिलने चाहिये। जिसके लिये मजबूर करने के लिये हम सुझायें तो आप कहते हैं कि वहां पर हमारी कुछ नहीं चलती। हुकूमते हिंद से मुत्सफाना तौर से रकम नहीं मिलती तो निजाम के पास से आप ले सकते हैं, जागीरदारों का काम्पेन्सेशन कम कर के ले सकते हैं, बडे अेग्रीकल्चरल प्रोडुसर्स पर अिनकम टैक्स बढायिये अैसा हम कहें तो कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते, यानी जब शेर, हाथी और घोडे का मुकाबला नहीं कर सकते तो गरीबों, बेकारों, किसानों और भजदूरों को आराम की जिदगी देने की जो आपकी पालिसी कही जाती है अुसमें कभी कारामद नहीं हो सकते। यह पालिसी अैसी है कि जिसके नतीजे अुस हर सियासी पार्टी को भुगतने पडे हैं जिन्होंने अव्वाम के खिलाफ अैसे कदम अुठाये हैं। मुझे वह फ़ज़ याद आ रही है कि जिस कुत्ते को खतम करना है अुसको पहले मैड (Mad) कहा जाता है। हुकूमत अैसे कदम को अुठा रही है जो मजनू की तरह मालूम हो रहा है। अव्वाम से वादे किये जाते हैं कि हम रोटी, कपडा और मकान दिलायेंगे लेकिन अिधर रोटी और कपडे पर टैक्स लमाया जा रहा है। जिसलिये मैंने कपडे के सिलसिले में यह अमेंडमेंट हाअुस के सामने रखी है कि दो रुपये यार्ड तक का कपडा माफी में रखा जाय। मैं अुम्मीद करता हूं और जमाना यह कह रहा है, अव्वाम कह रही है कि आप जिसको मानेंगे। अगर आप न मानें तो जैसा कि नारा है कि 'रोटी कपडा मकान दो वरना कुर्सी छोड दो' आपको अिनमें से किसी अेक चाँअिस (Choice) को चुनना पडेगा। लोग अपना नारा अमल में लायेंगे। आपका चाँअिस क्या है? आपके क्लेमिन्स का फ़ैसला आपके हाथ में है। जिस पर आप संजीदगी से सोचें अितना ही मुझे कहना

* شری سی ایچ - وینکٹ رام راؤ :- مسٹر اسپیکر سر - میں نے شیڈیول کو بغور دیکھا ہے غنیمت ہے کہ اس میں ایسی اشیا ہیں جو زندگی کو باقی رکھنے کے لئے کافی ہوسکتی ہیں - اس میں غذائی اجناس کو چھوڑ دیا گیا ہے - جن چیزوں میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور جو زیادہ وائٹالیٹی (Vitality) رکھتی ہیں اس میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مڈیکل میان (Medical man) اور سائینٹیفک (Scientific) قطعہ نظر رکھنے والے دودھ اور انڈوں کو شامل کرتے ہیں - میں نے دیکھا کہ ان دو چیزوں کو مسٹر صاحب نے اپنی مہربانی سے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے دودھ کے ڈبوں اور ملک پوڈر کو نہیں چھوڑا - دودھ کی آج جو قیمت ہے اس کا لحاظ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک کامن میان (Common man) اس کو استعمال کرنے کی استطاعت رکھتا ہے - کامن میان کو تو چھوڑیے میں خود اپنی مثال دیتا ہوں - مجھے اس آنریبل اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناطے جو کچھ ملتا ہے اوس سے اپنے خاندان کو پالنے پوسنے کے بعد میں اس پوزیشن میں نہیں رہتا کہ دودھ خرید سکوں یا دودھ پر غیر معمولی خرچہ کرسکوں - چنانچہ مجبوراً مجھے ملک پوڈر استعمال کرنا پڑتا ہے جب کہ مجھے چار چھ احباب کو چائے وغیرہ پلائی ہو - باہر کے ملکوں میں جہاں دودھ کی بہتات ہے وہاں سے ہمارے پاس دودھ آتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کے ایسے لوگ جو یہاں عام طور پر دودھ نہیں خرید سکتے وہی اس سے استفادہ کرتے ہیں - میں مسٹر صاحب کی توجہ اس طرف بھی مبذول کراؤنگا کہ اگر ماؤں کو دودھ نہیں آتا ہے تو جز معاش لوگ یہی ڈبہ کا دودھ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں اس لئے اگر ایسی چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے تو اس سے ان کی قیمت میں اضافہ ہوگا جس کا لازماً نتیجہ ایسے کامن پر پڑیگا جو پہلے سے کم استطاعت رکھتا ہے -

میں مسٹر صاحب سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیپلز ڈیموکریٹک کنٹریز (Peoples Democratic Countries) ہیں یا وسٹرن کنٹریز (Western Countries) ہیں وہاں کی حکومتوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ کامن میان کو اس کی غذا میں زیادہ سے زیادہ دودھ اور انڈے مل سکیں - میں رشیا اور چائنا کی مثال دیتا ہوں وہاں بھی یہی حال ہے - اگرچہ ہمارے مسٹر صاحبان کو اکثر ان ممالک کی مثال پر اعتراض رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں خواہ وہ کہیں کی ہوں ان کو اپنانا چاہئے - وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دودھ اور انڈے کامن میان کی غذا میں شامل ہیں یا نہیں - دودھ انڈے اور مسکہ کی قیمت کیا ہونا چاہئے تاکہ اوسے کامن میان استعمال کرسکے - اور ساتھ ساتھ یہ ایک پریونٹیو میژر (Preventive measure) ثابت ہو اور دوسری طرف عوام توانا اور صحت مند رہیں - ٹی - بی ہاسپٹل کا ادگھائن کرنے وقت ہمارے چیف مسٹر صاحب نے بھی بالکل یہی فرمایا تھا کہ ہاسپٹل کھولنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ پریونٹیو میژرس اختیار کرنا چاہئے انہوں نے بھی یہ ہراورب (Proverb) کہا تھا " Prevention is better than cure "

تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ جس ایریا میں کم سے کم بیسٹنس ہوں وہاں کے ڈاکٹر کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جائے۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری حکومت کو بھی اس طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس پر ٹیکس نہ لگانا چاہئے کیونکہ ان چیزوں کا استعمال ایک طرح کا بریونٹیو میٹر ہی ہے۔ لیکن آج قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان چیزوں کا استعمال غیر ممکن ہوتا جا رہا ہے۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایم۔ ایل۔ اے بننے سے قبل ایک ہفتہ میں کئی انڈے کھاتا تھا لیکن اب ایم۔ ایل۔ اے بننے کے بعد ہفتہ میں ایک انڈا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس لئے میں منسٹر صاحب سے خواہش کرونگا کہ ان باتوں کا لحاظ کریں۔

شری. وی. کے. کورٹکار:—سےلس ٹیکس نیکالنے کے بعد کیتنے بار خا سکنے؟

شری سی ایچ۔ وینکٹ رام راؤ:— موجودہ جو پوزیشن ہے میں وہ بتلا رہا ہوں۔

شری. وی. کے. کورٹکار:—جس ہدتک آپکا کھنا میں مان لیتا ہوں۔

شری سی ایچ۔ وینکٹ رام راؤ:— موجودہ حالات میں ہائیر مڈل کلاس کے لوگوں کے لئے بھی دودھ اور انڈے خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد پلاننگ وغیرہ کے تحت کامن میاں کو بھی یہ چیزیں مل سکیں لیکن اوس وقت کا انتظار نہ کرنا چاہئے اس ریژنیل اسٹمنٹ کو منظور کیا جانا چاہئے۔

شری. وی. کے. کورٹکار:—اध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर जो अमेंडमेंट्स आये हैं उनमें से मैं अमेंडमेंट नंबर तीन जो अंडे के बारे में है उस हदतक मान लेता हूँ। और दूसरी जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें मैं कबूल नहीं कर सकता। पहली जो अमेंडमेंट है उसमें सिरियल्स (Cereals) और पल्सेस (Pulses) को निकालने के बारे में कहा गया है। जवार, राजिस, तुवर, ग्राम आदि पर सेल्स टैक्स न लिया जाय ऐसा जिस अमेंडमेंट का मनशा है। मैं जिसको कबूल नहीं कर सकता। अगर जिस अमेंडमेंट को कबूल किया जाय तो जिस बिल का जो मकसद है वही फौत हो जाता है। यह अमेंडमेंट जो दी गयी है वह बहुतही होशियारी से दी गयी है। जिसे यदि मान लिया जाय तो पूरा बिल ही बेकार होता है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—सिरीयल्स पर आपको कितना टैक्स मिलेगा ?

श्री. वि. के. कौरटकार:—अंदाजा यह है कि सिरीयल्स और पल्सेस पर ही ८० लाख से १ करोड तक का सेल्स टैक्स मिलेगा। १ करोड और २८ लाख का जो अंदाजा लगाया गया है जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसमें से १ करोड तक तो सिर्फ सिरीयल्स पर मिलेगा। १ करोड तक सेल्स टैक्स छेडने की तो मेहरबानी बहुत होगी। वह मैं नहीं कर सकता हूँ।

जिसके बाद काँटन के बारे में जो अमेंडमेंट आयी हैं उसे भी मैं कबूल नहीं कर सकता। काँटन पर तो पहले से ही सेल्स टैक्स हैं। वह कोर्बी सेल्स टैक्स से खाली नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जिसपर से ४२ लाख निकाले गये हैं। और आपकी जिस अमेंडमेंट को माना जाय तो ६०,७९

लाख की कमी हो जायेगी। जिस लिये मैं जिसे भी कबूल नहीं कर सकता, और मिल क्लॉथ के बारे में जो अमेंडमेंट है उसे भी मैं कबूल नहीं कर सकता हूँ। मिल क्लॉथ पर सेस लगाया जा रहा है।

आटा, सोजी, मैदा आदि के बारे में जो कहा गया उसपर मुझे जितना ही अर्ज करना है कि जिस पर तीन चार टाजिम सेल्स टॅक्स नहीं लिया जाता है। जो लोग आटा सोजी, या मैदा वगैरा चक्की पर पिसवाने के लिये ले जाते हैं उनसे तो कोची टॅक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन आटा, सोजी, मैदा आदि तयार करने के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े पैमाने पर अनाज लेकर उसका आटा, सोजी बनाकर बेचते हैं, उनपर यह टॅक्स आयद होनेवाला है। यह जो मिल के लोग होते हैं वे होल्सेलर या रिटेलर को बेचते हैं। जिसमें यह भी है कि जिनके घंटे की आमदनी ७५०० रुपयों से कम है अन्हे कोची सेल्स टॅक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जिनको अपनी मजदूरी मालकी शकल में मिलती है यानी जो अपनी मजदूरी अनाज में लेते हैं, उनपर भी यह टॅक्स नहीं बैठनेवाला है। जिस लिये जिस टॅक्स का असर बहुत बड़े तादाद पर पड़ेगा यह जो ख्याल किया जा रहा है वह गलत है।

पाँवडर मिल्क के बारे में जो अमेंडमेंट दी गयी है उसे भी मैं मंजूर नहीं कर सकता हूँ। ताज दूध पर तो टॅक्स है ही नहीं और भेरा ख्याल है कि दूध के डब्बे जो जिस्तेमाल करते हैं वे अमीर ही लोग ज्यादा तर होते हैं। और वे जिस टॅक्स को दे सकते हैं। पाँवडर मिल्क पर दूसरी जगह भी टॅक्स लगाया जाता है, और उसी तरह यहाँ भी लगाया जा रहा है। मल्खन जो बन्द डिब्बों में रखा जाता है उसपर सेल्स टॅक्स लिया जानेवाला है। दूसरे बटर पर टॅक्स नहीं है। डब्बे में जो बटर होता है उसे तो मालदार लोग ही ज्यादातर जिस्तेमाल करते हैं। उस पर टॅक्स आयद किया जा रहा है। जिसलिये जिसका तो स्वागत किया जाना चाहिये। बाकी कुछ खास चीजें नहीं हैं। मैंने बताया ही है कि अंडोंकी हदतक जो अमेंडमेंट था उसे मैंने कबूल कर लिया है, और बाकी अमेंडमेंट्स कबूल नहीं हैं।

Clause 3.

Mr. Speaker : I shall put the amendment of Shri B. D. Deshmukh as amended by Shri V. D. Deshpande to vote.

The question is :

“That for item ‘1’, substitute :

‘1. Jawar, Rice, Tuwar Dal and Gram Dal.’”

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

“That after item ‘1’ add :

‘2. Flour including ata, maida, suji and bran (except when sold in sealed containers.)’”

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The amendment No. 3 standing in the name of Shri Ch. Venkatrama Rao, *viz.*, "In item '3' between 'potatoes,' and 'meat' insert 'eggs', has been accepted by the Member in charge of the Bill. As such, it need not be put to vote.

The question is :

"That in item '6', for 'Fresh milk' substitute 'Milk (liquid or power)'".

Mr. Speaker : The question is :

"That in item '6', omit '(except when sold in sealed containers)'".

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That after item '10' add : '11. Cotton including kaspas'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That after item 15, add : '16. mill cloth costing less than Rs. 2 per yard'".

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That Clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 as amended was added to the Bill.

Clause 2.

Mr. Speaker : I shall now put the amendments to Clause 2 to vote.

The question is :

"That in line 6, for 'six' substitute 'three'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

“That after line 8, add :

“(i) So much of the turnover as is attributed to transaction in all cereals and pulses including all kinds of rice which takes place in market prescribed shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the official Gazette’.”.

The motion was negatived.

Mr. Speaker : Amendment No. 3 standing in the name of Shri. V. D. Deshpande, viz., “After line 8, add :

“(i) So much of the turnover as is attributed to transaction in kerosene shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the official Gazette’.”.

has been accepted by the Member-in-charge of the Bill. As such, it need not be put to vote.

Mr. Speaker : The question is :

“That Clause 2, as amended, stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clause 2 as amended was added to the Bill.

Mr. Speaker : The Question is :

“That the Preamble, Short title and Commencement stand part of the Bill” .

The motion was adopted.

The Preamble, Short title and Commencement were added to the Bill.

Shri V. K. Koratkar : Sir, I beg to move.

“That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed” .

Mr. Speaker : Motion moved.

**Shri V. D. Deshpande*: Now the Bill is a *fait accompli* and though some amendments have been accepted the common man has been taxed. His food, his clothes, have been taxed and his house has already been taxed. Thus the scheme of taxing the common man is now complete.

At this stage of the third reading of the Bill, I cannot but express the view that the Government has failed in its responsibility to the common man. They failed to assert their claim on the Government of India in this particular respect. The consequences of such types of taxation as these are evident and will bear fruit ere long. I wish to emphasise that this kind of taxation will not help the Government. This type of taxation on the common man's food and cloth will in the long run affect the trade and commerce of Hyderabad. Already, the merchant community has brought this point to the notice of the Government of Hyderabad that their multi-point sales tax and their taxing every item that people use will lead to disastrous effects. At this third reading of the Bill, I cannot but oppose this Bill and I am constrained to say that wise counsels had not prevailed on the Government and in their anxiety to fill up the gap they have taken recourse to a course of taxation which is inequitable and which is not in the interests of the common man and which once more shows to the world the feudal and the monopolistic character of the present Government who do not think of taxing those who have unearned incomes or those who have exploited the common man by having high rates of profits. It is not them that the Government has dared to touch. It is the common man that is touched when the question of deficit is there. This has been the policy of the British Government in India and this has also been the policy of the Nizam during the Razakar Government in Hyderabad and the very same tradition the present Government is continuing. They have utterly failed through the present legislation to do justice to the common man. I need not dilate upon this point much more because I find that our outlook fundamentally differs. It differs basically. The way in which we think we should give relief to the common man is entirely different from that in terms of the Government think. Without any pinch on their conscience the Government could so easily tax the common man's food and cloth. Well, the Bill is at the third reading stage and it is a *fait accompli*. I believe all the Opposition Members and also a section of the Congress, I believe, is opposed to this flat type of taxation. As I have pointed out so far as jawar, rice,

pulses, etc., concerned, even now I feel that the majority of the House does not want to tax the common man's food. But the party whip is there and the ruling party must have had recourse to it. But such a thing does not last long and in due course it will react on them with double energy and sooner or later such legislations of taxation shall have to give way. Anyway, I again oppose this particular Bill at the third reading stage and I hope the Government will, if not now, at least with the common man's will and necessary pressure and sanction that make them bend and change their view at a later date will revise this particular legislation.

Mr. Speaker : The question is :

“ That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed ” .

The motion was adopted.

L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill 1954.

The Deputy Minister for Public Health, Medical & Rural Reconstruction (Shri : Bhagwant Rao Gadhe): I beg to move :

“ That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a first time ” .

Mr. Speaker : Motion moved.

شری بھگونت راؤ گاڈھے :- مسٹر اسپیکر سر - یہ ایک چھوٹا سا بل اس غرض سے پیش کیا گیا ہے کہ حیدرآباد کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ سنہ ۱۹۵۲ء کے تحت رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کو کوآپریٹیو سوسائٹیز کی نزاعات اور ان کے وصول طلب قرضوں کے بارے میں تصفیہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ تصفیہ ہو رہے ہیں۔ ڈگریاں صادر ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے اکرڈیکیشن کا سوال آتا ہے تو ان ڈگریاں اور تصفیہ کو محکمہ مال یا عدالت میں جنہیں اختیار سہاعت حاصل ہے مستقل کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ حالات میں محکمہ مال کے عہدہ دار مختلف فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں اپنے محکمہ کے کام سے ہی بہت کم فرصت ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ڈگریاں کی تکمیل میں کافی طوالت ہو کر سوسائٹیز کو کافی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت تک جب تک کہ ڈگری شدہ رقم وصول نہ ہو

سوسائٹی کا سرمایہ لاک اپ (Lock up) رہتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار کو بھی اگزیکوشن کے اختیارات دئے جائیں۔ امہول قانون کے لحاظ سے ہی یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہدہ دار صادر کنندہ ڈگری کو تعمیل کے اختیارات نہ دئے جائیں اور دوسرے محکمہ کے پاس روانہ کئے جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس خامی کو رفع کرنے کے لئے یہ امینڈنگ بل یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس کو منظور کرنے سے پرانے قرضہ جات جن میں ڈگریاں صادر ہو چکے ہیں ان کی جلد از جلد تعمیل میں سہولت ہوگی۔ اور جو قرضہ جات رکے ہوئے ہیں اور جو رقمیں سوسائٹیز کو وصول طلب ہیں ان کے جلد حاصل کرنے میں کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار یا ان کے ایسے ماتحتین جنہیں وہ یہ اختیار تفویض کریں تعمیلی کارروائی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات ضروری ہے۔ یہ خامی رفع ہونا ضروری ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کی ضرورت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ رزرو بنک آف انڈیا سے جو قرض حیدرآباد اسٹیٹ کے لئے اسٹیٹ کوآپریٹیو بنک کو دیا جاتا ہے اسکی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ ایک مدت مقررہ کے اندر ادا کر دیا جائے۔ اگر اس مدت میں ادا نہ ہو تو دوسرے سال قرضہ حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس اہم شرط کی تکمیل کے لحاظ سے بھی اس بل کو منظور کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے عہدہ داروں کو یہ اختیارات دئے جائیں تو وہ جلد سے جلد قرضہ وصول کر سکیں گے۔ اور اسکی ادائیگی ہوسکیگی اور اسکی وجہ سے کاشتکاروں کو اسینشیل آپریشنس کے لئے وقت پر قرضہ جات بھی مل سکیں گے اور انہیں آسانی سے ریلیف مل سکیگی۔ کیونکہ دوسرے ذرائع سے انہیں قرضہ ملنے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے ڈیٹرس ریلیف بل (Debtors relief Bill) پاس کیا ہے۔ اور کئی قوانین بھی ہیں ان کے لئے یہی ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعہ گورنمنٹ نے انہیں رقم فراہم کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ میں عرض کرونگا کہ اس بل کو منظور کیا جائے۔

* شری بی۔ ڈی۔ دیشمکھ :- مسٹر اسپیکر سر۔ اس بل کے بارے میں آنریبل ممبر نے اپنی وضاحتی تقریر میں اسے ایک معمولی سا بل فرمایا ہے۔ میں اس نوبت پر اختلاف کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں لیکن اس کی تعمیل کے تعلق سے جو شبہات ہیں اونکو میں ہاؤس کے سامنے رکھوں گا۔ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو سیونگ (Saving) کے نقطہ نظر سے رکھا گیا ہے اور منشاء یہ ہے کہ کسانوں کو اس سے سہولت ہوسکے قرضوں کی وصولی کے سلسلہ میں نہیں معلوم کہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ اون کی سہولت کو ملحوظ رکھیگا یا نہیں۔ کسانوں کے ذمہ لاکھوں روپیہ باقی ہیں۔ وہ اس وجہ سے باقی ہیں کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے ان میں ادا کرنے کی سکت نہیں ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے قرضے ادا کر سکیں۔ مادھو راؤ کمیٹی کی اگریمن رپورٹ (Agrarian report) میں خاص طور پر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسانوں کے ذمہ خانگی قرضوں کے ساتھ ساتھ کوآپریٹیو کے قرضے کافی ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ پرہیڈ (Per head) (۳) روپیہ کا کھانا مقروض ہے۔ ان حالات کے تحت ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں بیجا سکتی

ساتھ کسانوں سے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ قرضے وصول نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسانوں کے زمینات ضبط اور ہراج ہونے کی نوبت آجائے۔ عدالت میں رجوع ہو کر کسانوں سے قرضے وصول کرنے کی صورت میں خلاف ضابطگی کی گنجائش نہیں رہتی لیکن راست کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ وصول کرے تو ممکن ہے کہ کسانوں کو پریشان ہونا پڑے۔ ممکن ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط اور نیلام کی جائیں۔ کیونکہ اس میں ایسا پراویژن (Provision) رکھا گیا ہے۔ تعمیل کے دوران میں ممکن ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس پراویژن سے استفادہ کرے۔ اور کسانوں کی جائیداد کو ضبط و نیلام کرنے سے دریغ نہ کرے۔ ڈپارٹمنٹ تو یہ چاہیگا کہ زیادہ سے زیادہ بقایا کسی طرح وصول کیا جائے تاکہ اپنی کارگزاری ہو اور ڈپارٹمنٹ کے کریڈٹ (Credit) کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ان خیالات کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آنریبل ممبر اپنے جواب میں وضاحت کریں گے۔

श्री देवीसिंग चौहान (औसा) :- मिस्टर स्पीकर सर, मेरा जिस फर्स्ट रीडिंग के वक्त बोलने का जिस्सादा नहीं था, लेकिन अपोजीशन की जानिब से जो ब्याल जाहिर किया गया उससे मुझे बोलने पर मजबूर होना पड रहा है। यह एक मामूली बिल है जिस लिये कि कोआपरेटिव्ह सोसायटीज के कर्जेजात आसानी से वसूल किये जायें। लेकिन जिसके बारे में भी कुछ अंसे शुक्क जाहिर किये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि काश्तकारों पर बडा जुल्म होगा, गोया तमाम जुल्म और ज्यादती को रफा करने की जिम्मेदारी आनरेबल मॅबर ने ही ली है। अंसी छोटी सी बातों पर भी जिस तरह से कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अपोजीशन का कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसीजम (Constructive criticism) का रोल (Roll) होना चाहिये उससे पूरी तरह से दस्तबरदारी की जा रही है। नाजायज तरीके से अपोजीशन करने की आनको आदत ही हो रही है।

श्री بی۔ ڈی۔ دیشمکھ :- آنریبل ممبر کو مغالطہ ہو رہا ہے۔ میں نے صرف جن خطرات کا اندیشہ تھا اونکا اظہار کیا ہے اور یہ ریکوسٹ (Request) کی ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں آپکا اظہار خیال بے موقع ہے۔

श्री देवीसिंग चौहान :- मैं कहूंगा कि यह शक जाहीर करना बिल्कुल बेमहल है, बेमौका है और उसके लिये यहां पर कोबी गुंजाबिश नहीं है। अगर कोबी अंसा मौका पैदा हो जाता है तो उसके लिये कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट की मुशीनरी है, हूकूमत है, उसके सामने ये बात आ सकती है। लेकिन अन्हें तो जिस बिल का स्वागत करना चाहिये था। कोआपरेटिव्ह डिपार्टमेंट का काम रुक रहा है, आनकी जो रुकावटें हैं आनको आसान बनानेके लिये और कोऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट (Co operative Movement) को तरक्की देने के लिये यह अमेंडिंग बिल (Amending Bill) लाया जा रहा है। जिसके बारे में कोओ शिक्षायत का मौका मिलता है तो उसके लिये और जगहें थीं। मैं जितना ही कहना चाहता था कि कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से काम करने का मौका दिया जाय और कोऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट को आगे बढायें। काश्तकारोंको आसानि के साथ ब्यादा पैमाने पर कर्जेजात, दिये जाने के लिये बिल लाया गया है उसमें शक व शुबहा करने की कोबी गुंजाबिश नहीं है।

شری بھگونت راؤ گاڑھے :— میں مختصر طور پر ایک ایک جملے میں اعتراضات کا جواب دیدونگا۔ ڈیٹرس ریلیف بل (Debtors Relief Bill) کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ بعض قرضہ جات مستثنیٰ رکھے گئے ہیں۔ میں نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ مختلف قوانین کی وجہ سے کسانوں کو قرضہ جات نہیں مل رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ عہدہ داران کو آپریٹیو وصولی قرضہ کے سلسلہ میں من مانے کارروائی کرینگے وغیرہ میں کہوںگا کہ یہ اندیشہ صحیح نہیں ہے۔ اسلئے کہ اوارڈ (Award) کے کارروائی سے ضابطہ دیوانی متعلق کیا گیا ہے اسکے بعد بھی بدعنوانی ہوتی وہ علیحدہ طور پر لائی جاسکتی ہے اور اسکا انسداد ہوسکتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ بقایا کے سلسلہ میں کسانوں کے مکانات اور جائداد ہراج کر دیجا ئیگی وغیرہ۔ جیسے دوسری سہولتیں کسانوں کو دی گئی ہیں اویسی طرح کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ وصولی قرضہ کے سلسلہ میں بھی رعایتیں ملحوظ رکھیگا۔ سود کی رقم بڑھگئی ہے تو اوس کے لئے احکامات موجود ہیں اونکے لحاظ سے عمل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئریبل ممبرس کو اس سلسلہ میں احکامات کا علم ہوتا تو ان اعتراضات کی نوبت نہ آتی۔ ایک آسامی قرضے کی وصولی کے سلسلہ میں کسان کو مجبور کرسکتا ہے کیونکہ وہ انڈیچول (Individual) کا مفاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے۔ سوسائٹی قرضہ دیتی ہے اور سوسائٹی ہی قرضہ وصول کرتی ہے۔ یہ کاشتکاروں کی سوسائٹی ہے۔ کاشتکاروں کے سرمایہ کی سوسائٹی ہے۔ اسلئے میں کہوںگا کہ یہ اعتراضات صحیح نہیں ہیں اسلئے میں خواہش کرتا ہوں کہ فرسٹ ریڈنگ (First reading) منظور کی جائے۔

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a first time.”

The motion was adopted.

Shri Bhagwant Rao Gadhe : I beg to move :

“That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a second time.”

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a second time.”

The motion was adopted.

Shri Devisingh Chowhan : I beg to move :

(a) "That in the marginal note to Section 66-C, omit 'and revision'."

(b) "For lines 42 and 43, substitute 'be final'."

(c) "Omit lines 44 and 56".

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Govindrao More (Kandhar-General) : I beg to move :

"That after line 35, add :

'(2) Notwithstanding anything contained in section 60 or 66-A of the Act, the Registrar may, of his own motion, or on the application of any party to the execution proceedings pending with the Civil Court of the Revenue Authorities as the case may be, transfer the execution application at any stage and start execution either by himself or by any officer subordinate to him empowered in that behalf.'"

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Bhagwant Rao Gadhe : I accept both the amendments.

Clause 2.

Mr. Speaker : The question is :

"That Clause 2 as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker : The question is :

"That Short title, Commencement, and Preamble stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Short title, Commencement, and Preamble were added to the Bill.

Shri Bhagwant Rao Gadhe : I beg to move :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

Mr. Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed.”

The motion was adopted.

Statement regarding the accident to the G.T. Express on 27th September, 1954

Shri V. D. Deshpande : Mr. Speaker, Sir, I request the hon. the Chief Minister to make a statement.....

The Chief Minister (Shri B. Ramakrishna Rao) : Sir, I am on my legs.

میں بہت بڑے حادثے کے بارے میں کچھ اطلاعات ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

Mr. Speaker : The Chief Minister has information, I think, covering upto 2 p.m. today.

**Shri B. Ramakrishna Rao* : Yes, till 2 or 2-30 p.m.

دو ڈھائی بجے تک جو واقعات گزرے انکی کچھ تفصیلات ہاؤس کے سامنے آئریل ہوم منسٹر نے بیان کئے ہیں۔ اوسکے بعد کے واقعات میں ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مقام واردات سے میں ابھی آدھ گھنٹہ پہلے آیا ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ایٹو دی لاسٹ منیٹ (Up-to-the last minute) نہیں تو کم سے کم اوس وقت تک نیکے واقعات کا خلاصہ بیان کروں جب میں وہاں سے نکلا۔

واقعہ یہ ہے کہ کل رات کو یہاں سے جو (۳۱۹) نمبر کی ٹرین (Train) نکلی تھی سوا گیارہ بجے جنگاؤں اور رگھوناتھ پٹی کے درمیان اوسکے پانچ کیارریجس (Carriages) بہتی ہوئی ندی میں گر گئے جو دو تین تالابیوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ بہ رہی تھی۔ پچھلا اور اگلا کیارریجس بچ گیا۔ باقی کیارریجس ندی میں گر گئے جسکی وجہ سے کئی آدمی ہلاک ہو گئے۔ چند کیارریجس آدھے پون میل تک بہ گئے۔ انکے پر خچے اڑ گئے۔ اونکے دروازے کہیں توفیان (Fan) کہیں ندی کی ریت میں دھنس گئے تھے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کل اس ٹرین سے پانچ سو مسافر گئے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ پچھلے جو ڈبہ تھا اور سامنے انجن کے قریب جو ڈبہ تھا دونوں بچ گئے۔ ایک ڈبہ تو ندی کے اندر ڈھلا ہوا تھا اور اس میں جو پیسنجرس تھے وہ کچھ گھنٹوں تک لٹکتے رہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو حالیہ زمانہ میں کم از کم ہمارے اسٹیٹ کی حد تک نہیں پیش آیا تھا۔ اس حادثہ کی وجہ سے جو مسافر تھے وہیں اون کا صحیح اندازہ تو میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن آرمی کے لوگ اور کچھ فوجی

لوگ بچھنے کے ڈبہ میں تھے وہ بچ گئے اور ایک تھروکیاریج (Through carriage) جو دلی کے لئے تھا اور جو سامنے لگا ہوا تھا اوس میں کے کچھ لوگ بھی بچ گئے ۔ دو کیاریج کے لوگ بچ گئے باقی سب کیاریجس ندی میں بہ گئے ۔ اون میں سے اکثر لوگوں کی موت واقع ہو گئی ۔ جو لوگ بچ گئے اور جو لوگ زخمی ہو گئے اون کی تعداد حاصل کی گئی قریب قریب ۵۰ یا ۶۰ آدمی زخمی ہوئے تھے اون کو وہاں پر فوری مدد دی گئی ۔ مقامی ڈاکٹر واقعہ کے آدھ گھنٹے کے بعد ہی پہنچ گئے ۔ چونکہ رات کا وقت تھا وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی ۔ چو طرف تاریکی تھی ۔ لیکن پھر بھی جو مدد دی جا سکتی تھی ، دی گئی ۔ حیدرآباد میں جب اس حادثہ کی اطلاع ملی تو آر ۔ ٹی ۔ ڈی پولیس ۔ اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے جن عہدہ داروں کی ضرورت تھی وہ یہاں سے چلے گئے ۔ اور وہاں پر انہوں نے کام شروع کیا ۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ نعشوں کی تلاشی کی جائے اور جو لوگ ابھی زندہ موجود تھے اون کے زخموں کا علاج کیا جائے ۔ جہاں تک میری معلومات ہیں ساڑھے تین بجے تک (۳) نعشیں برآمد ہوئی تھیں ۔ اور نعشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے ۔ سرچ پارٹیز لگائی گئی ہیں ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ندی بالکل چھوٹی ہے ۔ مگر کل رات اوس میں اسٹارسی واٹر (Stormy water) تھا چنانچہ نعشیں دس میل تک پہنچ گئیں ۔ بعض جگہ سات سات میل تک مواضع میں نعشیں ملی ہیں ۔ اون کے لانے کے لئے ٹرکس بھیجے گئے ۔ اور سرچ پارٹیز بھی بھیجی گئیں ۔ تاکہ ندی کے کورس پر دس دس اور بارہ بارہ میل تک نعشوں کا پتہ لگایا جائے ۔ کل رات جو لوگ سفر کر رہے تھے اون کے عزیز و اقارب کو جب اطلاع ملی تو وہ موٹروں لاریوں اور بسوں میں مقام حادثہ پر پہنچے ۔ بعض عزیز و اقارب کو نعشیں ملیں ۔ اور بعض لوگ زندہ بھی ملے ۔ ساڑھے تین بجے تک (۳) نعشیں برآمد ہوئی تھیں ۔ اور خطرہ یہ ہے کہ اور بہت سی نعشیں برآمد طلب ہیں ۔ اون کی تلاشی کا سلسلہ جاری ہے ۔ چند زخموں کا علاج جنگاؤں ہسپتال میں کیا گیا ہے ۔ اور چند زخموں کو بشمول آرمی کے لوگوں کے حیدرآباد بھیج دیا گیا ہے تاکہ عثمانیہ ہسپتال میں زخمی شدہ لوگوں کا علاج کیا جاسکے ۔

چونکہ نعشیں برآمد ہوئیں اور جن کو اون کے عزیز و اقارب نے آئڈنٹیفائی (Identify) کر لیا ہے وہ ان کے حوالے کی گئیں اور وہ اون کو لیکر گئے ۔ لیکن جن لوگوں کے عزیز و اقارب نہیں پہنچے یا جن کو لوگ ابھی تک آئڈنٹیفائی نہیں کر سکے اون کو عثمانیہ ہسپتال میں بھیج دیا گیا ہے ۔ جسے جسے نعشیں برآمد ہو رہی ہیں ویسے ویسے اون کو عثمانیہ ہسپتال بھیجا جا رہا ہے تاکہ اون کے عزیز و اقارب اون کو شناخت کر کے لے جا سکیں ۔ مجھے اس حادثہ کا بڑا ہی سخت افسوس ہے ۔ میں خود وہاں پر بعض لوگوں کے ساتھ پہنچا ۔ ریویو منسٹر شری رنگا ریڈی ۔ ڈاکٹر چنا ریڈی ۔ شری متی سنگم لکشمی بانی اور اس ہالوں کے کئی آئریبل ممبرس بھی تشریف لائے تھے ۔ ان سب لوگوں نے اوس حادثہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا دردناک واقعہ کم از کم اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ۔ میں اس کے متعلق اور کچھ نہیں کہہ سکتا ۔ یہ ایسے

مصیبت آئی ہے جس کا روکنا ہمارے اختیار میں نہ تھا۔ ساری کوششیں جو مسلولو کین کے عزیز و اقارب کو میدد دینے کے لئے کرنا چاہئے تھی کی جارہی ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ صبح آلیر کے پاس جو ریلوے پل تھا اوس کا اسپیان ٹوٹ گیا۔ اور اس پر جو ریلوے پٹری تھی وہ علحدہ ہو کر معلق ہو گئی ہے۔ اور پل کا جو کھم تھا وہ بھی گر گیا ہے۔ اور ٹرین کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں پل درست نہیں ہیں وہاں ریلوے کا آنا جانا رک جائیگا یا یہ کہ جب ریلوے کمیونیکیشنس (Communications) جاری ہوں تو ٹرانسٹپمنٹ (Transshipment) بھی ہوسکیگا۔ میں نے سنا ہے کہ سنٹرل ریلوے کے جنرل مینجر شری سلڈانہ پلین (Plane) کے ذریعہ پہنچ گئے ہیں اور کرین وغیرہ طلب کر کے جو کھیا ریجیس دھنسے ہوئے ہیں اور جن میں نعشیں ہیں اون کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی۔ جی۔ پی اور کلکٹر بھی موقع پر موجود ہیں۔ اور کوششیں کر رہے ہیں کہ کرین آنے کے پہلے انسانی مدد سے ان کو نکالا جائے لیکن مجھے اس کا اسکان کم نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ریت کے اندر کیا ریجیس کا کچھ حصہ دھنس گیا ہے۔ آلیر میں جس طرح پل گر گیا ہے ویسا حادثہ ایک اور بھی ہوا ہے۔ جس کا تعلق اس سے نہیں لیکن اوس حادثہ سے بھی میں متاثر ہوا۔ بھونگیر اسکول کے تقریباً (۴۲) طلبا اور ٹیچرس اس واقعہ کو سن کر اون کی مدد کرنے کے لئے ٹرک کے ذریعہ بھونگیر سے روانہ ہوئے۔ وہ لوگ آلیر کے قریب پہنچے تھے کہ اون کی ٹرک الٹ گئی۔ (۴۲) آدمی زخمی ہوئے اون میں سے تقریباً (۹) آدمیوں کو فریکچر (Fracture) آ گیا ہے۔ جن میں طلبا اور ٹیچرس دونوں بھی شامل ہیں۔ وہ سب بھونگیر کے دواخانہ میں ہیں۔ واپسی میں میں اون کو بھی دیکھتا ہوا چلا آیا۔ غرض یہ کہ کچھ برے واقعات میرے نصیب میں دیکھتا تھے میں نے دیکھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اوگوں کو بھی واقعات کی اطلاع دوں۔ حکومت کی طرف سے اون مسافروں کے عزیز و اقارب کی اطلاع کے لئے ایک پریس کمیونیکے بھی جاری کیا گیا ہے۔ اور ریڈیو پر بھی اعلان کیا جاوہا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو مالی مدد کی ضرورت ہے اون کو مالی امداد حکومت کی طرف سے دی جائے۔ ہمارے ریہیبیلیٹیشن سکرٹری شری نگیندر بہادر کو مجاز گردانا گاہے کہ مسافروں کے جو ڈسٹی ٹیوٹ عزیز و اقارب ہیں وہ اگر آئیں تو اون کی مدد کی جائے۔ چنانچہ اس کا ریڈیو سے اعلان ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہ واقعات ہیں جن کو میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ وہاں آئی۔ جی۔ پی موجود ہیں۔ میں نے اون سے کہا ہے کہ جو مزید ہدایات وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹی کنٹیکٹ؟ Directly contact کر کے مجھ سے یا ہوم مسٹر سے ہدایات حاصل کریں۔ جس ریلیف کی بھی ضرورت ہے اوس کے متعلق حکومت کی طرف سے جلد از جلد کام کیا جا رہا ہے۔ ٹرکس کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ ملٹری کی بھی مدد گئی ہے۔ روڈ کراس کی امبولنس کاربن بھیجی گئیں ہیں۔ اور طبابت کی جانب سے بھی لوگ گئے ہیں۔ اور خود حیدرآباد اور سکندرآباد اور پٹنجاؤں وغیرہ سے لوگ کثرت سے آرہے ہیں۔ اور وہاں کے شیرنس بھی

مدد دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعات ہیں جن کو میں انہماق افسوس کے ساتھ
ہاؤس کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پورا ہاؤس اس حادثہ پر اپنے افسوس
کا اظہار کریگا۔ اور میرے جذبات میں شامل رہیگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ
اون مہلوکین کے پسماندگان کو تعزیت ادا کرنے میں بھی ہاؤس میرے ساتھ شریک ہوگا۔
یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے جو بالکل ہمارے بس کے باہر تھا۔ سوائے اس کے کہ
ہم ان مہلوکین کے پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور ان کی ضرورتوں کو
پورا کریں اور کوئی دوسرا چارہ ہمارے پاس نہیں۔

श्री व्ही. डी. देशपांडे :- जो वाक्यात हमारे स्टेट के अंदर हुआ है अतकी वजाहत चीफ मिनिस्टर
साहब ने अभी की है। जो वाक्या गुजरा है वह दर्दनाक है, अफसोसनाक है। चहु-दुःख की बात
है कि अतने लोग जिस मौके पर अपनी जान खो गये और जखमी हुवे। अतके बारे मे चीफ मिनिस्टर
साहब ने जो ख्यालात जाहिर किये अतके साथ में अपनी पार्टी की तरफ से सहमत हूं। ओर अत
लोगों के दुःख में शामिल हूं। साथ साथ में अम्मीद करता हूं कि जो लोग बचे हैं अतको हर तरीके
से अमदाद मिले और आयदा जैसे वाक्यात पेश न आयें। अतना ही जिस सिलसिले में कहते
हुअे अतके बारे में जो ख्यालात चीफ मिनस्टर साहब की तरफ से जाहिर किये गये और जो कन्डो-
लन्सेस (Condolences) अँफर (Offer) किये गये हैं अतका मैं भी अजहार
करना चाहता हूं।

* شری کے - اننت ریڈی (بالکنڈن) :- جو درد ناک اور افسوسناک واقعہ بیان کیا گیا ہے
اوس کے تعبق سے لیڈر آف دی ہاؤس نے جو اظہار رنج و غم کیا ہے اوس میں ہم بھی
اون کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ جو واقعہ تھا قدرتی تھا ظاہر ہے کہ جس پر کسی کو قابو
نہیں تھا۔ اس واقعہ کی وجہ سے جن لوگوں کو جانی و مالی نقصان ہوا اون کے پسماندگان
کو جو نڈسہ ہوا اوس صدمہ میں اس ہاؤس کے آئریبل ممبرس بھی شریک ہیں۔

مسٹر اسپیکر :- ابھی جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں اس میں میں بھی ابھی آپ
لوگوں کا شریک ہوں۔ دوپہر کو ہم نے جو واقعات سنے وہ خود کافی دردناک تھے۔
اب اس میں یہ اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ جس لاری میں بچے مدد کے لئے جا رہے تھے
وہ بھی اٹ گئی۔ اور اون کو بھی حادثہ پیش آیا۔ اوس کے علاوہ ایک اور پل بھی
ٹوٹ گیا ہے۔ غرض کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ ہاؤس میں اس سلسلہ میں جو خیالات ظاہر
کئے گئے ہیں اون میں میں بھی شریک ہوں۔

*Shri V. D. Deshpande : Mr. Speaker, Sir, before the
House is prorogued, I wish to point out one thing.

سیشن खास तौर से लेजिस्लेशन (Legislation) के लिये बुलाया गया था,
और जिसमें दो तीन अहम बिल्स हमारे सामने आये हैं। हैदराबाद के अंदर जो मुत्तलिफ अन्स्टी-
ट्यूशन्स (Institutions) हैं अतको डेमोक्रेटाइज (Démocratiser)
करने के लिये कौन्तीन बिल यहां पेश किये गये थे। डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड बिल सिलेक्ट कमेटी से

हमारे सामने आया और हम अम्मोद कर रहे थे कि इसी सेशन के अंदर उसको पास कर दिया जायगा। इसी तरह से म्युनिसिपल और टाउन कमेटीज अैक्ट को अेक अवसरियत से तशकील देते हुअे हाबुस के सामने पेश किया गया। कार्पोरेशन के सिलसिले में भी अेक बिल हाबुस के सामने आया है और उसमें सिकंदराबाद और हैदराबाद को अेक करना था या नहीं इसके बारे में हुकूमत की पार्टी के अंदर दो रायें हो गयी हैं और शायद इसीलिये वह बिल हमारे सामने नहीं आ सका। वजूहात कुछ भी हो लेकिन मुझे आपके तवस्सूत से हुकूमत के सामने यही रखना है कि हैदराबाद की मुस्तलिफ अिन्स्टीट्यूशन्स को डेमोक्रेटाइज करने का जो मसला है वह पोस्टपोन (Postpone) हो गया है और गये दो ढाजी साल में अिन अिन्स्टीट्यूशन्स के अिलेक्शन के सिलसिले में जो दिक्कत आ रही है उनको इसी सेशन में दूर नहीं किया जा सका। मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि कम से कम अिस वक्त अिन बिलों की फर्स्ट रीडिंग कि जाय और सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय लेकिन वह कोशिश नाकारा हुयी। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि यह जो डेमोक्रेटाइजेशन (Democratisation) का प्रोसेस (Process) है वह हैदराबाद में देरी से आया है और अधिक देरी में उसको डालना मुनासिब नहीं है। इसलिये मुझे यह कहना है कि अगर जरूरी हो तो अेक स्पेशल सेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिल्स के लिये नवंबर या दिसंबर में तीन हफ्ते के लिये बुलाया जा सकता है। अैसा करना मुनासिब होगा, चूंकि आज असेंबली खतम होने का अिमकान है इसलिये अिस तरफ के लोगों का जो आम ख्याल है वह मैं हाबुस के सामने रखना चाहता था।

अेक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जिसे मैंने अिसके पहले भी अर्ज किया था कि सेशन की जो तारीख होती है उसकी अित्तला हमें काफी पहले मिलनी चाहिये, ताकि हमें सवाल आदि भेजने में सुविधा हो। हाबुस ऑफ दी पिपल में यह प्रैक्टिस (Practice) है कि अुनकी सेशन की डेट तीन या चार महिने पहले से तय कर दी जाती है। अुसी तरह हमारे यहां भी अगर काफी पहले से यह डेट मुकरर की जाय तो मुनासिब होगा। अब जब सेशन होगा तब अुसके डेट्स (Dates) काफी पहले अनामुन्स (Announce) होने चाहिये, यही मेरा सजेशन (Suggestion) है।

Prorogation of the Assembly

Mr. Speaker: The last announcement I have to make is about the prorogation of the Assembly. A Message has been received from the Rajpramukh which reads:

“In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 with Article 288 of the Constitution, I, Mir Osman Ali Khan, Rajpramukh of Hyderabad, do hereby prorogue the House of the Legislature of the Hyderabad State with effect from 29th September, 1954”

The Assembly is prorogued accordingly.

